राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का १२वाँ दिवस [संख्या ६

मंगलवार, ४ नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

सचिव विधान सभा (श्री धर्मेन्द्र परिहार)

श्री अमृतलाल यादव।

(श्री अमृतलाल यादव ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

(करतल-ध्वनि)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : तारांकित प्रश्नोत्तर।

प्रश्न संख्या ३४५

रावराजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

जोधपुर डिविजन के कुछ रेवेन्यु इन्सपेक्टरों की सदर कानूनगो के पद पर नियुक्ति

३४६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि सितम्बर सन् १९५७ में जोधपुर डिविजन के कुछ रेवेन्यू इन्सपेक्टरों को मेट्रीक्युलेट होने के कारण बिना सीनियोरिटी के ही सदर कानूनगो बना लिया गया है ?

(२) यदि हां, तो वे कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त इन्सपेक्टरों से काफी लोग सीनियर हैं ? यदि हां, तो इनको चान्स नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं तथा वह कौन कौन लोग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां। राजस्थान लैंड रेवेन्य (लैंड रिकॉर्ड्स) रूल्स ५७ पैरा नं० ३०७ के अनुसार उन्हीं इन्सपेक्टरों व कानूनगो को सदर कानूनगो बनाया जा सकता है जो मेट्रिक पास हैं तथा कार्य करने के योग्य हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : उनकी सीनियोरिटी को कॉउन्ट किया जाता है ?

श्री सम्पतराम : मैंने रूल्स का हवाला दिया कि उन्हीं इन्सपेक्टरों व कानूनगो को सदर कानूनगो बनाया जाता है जो मैट्रिक्युलेट होते हैं। अगर जिलाधीश किसी विशेष कारण से, किसी योग्यता के आधार पर सिफारिश करता है तो राजस्व मंडल उस योग्यता की लिमिट को कम कर सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : जो मैट्रिक्युलेट पटवारी बनाये गये उन्होंने पटवारी का कितने साल तक काम किया ?

श्री सम्पतराम : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या ३४७

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा इलेक्टोरल रोल बनाना।

३४८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला जालौर के भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को तारीख १५ मई सन् १९५४ से इलेक्टोरल रोल तैयार करने हेतु जिलाधीश, जालौर ने आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त कार्य के लिए कौन कौन अधिकारी लगाये गये ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त कर्मचारियों ने उपरोक्त दिनों का टी०ए०मिलने मुतालिक जिलाधीश जालौर को रिप्रजेन्टेशन दिये, मगर अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां, सूची संलग्न है।

(२) जी हां। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बिल नियमानुसार न होने से त्रुटियों की पूर्ति के लिये वापिस लौटा दिये। टी० ए० बिल्स इतने दिन भुगतान न होने का कारण यह है कि उनमें से काफी लोगों का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में होता रहा है तथा कुछ कर्मचारी भू-प्रबन्ध विभाग को छोड़ कर अन्य विभागों में चले गये हैं...

श्री लक्ष्मीचन्द : सुनाई नहीं दे रहा है, साहब।

श्री अध्यक्ष : जोर से वापिस पढ़ दीजिये।

श्री सम्पतराम : (२) जी हां। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बिल नियमानुसार न होने से त्रुटियों की पूर्ति के लिये वापिस लौटा दिये। टी० ए० बिल्स इतने दिन भुगतान न होने का कारण यह है कि उनमें से काफी लोगों का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में होता रहा है तथा कुछ कर्मचारी भू-प्रबन्ध विभाग को छोड़ कर अन्य विभागों में चले गये हैं, उनका पता लगने में भी काफी समय लग रहा है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द: तीन साल तक स्थानान्तरण होते रहे, यह ठीक है लेकिन तीन साल तक बिल पास नहीं किये गये, इसका कारण प्राप्त नहीं हुआ। उसका क्या प्रबन्ध किया ?

श्री सम्पतराम : मैं मानता हूं कि भुगतान में देरी हुई है। जैसा मैंने बताया कि

(श्री सम्पतराम)

कुछ लोग सैटलमेंट ऑफिस को छोड़ कर दूसरे विभागों में चले गये और उनके कुछ बिलों में त्रुटि होने के कारण चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बिल लौटा दिये। जो बिल लौटाये गये वे त्रुटियों की वजह से लौटाये गये थे।

श्री मूलचन्द डागा : क्या भू-प्रबन्ध के कर्मचारी इलेक्टोरल रोल का काम करते हैं? क्या वे यह काम अपने काम के साथ करते हैं या अपना काम छोड़ कर करते हैं?

श्री सम्पतराम : उनको काम करना होता है क्योंकि यह राज्य का काम होता है और उसी के लिए उन्हें वेतन मिलता है।

श्री मूलचन्द डागा : वे अपना पूरा वर्क करते हैं, उसके बाद भी उन्हें समय मिलता है कि उनको अलग से काम दिया जाता है?

श्री सम्पतराम : एक्स्ट्रा काम का सवाल नहीं है, उनकी ड्यूटी होती है। उन्हें अलग से काम दिया जाता है, तो उनकी ड्यूटी है।

श्री मूलचन्द डागा : एक्सट्रा का सवाल नहीं है तो अलॉउन्स क्यों दिया जाता है?

श्री सम्पतराम : एक्स्ट्रा अलॉउन्स का प्रश्न नहीं है, उनके टी० ए०, डी० ए० का सवाल है।

प्रश्न संख्या ३४६

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३५०

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

जालौर के डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स द्वारा शिक्षकों की नियुक्तियां

३५१. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, जालौर द्वारा सन् १९५७-५८ में कुल कितने शिक्षकों की नियुक्तियां की गई?

(२) क्या यह सत्य है कि स्वीकृति से ज्यादा नियुक्तियां हो जाने के कारण कई शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिला?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई)
(१) २५४.

(२) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ३५२

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

फालना कॉलेज के प्रोफेसर

३५३. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जोधपुर डिविजन के फालना कॉलेज में कितने प्रोफेसर और अध्यापक हैं और प्रत्येक कितने कितने घंटे पढ़ाते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No.4

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त कॉलेज में मैट्रिक पास अध्यापक कक्षा ९ व १० को पढ़ाते हैं ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब अभी आ नहीं सका है, अगली बार लिया जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्यों नहीं आया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्राइवेट कॉलेज है, सूचना पूरी नहीं भेजी।

श्री लक्ष्मीचन्द : अगली बार दे देंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने यह निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के उपाचार्य

३५४. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या किसी कॉलेज का शारीरिक शिक्षक Physical Instructor वहां का उपाचार्य (Vice Principal) बन सकता है ?

(२) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर के उपाचार्य कौन हैं तथा इनकी क्या योग्यताएं हैं ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(१) जन सेवा आयोग की सिफारिश पर ऐसा हो सकता है।

(२) कोई नहीं है; इसलिये योग्यताओं का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

रात्रि प्रौढ पाठशालाएं, सांचौर तहसील

३५५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१)जिला जालौर की सांचौर तहसील में तारीख १-४-५६ से आज तक रात्रि प्रौढ़ पाठशालाएं कितनी व किस किस जगह खोली गई और उनके अध्यापक कौन मुकर्रर किये गये तथा प्रौढ़ों की मौजूदा कितनी कितनी संख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि कुछ अध्यापकों को अलॉउन्स या तनख्वाह सन् ५६ से बकाया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप मंत्री समाज कल्याण विभाग (श्री पूनमचन्द) बिश्नोई : (१) जिला जालौर के सांचौर तहसील में १-४-५६ के बाद एक रात्रि प्रौढ़ पाठशाला केवल सांचोर खास में ही खोली गई है। यहां अध्यापक सर्वप्रथम श्री बच्छराज जैन व उनके बाद श्री शेरसिंह लील नियुक्त किये हैं। पाठशाला में प्रौढ़ों की मौजूदा संख्या ३० है।

(२) श्री बच्छराज को १ सितम्बर ५६ से ३० जून, सन् ५७ तक का अलॉउन्स नहीं दिया गया, क्योंकि इस समय में उन्होंने कक्षा नहीं चलाई।

श्री लक्ष्मीचन्द : श्री बाबूलाल को अपोइन्ट किया था कि नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, बाबूलाल को नहीं किया।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं आपकी जानकारी के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि बार

Page No.5

(श्री लक्ष्मीचन्द)

महीने तक श्री बाबूलाल ने क्लासें चलाई थीं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं । विभागीय सूचना है कि श्री कच्छ–राज और श्री शेरसिंह थे ।

श्री लक्ष्मीचन्द : एज्युकेशन डिपार्ट–मेंट से रात्रि पाठशालाएं चलाई जाती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सोशियल वैलफेअर की तरफ से खोली जाती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

लरड़ियों की चराई, पाली तहसील

३५६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(अ) जोधपुर डिविज़न की पाली तह–सील में कच्छी लोग कितनी संख्या में लरड़ियां वगैरह लेकर आये और उन्होंने किन किन गांवों में अपनी लरड़ियाँ चराई ?

(ब) क्या उन्होंने दयालपुरा, मादड़ी, मणियारी आदि गांवों में खेत भी चरा दिये ?

(स) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इन कच्छी लोगों के इस तरह भारी तादाद में रेवड़ ले कर आने से खेतों में भारी नुक–सान होता है ? अगर हां, तो आयन्दा के लिये उन लोगों को नहीं आने देने का क्या प्रबन्ध किया जायेगा ?

उप राजस्व मंत्री : (श्री सम्पतराम) :

(अ) कच्छी लोग अपनी लरड़ियां वगैरह लेकर पाली तहसील में आते हैं और गांव २ में फिरते हैं । उनके नाम व संख्या दर्ज नहीं होते हैं ।

(ब) जी नहीं ।

(स) कच्छी लोगों के इस तरह भारी तादाद में रेवड़ लेकर आने से किसानों के खेतों को नुकसान होना सम्भव है अतः सरकार ने इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये हैं कि ये चरवाहे किसी एक स्थान पर १५ दिन से अधिक नहीं ठहरें और राजस्थान में प्रवेश करते समय यह लिखित ले लिया जावे कि कहीं उपरोक्त अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे तथा यदि उनके पशुओं द्वारा स्थानीय लोगों की फसल को किसी प्रकार की हानि पहुंचेगी तो इसके लिये जिम्मेदार होंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि पाली तहसील में इन चार गांवों की ही नहीं, २० गांवों में घूमे हैं और हजारों रुपये की फसल खिलादी है ?

श्री सम्पतराम : यह तो स्वाभाविक है कि रेवड़ कहीं जाता है तो थोड़ा नुकसान हो जाता होगा पर ऐसी सूचना नहीं है कि अमुक गांव की फसल को बर्बाद कर दिया गया है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कच्छी लोग हजारों लरड़ियां लेकर उन गांवों में आ सकते हैं जहां घास नहीं होता और इस तरह फसल को चरा देते हैं ?

श्री सम्पतराम ; जहां घास नहीं है वहां ठहरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, पानी और घास दोनों जहां मिलते हैं वहां कुछ दिन ठहर जाते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या राजस्थान

Page No.6

(श्री मूलचन्द डागा)

सरकार की ओर से आज्ञा नहीं होती कि इन जगहों पर नहीं आयें ।

श्री सम्पतराम : यह रोकना बिल्कुल असंभव है क्योंकि बोम्बे और राजस्थान में इस प्रकार का परस्पर सम्बन्ध है । राजस्थान से भी भेड़-बकरी कहत के समय जाते आते रहते हैं और खास तौर से कच्छ में जाते हैं ।

प्रश्न संख्या ३५७

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थिति-कृपया आगे देखिये)

श्री मोहब्बतसिंह

बालिका उच्चतर पाठशाला सिरोही का स्टाफ

३५८. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for education be pleased to state:—

(a) How many trained, graduates, graduates, trained intermediate, intermediates, tranied matriculates and matriculates lady teachers are on the staff list of Girls Higher Secondary School at Sirohi ?

(b) What is the minimum number of staff required for a Higher Secondary School and of what qualification.?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : There is no Girls Higher Secondary School at Sirohi.

(b) The number of staff in each school depends upon the groups in which affiliation is granted and the number of students on roll. Different qualifications have been prescribed for teachers of different grades. The senior tecahers should be at least post graduates in II class.

श्री मोहब्बतसिंह : Is the Government aware that there is a High School for Girls at Sirohi and if so, will the Hobn'le Minister please state how many trained mistreses are there in this institution?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, there is a High School at Sirohi and there are two trained graduate teachers.

श्री मोहब्बतसिंह : Does the Government feel that number of trained teachers is very less?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No, it is sufficient for the existing needs.

अग्नि पीड़ितों को सरकार द्वारा सहायता

३५६. श्री लक्ष्मीचन्द : (सांचौर) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या अग्नि कांड होने के कारण जनता को जो नुकसान होता है उसमें सरकार की तरफ से कोई मदद देने के लिये धन राशि स्वीकृत की जाती है ?

(२) यदि हां, तो सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में प्रत्येक जिले को कितनी कितनी धन राशि स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज की पर रखने की कृपा करें !

Page No.7

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(३) जिला जालोर में इस सम्बन्धी कितने कितने प्रार्थना पत्र सन् १९५७–५८ व १९५८–५९ में प्रत्येक तहसील से प्राप्त हुए हैं तथा किस किस को आर्थिक सहायता दी गई और किन किन को नहीं दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री श्री सम्पतराम : (१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जिला जालोर में सन् १९५७–५८ में कुल १५ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें सभी को सहायता दी जा चुकी है और उनकी सभी को सहायता दी जा चुकी है और उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सन् १९५८–५९ में ५५ प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से २० व्यक्तियों को सहायता दी जा चुकी है। बाकी १५ व्यक्तियों को फण्ड्स उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक सहायता नहीं दी गई। अब फण्ड्स उपलब्ध कर दिये गये हैं और सहायता दी जावेगी।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : इस धन राशि का विभाजन किस आधार पर किया जाता है ?

श्री सम्पतराम : आवश्यकता के माफिक किया जाता है। जहां आग लगती है वहां भेज देते हैं, जहां नहीं लगती है वहां नहीं भेजते।

श्री लक्ष्मीचन्द ; जालोर जिले को १६००) रुपयों का अलॉटमेंट किया और भरतपुर के लिये २६ हजार रुपये रखे गये, यह किस आधार पर ?

श्री सम्पतराम : भरतपुर में ज्यादा आग लगी होगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : पोपुलेशन के आधार पर सहायता के लिये रुपया दिया जाता है या और किसी आधार पर ?

श्री सम्पतराम : पोपुलेशन का सवाल नहीं, इस प्रकार की केलेमिटी जहां ज्यादा होती है वहां ज्यादा दी जाती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जहां तीस तीस एप्लीकेशन्स पेंडिंग पड़ी रहती हैं, वहां इतना कम रुपया रखना और दूसरी जगह इतना रखना, आखिर सहायता के लिये रुपया देते समय कुछ न कुछ आधार तो होना ही चाहिये !

श्री सम्पतराम : जितनी आवश्यकता होती है उतनी वहां के जिलाधीश मांग करते हैं। इतने बड़े जिले में ३० केसेज़ का पेन्डिग रहना कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

प्रश्न संख्या ३६०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह

लगान वसूली-कोटपुतली

३६१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.8

(श्री रामकरणसिंह)

(१) क्या कोटपुतली के भोमियों ने लगान काश्तकारों से दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र कलेक्टर को दिया ?

(२) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

(३) लगान वसूल करने के लिये क्या कभी काश्तकारों ने भी प्रार्थना-पत्र दिये कि उनसे लगाने ले लिया जावे ?

(४) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने, प्रार्थना-पत्र दिये गये तथा उनका क्या नतीजा रहा ?

(५) अब कब तक बकाया लगान ले लिया जावेगा ?

राजस्व उपमन्त्री (श्री सम्पतराम) :
(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां।

(४) केवल दो। एस. डी. ओ. व तहसील कोटपुतली को राजस्थान काश्तकारी विधेयक की धारा १३६ के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा जा चुका है। कार्यवाही वसूली तहसील में जारी है।

(५) कार्यवाही वसूली जारी है।

श्री रामकरणसिंह : तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाई नहीं दिया।

श्री सम्पतराम : मैंने कहा न 'जी हां'।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या वह लगान ले लिया गया है उनसे ?

श्री सम्पतराम : लगान लिया जा रहा है।

श्री रामकरणसिंह : लिया जा रहा है तो क्या कुछ साल का बकाया लिया जा रहा है या एक दो साल का बकाया है वह लिया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : यह प्रश्न पहले भी माननीय सदस्य द्वारा किया गया था और स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि काश्तकारों से कोई जमीन मालिक लगान नहीं लेता है तो कानून के अनुसार काश्तकार तहसील में जमा करा सकता है। इनिशियेट करने पर तहसील को जमा करना पड़ता है।

श्री रामकरणसिंह : भोमियों का लगान है उसके अलावा काश्तकारों में सरकार का कोई बकाया नहीं है ?

श्री सम्पतराम : यह अलग प्रश्न है।

श्री रामकरणसिंह : मैंने प्रश्न में पूछा है कि क्या काश्तकारों में कोई लगान बकाया है ?

श्री सम्पतराम : यह साफ है : "क्या कोटपुतली के भोमियों ने लगान काश्तकारों से दिलाये जाने का प्रार्थना-पत्र कलेक्टर को दिया" ? तो इस प्रश्न का काश्तकारों और भोमियों से सम्बन्ध है, काश्तकारों और स्टेट से सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : मेरे प्रश्न का बकाया लगान से सम्बन्ध है, मैंने पूछा है कि कितना बकाया है, अब कब तक बकाया लगान ले लिया जावेगा। कितना बकाया है, काफी सालों का बकाया है, एकदम किसान नहीं दे सकेंगे, इसलिये काश्तकार चाहते हैं कि कुछ

Page No.9

(श्री रामकरणसिंह)

किश्तों में ले लें, इस समय नहीं ले रहे हैं तो आगे कोई किश्तें कायम कर दें ।

श्री सम्पतराम : प्रश्न पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि भोमियों ने काश्तकारों से लगान नहीं लिया, इसलिये उन्होंने कहा है कि भोमिये लगान नहीं लेते हैं आप तहसील में जमा कर लीजिये ।

श्री रामकरणसिंह : गवर्नमेंट का भी लगान बकाया है ?

श्री सम्पतराम : होगा बहुत सी जगह, राजस्थान में होगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा है कि देने को तैयार हैं । मगर फिर भी भोमिये लेते नहीं हैं ।

श्री सम्पतराम : यदि कोई भी भोमिया किसी भी काश्तकार से लगान नहीं ले तो वह तहसील में जमा करा सकता है ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि काश्तकारों से इतने समय तक यह लिया जाता रहा तो फिर अब...

श्री सम्पतराम : यह कानूनी प्रश्न है आप कानून को पढ़िये ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह काश्तकार और भोमियों के बीच है या सरकार और काश्तकारों के बीच भी है ?

श्री सम्पतराम : दोनों के बीच में है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

प्रश्न संख्या ३६२–३६३

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६४

श्री बी० एन० जोशी ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६५

श्री सूरजमल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री तेजमल बाफना ।

३६६. **श्री तेजमल बाफना** (बनेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे की कृपा करेंगे :

(१) बनेड़ा तहसील के खास बनेड़ा में सेटलमेंट कब हुआ और पानड़ियां कब वितरित की गईं ?

(२) उदयसागर तालाब से जमीन पीवल होती है उस पर लगान कम से कम क्या लगाया गया ? क्या यह लगान पीवल का लगाया गया या खारबी का ?

(३) क्या राजस्थान बनने के बाद इस तालाब से पीवल होने वाली आराजी की पिलाई अलग ली जाने लगी है । यदि हां, तो क्यों व कितनी ?

उप राजस्वमन्त्री (श्री सम्पतराम) :
(१) सेटलमेंट संवत् १६६१ में हुआ और पानड़ियां संवत् १६६२ में वितरित हुईं ।

(२) लगान की कम से कम शरह निम्न प्रकार है:—

(१) भूरी तालाबी ४ शरह खाकी १।) रुपया, भूरी की बीघा शरह तालाबी १० आना ।

(२) भूरी ऊसर तालाबी ३ खाकी १४

(श्री सम्पतराम)

आना, भूरी की बीघा तालाबी (१) रु० यह लगान खाकी का लगाया गया है।

(३) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मूलचन्द डागा : यह पानड़ियां क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

प्रश्न संख्या ३६७

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

कोटा जिले में अल्प आय गृह निर्माण योजनान्तर के अन्तर्गत ऋण

३६८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिला में सन् १९५८ तक किन किन व्यक्तियों को Low income group Housing Scheme अथवा अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कितना कितना ऋण दिया गया है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह रकम किन्हीं शर्तों के आधार पर दी गई है ? यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे कितने ही व्यक्तियों को ऋण दिया गया है, जिनके पास स्वयं का कोई प्लॉट नहीं था, बल्कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति का ऋणाधीन प्लॉट ही अपना करके बता दिया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास), (विकास मंत्री की ओर से) : कोटा शहर में अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत सन् १९५५-५६ से सितम्बर १९५८ तक जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) हां, इस योजना के अन्तर्गत जो रहननामा (Mortgage deed) ऋण प्राप्तकर्ता को प्रेषित करना पड़ता है तथा उसमें जो शर्त शामिल है उसकी प्रति भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : जो ऋण दिया जाता है वह जिलेवार दिया जाता है या डिविजन वाइज़ दिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ हैं उनमें दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र : क्या लोगों से प्रार्थना-पत्र आने पर माननीय मंत्री उस पर गौर करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये तो प्रार्थनापत्र तो बहुत से आते हैं, मगर जिनको जरूरत होती है उसके अनुसार दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र : नये मकानों को बनाने के लिये यह लोन दिया जाता है या पुराने मकानों की मरम्मत के लिये दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नये मकानों को बनाने के लिये।

श्री रामचन्द्र : अगर कोई नये मकानों के नाम से लेकर पुराने मकान की मरम्मत में लगाता है तो सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ब्रीच ऑफ

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रोमिजेज़ के लिये जो रूल्स होते हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

श्री रामचन्द्र : क्या यह ऋण सरकारी कर्मचारियों को भी मिल सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकारी कर्मचारियों को अलग मिलता है और लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग के अनुसार दूसरों को अलग मिलता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या जिन लोगों ने कर्जा लिया है उनमें सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकारी कर्मचारी भी ले सकते हैं । उनको अलग गवर्नमेंट से लोन मिलता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : किसने किस किस प्लॉट पर ऋण लिया है, उसकी सूची सदन के सामने नहीं है । इसलिये मेरा तीसरा प्रश्न है कि इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है जिनके पास स्वयं का कोई प्लॉट नहीं था बल्कि दूसरे व्यक्तियों के प्लॉट को अपना बता कर ऋण लिया, ऐसे प्लाटों की सूची नहीं मिली, इसलिये सूची मांगी गई थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपका मतलब नहीं समझा ।

श्री दयाकृष्ण विजय : किस किस प्लॉट पर ऋण लिया गया, उसकी सूची नहीं मिली ।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्लॉटों के पट्टे देख लिये जाते हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिनके स्वयं के प्लॉट्स नहीं हैं और दूसरों के प्लाट्स लेकर कर्जा लिया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप ऐसे व्यक्तियों की सूची बतावें जिन्होंने ऐसा किया है तो हम जांच करवा सकते हैं ?

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : क्या एक ही प्लॉट पर अलग अलग व्यक्ति ऋण ले सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं । पट्टे वाले को ही ऋण मिलता है ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : क्या एक हीं प्लॉट पर कोटा में बाप और बेटे ने अलग अलग ऋण लिया है ?

श्री रामचन्द्र : क्या यह पब्लिक के आदमियों को मिलता है ?

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : क्या उनको मिलता है जिनके पास मकान नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर पर मकानों के लिये ऋण उन्हीं को मिलता है जिनके पास मकान नहीं है ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : कोटा में कितने ऐसे आदमी हैं जिनको घरू मकान होते हुए भी कर्जा दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनके पास मकान अपने रहवास की जरूरत से कम हो उनको भी मिलता है ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : जिनके पास कतई मकान नहीं है उनको क्यों नहीं दिये गये ?

Page No.12

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूँ कि दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

घासमारी की रकम की वसूली

३६६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या घासमारी वसूल करने के लिये राजस्व महकमे से जोधपुर डिविजन में गत आठ महीनों में कोई आज्ञा निकाली गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(२) उक्त आज्ञा के आधार पर कहां कहां से कितनी कितनी घासमारी की रकम वसूल की जा चुकी है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री संपतराम) : (१) गत आठ महीनों में कोई आज्ञा नहीं निकाली गई, परन्तु १७-६-५७ को एक पत्र आयुक्त, जोधपुर को प्रचलित किया गया है जिसके अनुसार घासमारी वसूल की जाती है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : आज्ञा क्या थी ?

श्री संपतराम : जब तक रूल्स नहीं बन जावें।

श्री मूलचन्द डागा : अब तक रूल्स नहीं बने, तो घासमारी किस तरह से वसूल होती है ?

श्री संपतराम : जिस प्रकार पहले होती थी उसी तरह से वसूल की जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : उसकी दरें क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग जानवरों की अलग अलग दरें थीं, गाय की अलग, भैंस की अलग। इसके अलावा कोई जानवरों को लेकर तीन-चार महीने तक वहां पर रहे तो उसके लिये अलग थी।

श्री मूलचन्द डागा : क्या जागीरदारों की अलग दरें थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जागीर के इलाके में वसूल नहीं होती थी केवल खालसा में ही होती थी।

श्री लक्ष्मीचन्द कई जगह भेड़ें और बकरियें लेते थे तो क्या सरकार भी लेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं लेगी। यह जोधपुर लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के मातहत था।

श्री लक्ष्मीचन्द : जोधपुर का लैन्ड रेवेन्यु एक्ट तो रिपील हो गया अब सरकार कौन से एक्ट के तहत यह घासमारी लेती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक इस सम्बन्ध में रूल्स मुकम्मिल तैयार नहीं हो जाते, तब तक पहले के रूल्स के मुताबिक वसूल करने के लिये टिनेन्सी एक्ट में प्राव-धान है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब पुराने कानून सब रिपील हो गये तो फिर यह क्यों लिया जाता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक नये कानून इस सम्बन्ध में नहीं बनें तब तक के लिये कानून में प्रोविजन है कि जिस तरह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

से ग्रेजिंग चार्जेज जोधपुर में वसूल किया जाता रहा है उसी तरह से वसूल किया जाए।

श्री लक्ष्मीचन्द : जहां पर लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अनुसार चारागाह मुकर्रर नहीं है वहां पर भी क्या यह लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां चारागाह मुकर्रर नहीं किये हैं वहां पर चारागाह मुकर्रर किये जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ये किस कानून के अनुसार वसूल किये जाते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर से जोधपुर के लैण्ड रेवेन्यु के रूल्स बने थे उनके अनुसार वसूल किये जाते हैं उस जमीन के लिये जो अनऑक्युपाइड है और चारागाह मुकर्रर किये गये हैं उसके अनुसार घासमारी वसूल की जाती है।

श्री बेनाराम गहलोत : मेरा निवेदन यह है कि जिन गांवों में सिवाय चक की जमीन ऑक्शन की जाती है उन गांवों में भी मवेशी रहते हैं क्या वहाँ भी घासमारी वसूल की जा रही है :

श्री दामोदरलाल व्यास : सिवाय चक की जमीन को ऑक्शन करने का सवाल नहीं। जोधपुर डिविजन में मवेशी की चराई दी जाती थी वहीं से घासमारी वसूल की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : जब कि जोधपुर लैण्ड रेवेन्यु एक्ट रिपील हो चुका, वैसी हालत में अलग अलग गांवों में अलग अलग प्रकार से घासमारी वसूल करना क्या आप न्याय संगत मानते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत रूल्स बनकर तैयार नहीं हो जाते और वे एनफोर्स में नहीं आते तब तक पुराने कानून के अनुसार घासमारी ली जाती है।

श्री बेनाराम गहलोत : जिन गांवों में घासमारी वसूल की जाती है क्या उन गांवों की सिवाय चक की जमीन ऑक्शन नहीं की जाती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : होनी तो नहीं चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह घासमारी कितने साल से वसूल की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : घासमारी हमेशा से वसूल की जाती रही है और वहीं की जा रही है।

श्री बेनाराम गहलोत : क्या जिन गांवों में सिवाय चक की जमीन ऑक्शन कर दी गई और अभी तक वहां से घासमारी वसूल होती है उसको आप कहां तक न्यायसंगत मानते हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास : ऑक्शन करनी तो नहीं चाहिये। यदि ऑक्शन कर दी गई तो वैसी हालत में घासमारी वसूली का जस्टिफिकेशन नहीं है। आप इस प्रकार के इन्स्टान्सेज़ ध्यान में लायेंगे तो कार्यवाही की जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : हमारी तहसील में चार साल से घासमारी वसूल की गई है। आपकी आज्ञा के मुताबिक आज भी वसूल की जा रही है जागीरदार ८. ६. ५. ३ इस प्रकार का आपके यहां सिस्टम है क्या ?

Page No.14

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी तहसील की शिकायात तो मेरे पास नहीं है लेकिन जहां चार साल से वसूल नहीं की गई तो उसका मतलब यह नहीं कि पहले भी वहाँ नहीं ली जाती होगी। हो सकता है स्टे भी आर्डर्स के कारणवसूली नहीं की गई हो।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के बन जाने के बाद काश्तकारों का यह प्राइमरी राइट है कि काश्तकार से लगान के अलावा किसी प्रकार के चार्जेज वसूल नहीं की जाय। क्या सरकार इस प्रकार की घासमारी वसूल करना क्या न्याय संगत मानती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो सिवाय चक की भूमि की बात है।

श्री अध्यक्ष : नये रूल्स कब तक बन जायेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स बन रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। यह नेग्लीजेबल रकम है। नये रूल्स जल्दी ही बन जायेंगे।

श्री परसराम : अध्यक्ष महोदय, यह नेग्लीजेबल रेन्ट नहीं है। जोधपुर डिविजन में इस प्रकार से जो रेन्ट वसूल किया जाता है वह यूनिफार्म भी नहीं है, इससे किसानों को बहुत परेशानी है और इससे लाखों किसान प्रभावित हैं?

श्री दामोदारलाल व्यास : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत जल्दी ही रूल्स बन जायेंगे।

श्री किशनलाल शाह : क्या इस प्रकार की जमीन के लिये तहसीलदार भी चराई वसूल करता है और जगंलात विभाग भी वसूल करता है और इस तरह की जो रकम होती है वह राज्य के खजाने में जमा नहीं होती है?

श्री दमोदरलाल व्यास : जहां तक जंगलात विभाग का सम्बन्ध है फोरेस्ट लैण्ड की चराई वे ही वसूल करते हैं। घासमारी वसूल करने का तालुक जंगलात विभाग से नहीं है।

श्री किशनलाल शाह : किस कानून के तहत वसूल किया जाता है?

श्री श्रीभानसिंह : Is the forest land and revenue land being demarcated?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Sir.

श्री किशनलाल शाह : क्या इस प्रकार की घासमारी की वसूली कानून के खिलाफ नहीं है? इसके लिये कौन सा कानून है बतलाइये?

श्री ज्वालाप्रसाद : आॅन ए पॉइन्ट आॅफ आर्डर, सर, क्या मिनिस्टर साहब की तरफ से आप जवाब दे रहे हैं।?

श्री किशनलाल शाह : यह जवाब गलत दिया गया है।

खुर्दा व धुआं बांधों का निर्माण

३७० **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या विकास मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) शाहबाद विकास खंड के अन्तर्गत खुर्दा बांध तथा धुआं बान्ध के निर्माण में अब तक विकास विभाग का कितना रुपया व्यय हो चुका है?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(२) क्या ये सिंचाई बांध हैं ? यदि हां तो क्या इनसे सिंचाई प्रारम्भ होने लगी है ?

(३) इन दोनों बांधों के निर्माण का अलग अलग एस्टीमेट क्या था तथा कितनी भूमि की इनसे सिंचाई होने का एस्टीमेट है ?

(४) क्या यह सही है कि इन बांधों का ठेका जिन ठेकेदारों को दिया गया है उनसे कोई टेण्डर नहीं लिया गया था ?

(५) क्या यह सही है कि ये दोनों बांध बार बार बनाने पर भी गत दोनों बरसातों में टूट चुके हैं।

उपराजस्व-मन्त्री (श्रीसम्पतराम) : (१) उक्त दोनों बांधों के निर्माण में अब तक २४, १७५ रुपये व्यय हो चुके हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

विकास विभाग से	कृषि विभाग से (तालाबों का विकास)	सिंचाई विभाग से (लघु सिंचाई विभाग)	योजना	योग ग्राम जल बोर्ड
खुर्दा बांध ३,५००)	१,१२५)	५,०००)	१७५०)	११,३७५)
धुआं देह २,५००)	५,३००)	५,०००)		१२,८००)
बोरदा बांध				
६,०००)	६,४२५)	१०,०००)	१,७५०)	२४,१७५

(२) उक्त दोनों बांध पहले पानी पीने के योग्य बनाये गये, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी का पूर्ण अभाव था, विशेषकर गर्मी में तो पानी बिल्कुल भी नहीं रहता था, जिसके कारण यहां के मनुष्यों, जानवरों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब इनको लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचाई योग्य बनाया जा रहा है। दोनों बांधों में लोहे के स्लूसगेट लगा दिये गये हैं, और नहरें भी खोद दी गई हैं। धुंआदेह बांध से सिंचाई लगभग एक माह के पश्चात् प्रारम्भ कर दी जावेगी; क्योंकि अब भी एक नाले पर साइ-फन बनाना आवश्यक है और खर्दा बांध की नहर पथरीली व चट्टानी क्षेत्र में लगभग ४००–५०० फीट खोदनी है। तत्पश्चात् इससे भी सिंचाई प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(३) खर्दा बांध का आनुमानिक व्यय (नहर को छोड़कर एस्टीमेट) १४,०००) रुपये का था एवं धुंआदेह बांध, बोरदा बांध का १०,०००) रु० का था जिसमें दाहिने फलेन्क की नहर भी सम्मिलित है।

खर्दा बांध से लगभग ४०० एकड़ एवं धुंआदेह बांध, बोरदा बांध से ३०० एकड़ सिंचाई होने का अनुमान है।

(४) प्रारम्भ में उक्त दो बन्धों के लिए विकास विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा धन-राशि स्वीकृत की गई जिसमें ५० प्रतिशत जन-सहयोग होना अनिवार्य था, अतएव ऐसे कार्यों को पंचायतों द्वारा सम्पन्न कराया गया। तत्पश्चात् लघु सिंचाई योजना के अन्त-र्गत सरकार से भी ऐसे आदेश प्राप्त हुआ कि लघु सिंचाई के कार्य बिना टेन्डर लिये ग्राम पंचायतों, विकास मंडलों एवं सहकारी समितियों द्वारा अथवा इनके अभाव में छोटे छोटे ठेकेदारों द्वारा शिड्यूल्ड रेट्स पर सम्पन्न

Page No.16

(श्री सम्पतराम)

कराये जा सकते हैं, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रथम वर्ष में कार्य देर से प्रारम्भ किये गये और विलासी नदी में अचानक जोर की बाढ़ आजाने से खर्दा बांध का ऊपरी भाग लगभग दो फीट तेज बाढ़ में ढह गया। बोरदा बांध को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँची। इस वर्ष भी खर्दा बांध को वर्षा से कुछ क्षति पहुँची है जिसे सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उसी के खर्चे से शीघ्र ही पूर्ण कराया जा रहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि इन दोनों बांधों को पहले सिंचाई के लिए बनाया गया था ?

श्री सम्पतराम : इसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि ये बांध ठेकेदार द्वारा बनाये गये, पंचायतों के द्वारा यह कार्य नहीं किया गया ?

श्री सम्पतराम : मैंने पंचायतों और ठेकेदार दोनों द्वारा कहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : किस ठेकेदार द्वारा ?

श्री सम्पतराम : मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन यह रकम जो मिली है वह विकास विभाग द्वारा भी मिली है, इसलिए जहां तक विकास के काम का सम्बन्ध है पंचायतों द्वारा उनके सहयोग से शिड्यूल्ड रेट पर किया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह: ऐसे तालाब जो ठेकेदार द्वारा बनाये जाते हैं वे बहुत जल्दी ब्रीच करने लग जाते हैं वैसी हालत में ठेकेदारों से रकम वसूल क्यों नहीं की जाती ?

श्री सम्पतराम : इस प्रकार के काम के लिये रूल्स के तहत पहले ही उन ठेकेदारों से पेनेल्टी के लिये रकम ले ली जाती है जब तक उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी रहती है तो उनका पेमेन्ट नहीं होता। और इन बांधों में से एक बांध जो टूट गया था उसकी मरम्मत स्पेसिफिकली ठेकेदार द्वारा ही करवायी गई।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने जो अकाउन्ट बताया उसमें यह तो उल्लेख नहीं है कि पचास प्रतिशत पंचायतों ने कान्ट्रिब्यूट किया है ?

श्री सम्पतराम : सिंचाई के कार्यों के लिए यह कोई जरूरी नहीं कि पंचायतें उसमें कान्ट्रिब्यूट करें ही।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो क्या यह माना जाय कि पंचायतों का इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं ?

श्री सम्पतराम : पंचायतों के भी कुछ हिस्से हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब पंचायतों का सम्बन्ध है तो उसमें रकम क्यों नहीं बताई गई?

श्री सम्पतराम : जहां पंचायतों का कान्ट्रिब्यूशन नहीं हुआ वहां फीगर्स नहीं हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : खर्दा बांध जो दो बरसातों के कारण टूट गया था पहली बार अलग से रकम लगाकर ठीक करवाया गया और कॉन्ट्रेक्टर्स द्वारा ठीक नहीं कराया गया।

श्री सम्पतराम : विलासी नदी में बाढ़

Page No.17

(श्री सम्पतराम)

आजाने के कारण खर्दा बान्ध का ऊपरी भाग लगभग २ फीट तेज बाढ़ से ढह गया था और किसी प्रकार क्षति नहीं हुई थी। इस वर्ष भी खर्दा बान्ध को वर्षा से कुछ क्षति पहुंची है जिसे सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उसी के खर्चे से शीघ्र ही पूर्ण कराया जा रहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार यह उचित समझती है कि इन दोनों बांधों के निर्माणमें पंचायतों द्वारा या ठेकेदारों द्वारा जो काम हुआ है उसकी जांच करावेंगे ?

श्री सम्पतराम : हां, अगर जांच की बात सामने आवेगी तो जरूर कराई जा सकेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : कब तक कर वाई जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अकालग्रस्त क्षेत्र–जिला झुंझुनूं

३७१. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या मन्त्री, अकाल सहायता विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले साल (सं० २०१४) में झुंझुनू जिले में कुल कितनी आबादी वाले क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया गया था तथा अकाल सहायता कार्य के लिये कुल कितनी राशि मन्जूर की गई थी ?

(ख) ३१ जुलाई, १९५८ को समाप्त होने वाले एक साल में कुल कितनी धनराशि झुंझुनू जिले में अकाल सहायता कार्यों पर खर्च की गई तथा प्रति व्यक्ति कितनी धन-राशि खर्च हुई ?

(ग) क्या राजस्थान में इस प्रकार का और भी कोई जिला है जहां पर अकालग्रस्त क्षेत्र में अकाल सहायता कार्यों पर प्रति व्यक्ति खर्च झुंझुनू जिले से कम हुआ है ? यदि हां, तो किस जिले में ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) संवत् २०१४ में झुंझुनू जिले में कुल १,५४,६९० आबादी वाले क्षेत्र को अकाल–ग्रस्त घोषित किया गया था तथा अकाल सहायता कार्य के लिये २०,०००) रु० की धनराशि मन्जूर की गई थी।

(ख) ३१ जुलाई, सन् १९५८ तक कुल २,७००) रुपये की धनराशि झुंझुनू जिले में राहत कार्यों पर खर्च हुई तथा प्रति व्यक्ति १७ रुपये की धनराशि खर्च हुई।

(ग) जी हां, सिरोही जिला है जिसमें खर्च प्रति व्यक्ति शून्य था।

श्री शिवनाथसिंह : इतनी राशि में से इतना कम खर्च कैसे हुआ ?

श्री सम्पतराम : इसका कारण यह था कि लेबर को दूसरे कामों में ज्यादा मजदूरी मिल जाती थी इसलिये इधर बोर्ड के काम पर बहुत कम आये।

श्री शिवनाथसिंह : इस अकाल सहा-यता में कौन कौन से काम इन्क्लूड किए गये ?

श्री सम्पतराम : यह तो मालूम नहीं, पर ज्यादातर आवश्यकता के मुताबिक जो काम जहां ठीक समझा गया, वह शुरू किया गया।

श्री शिवनाथसिंह : क्या यह सही है कि सड़कों का और जोहड़ों का काम भी लिया गया ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है ।

श्री शिवनाथसिंह : क्या यह सही है कि लोग पैसा खर्च करने को तैयार थे पर वे काम नहीं कराये गये ।

श्री सम्पतराम : इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है ।

श्री शिवनाथसिंह : क्या इसकी जांच करावेंगे ?

श्री सम्पतराम : अगर निश्चित तौर से कोई ऐसी बात ध्यान में लाई गई तो अवश्य करावेंगे ।

श्री शिवनाथसिंह : मैं सूचना तो दे रहा हूं न ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

हरिजन काश्तकारों की भूमि

३७२. **श्री नारायणलाल** (नीम का-थाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या भूमिहीन हरिजन काश्तकारों को भूमि देने का कोई प्रोसीजर तैयार किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रोसीजर की पूर्ति करने में कितनी कामयाबी रही है ?

(ग) क्या यह सही है कि जिला गंगा-नगर में नहरी भूमि देने में सरकार उक्त प्रोसीजर के प्रति उदासीनता दिखा रही है ?

(घ) सीकर जिले में आज तक उक्त प्रोसीजर के आधार पर कितने हरिजन बंधुओं को भूमि काश्त के वास्ते दी गई ?

उप राजस्वमन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां ।

(ख) नियमानुसार भूमि दी जा रही है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

(च) किसी को नहीं दी गई जिसके कारण अंकित हैं :

(१) इस जिले में श्री माधोपुर, दांता-रामगढ़ और नीम का थाना तहसीलों में कुछ भूमि उपलब्ध थी और वह भी जागीर की होने के कारण उनके पुनर्ग्रहण होने पर जागीरदारों के खुदकाश्त के प्रार्थनापत्र का निर्णय होना आवश्यक था ।

(२) तथा जो खालसा क्षेत्र थी उसमें से आबादी स्कूल और मैदान आदि के लिये सुरक्षित की गई ।

अगले दो महीने में कुछ वितरण किया जा सकेगा ।

(नोट:—मूल प्रश्न में भाग 'घ' तक ही है किन्तु 'च' का उत्तर भी दिया गया) ।

श्री रामचंद्र : वह कौनसा प्रोविज़न है जिसके अधीन हरिजनों को जमीन दी जा रही है ?

श्री सम्पतराम : लैंड अलॉटमेंट के रूल्स के मुताबिक दी जा रही हैं ।

श्री नारायणलाल : कौनसी जमीन आप हरिजनों को देते है ?

श्री सम्पतराम : अनऑक्युपाइड गवर्नमेंट लैंड ।

श्री गोवर्द्धनसिंह केन : क्या गंगानगर में भी दी जा रही है ? दी जा रही है,तो किस रूल के अनुसार ?

श्री सम्पतराम : वहां गंग कैनाल रूल्स हैं उनके मुताबिक ।

श्री गोवर्द्धनसिंह केन : हरिजनों को नहीं दी जाती, क्या यह सत्य है ?

श्री सम्पतराम : दी जाती है, पर काफी नहीं ।

श्री नारायणलाल : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट लैंड कौनसा है ? गवर्नमेंट लैंड बता कर अलवर में काफी जमीनें दी गई पर कितनी बेदखलियां हुई हैं ? यह मंत्री महोदय को स्वयं को मालूम है और वे स्वयं काफी परेशान हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सिवाय चक की जमीन जो सरकार के या किसी के मकबूजा नहीं है । इवेक्यू लैंड सरकारी लैंड नहीं हो सकता ।

श्री श्रीभानसिंह : इन पर उनके खातेदारी राइट्स एक्यू हो जाते हैं दूसरों की तरह?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनको नई जमीनें दी जाती हैं उनके खातेदारी राइट्स एक्यू नहीं होते ।

श्री नारायणलाल : वहां भूमि वितरण कमेटियों में कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कम से कम वहां के एम० एल० ए०, पंचायतों के सरपंच और वहां के सोशल वर्कर । अब वे कौन कौन हैं, उनके नाम याद नहीं ।

श्री श्रीभानसिंह : इन अलॉटमेंट कमेटियों में हरिजनों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ नहीं होने से उनको जमीनें नहीं मिलतीं, क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है । इम्प्रेशन यही है कि उनको मिल रही है ।

श्री श्रीभानसिंह : जितनी जमीन सरकार के पास है या उसकी निगाह में है उनसे भूमिहीनों को संतोष हो जावेगा, सबको मिल जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी जमीन है वह तो अलॉट की जा रही है, नहीं हो तो कहां से की जावेगी ?

श्री रामचंद्र : मन्त्री महोदय ने प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर जो दिया, उससे संतोष नहीं हुआ । मैं सरकार को यह जानकारी करा देना चाहता हूं कि हरिजनों को जमीनें नहीं मिल रही हैं और जहां थोड़ी बहुत मिल भी रही हैं वहां उनके रास्ते में कई प्रकार के रोड़े अटकाये जा रहे हैं और रोड़े अटकाने वाले ये स्वयं सरकारी कर्मचारी ही हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहीं को स्पेसिफिक कम्प्लेण्ट आप करेंगे तो उसकी पूरी जांच की जावेगी और अगर कोई सरकारी कर्मचारी दोषी पाया गया तो सख्त सजा दी जावेगी ।

श्री रामचंद्र : सब जगह यह रोड़े अटकाने वाला पटवारी वर्ग है और इसके लिए मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्राईमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां

३७३. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री शिवनाथसिंह)

(क) साधारणतया प्राइमरी स्कूलों में कितने छात्रों के पीछे एक अध्यापक रखा जाता है ?

(ख) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले में प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुमान से अध्यापक नहीं रखे जाकर कम अध्यापक रखे गये हैं ? यदि हां, तो ऐसी कितनी स्कूलें हैं जिनमें छात्रों की संख्या को देखते हुए अध्यापक कम हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स झुंझुनू का ध्यान अध्यापकों की कमी की तरफ बार बार दिलाये जाने पर भी कोई कार्यवाही इस ओर नहीं कर रहे हैं ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (क) ४०

(ख) जी हां, ३५ स्कूल ।

(ग) जी नहीं ।

श्री शिवनाथसिंह : जहां कम हैं अध्यापक वहां क्या छात्रों को नुकसान हो रहा है पढ़ाई में ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: नहीं, क्योंकि हमने मास्टर भेजे हैं । ९४८ पोस्टें बढ़ाई हैं । ७०० पोस्टें बढ़ा दी हैं और २४८ बाकी हैं जो जल्दी ही भर दी जावेंगी ।

श्री शिवनाथसिंह : झुंझुनू जिले में कितने अध्यापक बढ़ाये गये व कितने बाकी हैं ?

श्री पूनमचन्द : इसका मालूम नहीं ।

प्रश्न संख्या ३७४

श्रीअध्यक्ष :डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३७५

श्री रघुवीरसिंह ।

(अनुपस्थित)

आर० ए० एस० ऑफीसरों की सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन

३७६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आर० ए० एस० ऑफीसरों की सीनियोरिटी के कोई आधार निर्धारित हैं ? अगर हां, तो क्या ?

(ख) क्या यह सही है कि आर० ए०एस० ऑफीसरों को सीनियोरिटी के लिहाज से प्रोमोट किया जाता है ? अगर हां, तो अब तक सरकार ने किस आधार पर कितने व कौन कौन आर० ए० एस० ऑफीसरों को जूनियर से सीनियर बनाया और सीनियर से जूनियर बनाया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास), (मुख्य मंत्री की ओर से):(क) आर० ए० एस० ऑफीसरों की सीनियोरिटी आर० ए० एस० रूल्स १९५४ के ३३ वें रूल के अनुसार निर्धारित की जाती है, जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

(ख) आर० ए० एस० ऑफीसरों को सीनियोरिटी कम-मैरिट के लिहाज से प्रोमोट किया जाता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह लिस्ट तो मुझे नहीं मिली । पर मैं यह पूछना चाहता

Page No.21

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

हूँ कि सीनियर को जूनियर आप किस आधार पर करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा न की सीनियोरिटी-कम-मैरिट के आधार पर करते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : सीनियोरिटी-कम-डी मैरिट ही होगा वह तो फिर, मैरिट नहीं हो सकता । तीसरी आपकी मेहरबानी ।

(हंसी)

गडा गांव (तहसील शेरगढ़) में आग लग जाने से सरकार द्वारा सहायता

३७७. श्री सूरजमल (फलोदी० मु०) **:** क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सरकार को विदित है कि तहसील शेरगढ़ के गांव गडा में कुछ समय पहले किसी राजपूत की ढ़ाणी जली ?

(२) क्या यह सही है कि इस ढ़ाणी के जलते समय उसमें जन–धन–पशु आदि की अधिक हानि हुई ?

(३) क्या इस ढ़ाणी के जलने के पश्चात् सरकार ने किसी सरकारी अधिकारी से इसकी जांच करवाई ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(४) क्या यह सही है कि उस ढ़ाणी के मालिक को किसी तरह की सरकारी सहायता आज तक नहीं मिली ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) **:** (१) जी हां ।

(२) सम्पत्ति की ही सिर्फ हानि हुई थी । आदमियों या पशुओं का कोई नुकसान नहीं हुआ ।

(३) जी हां, ता० २८–६–५७ को जांच कराई गई थी ।

(४) जी हां । फण्ड्स कम होने के कारण सहायता नहीं दी जा सकी । अब और फण्ड्स दे दिये गये हैं और शीघ्र ही नियमानुसार सहायता दी जा सकेगी ।

श्री भैरोंसिंह : अब तक सहायता दी गई है या नहीं ?

श्री सम्पतराम: सहायता नहीं मिली है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या कारण है सहायता नहीं मिलने का ?

श्री सम्पतराम : इसका कारण था रुपये की कमी ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय जांच हुई उस समय रुपये की कमी थी या जिस समय आग लगी उस समय रुपये की कमी थी ?

श्री सम्पतराम : उस समय रुपये उपलब्ध नहीं थे और आवश्यकता महसूस हुई तो गवर्नमेंट को लिखा और गवर्नमेंट ने रुपया भेजा है और बाद में उनको रुपया दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या रुपये की कमी अभी तक पूरी नहीं हुई ?

श्री सम्पतराम : मैं तो कह रहा हूँ कि रुपया भेज दिया गया और आप कह रहे हैं कि रुपये की कमी अभी तक पूरी नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

पूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारियों के भत्तों की सुरक्षा

३७८. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Chief Minister be pleased to state:--

(a) Is it correct that the Government of India has asked the State Government to protect the 'Dearness Pay' of the erstwhile Ajmer State service personnel to the same extent as pay? If so, what action has been taken by the States Government to implement it ?

(b) Has the Central Government made any recommendations regarding the protection of House Rent and City Allowances to the erstwhile Ajmer State service personnel ? If so, what are they ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (मुख्य मन्त्री की ओर से) (a) Yes, Dearness Pay' has been accordingly protected to the same extent as pay under Rule 14 of the Rajasthan Service (Protection of Service Conditions) Rules, 1957.

(b) This matter was left by the Central Government to be decided by the State Government. As erstwhile Ajmer State had no city allowance, the question of its protection did not arise.

As regards House Rent Allowance, Rajasthan Government decided to extend the Rajasthan House Rent Allowance Rules to Ajmer with effect from 1-11-56.

सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा जमीनों का गलत इन्द्राज तहसील दीगोद

३७९. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा मु०): क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम पोलाई कलां, तहसील दीगोद, में ऐसी सार्वजनिक तालाब, तलाई तथा चरनोट की कितनी जमीनें हैं जो सैटलमेंट अधिकारियों ने गलत दर्ज कर दी हैं ?

(२) क्या ऐसी एक लिस्ट शुद्धि हेतु तहसीलदार दीगोद ने वर्तमान पटवारी से मांगी थी ?

(३) यदि हां, तो क्या पटवारी पोलाई ने उक्त लिस्ट को पेश किया ? यदि हां, तो क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम): (१) ग्राम पोलाई कलां, तहसील दीगोद, में ऐसी सार्वजनिक तालाब, तलाई तथा चरनोट की जमीन नहीं थी जो सैटलमेंट अधिकारियों ने गलत खाते दर्ज कर दी है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामनारायण वर्मा : क्या यह सही है कि वहां पर जो तालाब की जमीनें है उसको वहां के तत्कालीन पटवारी समीर मोहम्मद ने अपने दोस्त घासी कलार और गोपाललाल को अपने खाते बांध दी है ?

श्री सम्पतराम : मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : आप फिर से पूछिये ।

श्री रामनारायण वर्मा : क्या यह सही है कि पोलाई कलां के तालाब कि २० बीघा

Page No.23

(श्री रामनारायण वर्मा)

जमीन तत्कालीन पटवारी समीर मोहम्मद ने उनके मित्र घासी कलाल और गोपाललाल को अपने खाते बांध दिया है ।

श्री सम्पतराम : यहां पर सैटलमेंट का सवाल है पटवारी का सवाल नहीं है ।

श्री रामनारायण वर्मा : सैटलमेंट के अधिकारियों से मिलकर पटवारी ने उनके खाते बंधवाये हैं ।

श्री सम्पतराम : सैटलमेंट के किसी भी कर्मचारी ने अपने यहां किसी तालाब की जमीन को किसी व्यक्ति के नाम पर दर्ज नहीं किया है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि तालाब की जमीन को किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम खाते पर सैटलमेन्ट के अधिकारियों से मिलकर पटवारी ने बांध दी है, क्या आप उसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री सम्पतराम : इस प्रश्न का सम्बन्ध इस चीज से कैसे ले सकते हैं कि पटवारी के खिलाफ बाकायदा जांच की जाय ?

ठा० मदनसिंह : आपने जो जमीन के सम्बन्ध में इन्क्वायरी की तो आपके पास में क्या रिपोर्ट आई है ?

श्री सम्पतराम : इसमें कोई इन्क्वारी नहीं की । इसमें इन्क्वायरी करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि तालाब की जमीन किसी के खाते बांध दी गई है ?

श्री सम्पतराम : बांधी हुई है या नहीं यह प्रश्न नहीं था । प्रश्न यह था कि सार्वजनिक तालाब की जमीन सैटिलमेन्ट के अधिकारियों ने किसी व्यक्ति के नाम दर्ज की, यह सवाल है और इसका जवाब दे दिया ।

श्री रामनारायण वर्मा : यह कैसे मालूम पड़ा कि नहीं है, अगर इस बात की जांच नहीं हुई ।

श्री सम्पतराम : जांच करने का सवाल नहीं था ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरकार के पास में ऐसी शिकायत आई है या नहीं ?

श्री सम्पतराम : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : यह आपने कैसे मालूम किया कि जमीन खाते नहीं बांधी हुई है ?

श्री सम्पतराम : अजी जनाब, यह हमारे सरकारी कागजात से मालूम हुआ ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या सरकार ने, जो माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं, उसको इस प्रकार की शिकायत के रूप में लेकर जांच करवाने की कोशिश की ?

श्री सम्पतराम : यह सारे वेग एलीगेशन्स हैं, कोई स्पेसिफिक एलीगेशन नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य नाम ले रहे हैं । उन नामों को नोट करके सरकार प्रोसीड करे ।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir. माननीय उपमन्त्री जी इस तरह से जवाब दे रहे हैं कि सच का तमाम ठेका उनके पास ही है और कोई माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्य सदन में इत्तला देते हैं और इस इत्तला की बिना जांच किये उपमन्त्रीजी यह कहें कि एलीगेशन्स वेग हैं, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बिल्कुल असंसदीय है और माननीय उपमन्त्रीजी को इस प्रकार के शब्दों को वापिस लेना चाहिए।

श्री सम्पतराम: इसमें इस प्रकार की बात नहीं है। मैं स्पेसिफिक बात चाहता था। कोई निश्चित बात नहीं कही जाती है और इधर-उधर की बातें कही जाती हैं। यहां इस प्रश्न का गिरदावरी से ताल्लुक नहीं हैं। उन्होंने यह कहा था कि क्या सैटलमेन्ट के अधिकारियों ने इसको गलत दर्ज कर दी है। उसका जवाब मैंने अध्यक्ष महोदय, दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य ने नाम बताया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : नाम पटवारी का कहा था।

श्री भैरोंसिंह : जिनको अलॉट की गई है उनका नाम बताया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मुमकिन नहीं है कि इस प्रकार के एलिगेशन्स पर इन्क्वायरी की जाय। काश्तकार का नाम बताया तो जब तक कोई स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट नहीं हो तब तक उसकी क्या इन्क्वायरी हो। किसी पटवारी ने किसी तालाब की जमीन को किसी के खाते बांध दी हैं तो कैसे मालूम हो सकता है कि पटवारी के मेल से ऐसा हुआ है। जो इन्द्राज हुआ है उसका जवाब दे दिया कि कोई इन्द्राज में गलती नहीं है। अगर वे कहते हैं कि जो कुछ बताया है वह गलत बयान है तो उसकी इन्क्वायरी हो सकती है। आम तौर से कोई इस तरह का माननीय सदस्य समझते हैं कि उनको कोई गलत बयान दिया गया है तो उनके प्रति डिसरेस्पेक्ट शो करने का सवाल नहीं है। एलिगेशन्स वेग होते हैं तो इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कैसे हो सकती है? उन्होंने यह कहा कि पटवारी ने सैटलमेन्ट के अधिकारियों से मिलकर ऐसा कर दिया। इसकी इन्क्वायरी नहीं हो सकती है। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय अध्यक्ष, घासी कलाल और गोपाललाल के नाम पर तालाब की २० बीघा जमीन पटवारी द्वारा दी गई या नहीं? क्या तहसील ने वर्तमान पटवारी से इस तरह की जानकारी प्राप्त की?

श्री अध्यक्ष : अब आप डिटेल्स नोट कर लें और जांच करवा लें।

श्री भैरोंसिंह : एलिगेशन्स वेग हैं इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है वह किस तरीके से उपयुक्त है?

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य निश्चित तौर से बता देते तो...

श्री भैरोंसिंह : बताया था, माननीय सदस्य ने निश्चित तौर से नाम बताये थे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने ऐसा समझा है कि पटवारी का ही नाम दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय के समझने में फर्क है तो कम से कम वे क्षमा मांगे कि उनके गलत समझने के कारण 'वेग ऐलिगेशन्स' शब्दों का प्रयोग हुआ है।

Page No.25

गूंगों, बहरों व अन्धों का स्कूल

३४५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सेठ श्री रामनाथ पोद्दार ने कोई गूंगों, बहरों व अन्धों का स्कूल बनवाया था ? अगर हां, तो कहां पर और कितने की लागत का ?

(२) क्या उक्त स्कूल में गूंगे, बहरे व अन्धे पढ़ते हैं ? अगर नहीं तो क्या यह स्कूल बन्द कर दिया गया है ?

(३) यदि हां, तो अब सरकार ने उक्त इमारत किस काम में ले रखी है और क्यों ?

उप शिक्षामंत्री (श्री पूनमचंद विश्नोई) : (१) जी हां। यह स्कूल जयपुर में है। इसकी लागत के ७५,०००) रु० हैं।

(२) यह स्कूल दूसरी इमारत में अस्थाई तौर पर बदल दिया गया है।

(३) इस इमारत में अस्थाई तौर पर राजस्थान कॉलेज चल रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब कि यह स्कूल खास तौर से गूंगे बहरों के लिए बनाया था तो फिर गूंगे बहरों का स्कूल यहां से हटाकर बदलने का क्या कारण था ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : राजस्थान कॉलेज नया खुला था उसके लिए कोई उपयुक्त बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए अस्थाई तौर पर वह स्कूल बदला गया है। राजस्थान कॉलेज की बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। जैसे ही उसकी बिल्डिंग पूरी हो जायगी उस स्कूल को वापिस शिफ्ट कर दिया जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उपयुक्तता का कतई सवाल नहीं है। कोई आदमी डोनेशन करके और खर्चा करके किसी खास परपज के लिए स्कूल बनाये और वह स्कूल गूंगे बहरों के लिए है, उनको वहां से हटा दिया जाय और दूसरा स्कूल खड़ा कर दें, यह कहां तक न्याय संगत है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : यह अस्थाई तौर पर किया गया है।

श्री अध्यक्ष : करीब करीब उसी काम में उसका उपयोग हो रहा है।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

विकास क्षेत्रों के लिए स्टाफ की नियुक्ति

३५७ श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार विकास क्षेत्रों के लिये स्टाफ की नियुक्ति करते समय शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ बलवन्तराय 'मेहता कमेटी की सिफारिश के अनुसार देहाती क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्राथमिकता देना उचित समझती है ? अगर हां, तो इस वर्ष कुल कितने व्यक्ति लगाये तथा उनमें से कितने रूरल एरिया के है।

उप विकास मन्त्री (श्री सम्पतराम): जी हां। इस वर्ष कुल ४५१ व्यक्ति नियुक्त किये गये तथा उनमें से ३१४ देहाती क्षेत्रों के हैं। यह सूचना केवल १०३ विकास खण्डों के सम्बन्ध में है, बाकी १६ खण्डों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

Page No.26

श्री भीमसेन : क्या वह सूचना प्राप्त नहीं हो रही है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

बांदीकुई राजकीय उच्च पाठशाला में साइन्स व कॉमर्स कक्षाएं

३६४. श्री पी० के चौधरी : (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी की अनुपस्थिति में) : Will the Minister for Education be please state:-

(a) Why has it not been possible to open Science and Commerce classes at the Government High School, Bandikui so far ?

(b) Is the Government aware that a large section of the residents of Bandikui Madhoganj are business men and, therefor, the demand for Commerce classes at Bandkui is very acute ?

(c) Is the Government also aware that the shortage of accommodation in this school has been further removed by the construction of eight new spacious rooms this year ?

(d) If so, is the Government prepared to open Science and Commerce classes in this school from the next session ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नाई): (a) The general policy in this connection is that new subjects are started where public contribution to meet the contingent charges and sufficient number of students for the subject are availble. So far there has been no such demand either from the Headmaster of the school or the public.

(b) Yes, but the public should contribute typewriters and furniture.

(c) Yes.

(d) It may not be possible to start both the subjects from the next session at a time. Commerce can be started provided funds for purchase of typewriter machines and furniture are available from the public.

ओजा तालाब, जोधपुर

३६५. श्री सूरजमल (फलोदी. सु.) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जोधपुर शहर के समीप ओजा नाम का कोई तालाब है ?

(२) यदि हां, तो उस तालाब के आसपास कोई पिछड़ी व आदिवासी जातियों व हरिजनों की बस्ती है ?

(३) क्या उपरोक्त तालाब का सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को और क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि इस तालाब में पिछड़ी हुई जाति व आदिवासी व हरिजनों के अलावा सभी कौम के लोग नहाते-धोते हैं ?

(५) इस तालाब में उपरोक्त जातियों के लोगों को रोकने का क्या प्रयोजन है ?

उप समाज कल्याणमंत्री : (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी हां ।

Page No.27

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(२) जी हां, तालाब के पास निम्न बस्तियां बसी हुई हैं :

१. भील बस्ती २. मेहतर बस्ती. ३. मेघवाल बस्ती।

(३) जी हां, श्री फतहराम के नाम है। उनके वंशज श्री श्यामसुन्दरलालजी जिन्दा हैं। ये उनको धर्मार्थ में मिला हुआ है।

(४) अन्दर तो किसी भी वर्ण का व्यक्ति नहीं नहाता और बाहर नहाने से रोकने के खिलाफ किसी आदिवासी व हरिजन की तरफ से शिकायत नहीं आई।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर प्रश्न के भाग (४) का दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि उस तालाब के अन्दर किसी को नहाने-धोने की मनाही है, लेकिन मंत्रीजी को जानकारी देना चाहता हूँ कि उसके अन्दर नहाना तो अलग रहा बच्चों के रद्दी से रद्दी पोतड़े तक उस तालाब में उच्च जाति के लोग धो सकते हैं, लेकिन हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़ी जाति के लोगों को बाल्टी से पानी लेकर भी नहाने नही देते उस पर भी मंत्रीजी उत्तर देते हैं कि किसी भी जाति के लोग नहा सकते हैं, इससे मुझे बड़ा अफसोस होता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तालाब प्राइवेट है और एक व्यक्ति के पट्टे में है। हरिजन होने के नाते या पिछड़ी जाति होने के नाते वहां नहाने नहीं देते हैं तो हम उसकी इन्क्वायरी करवा सकते हैं।

श्री सूरजमल : पोतड़े तक उसमें धोते हैं, उनसे तो हरिजन बेकार नहीं हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां पोतड़े तक धोते हैं, उसमें आपके लिए नहाना उचित नहीं है।

श्री सूरजमल : सभी उच्च जाति के लोग उच्च से उच्च ठेकेदार आदि उसमें नहाते हैं तो हम भी क्यों नहीं नहा सकते ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन

श्री लादूराम : इसका संतोषजनक उत्तर न देकर इसको टाल दिया है, हरिजनों का प्रश्न है इसलिए न ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करवाई जायगी।

गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, माधोगंज, बांदीकुई

३६७. **श्री पी०के० चौधरी** (श्री विश्वनाथ जोशी की अनुपस्थिति में) : Will the Education Minister be pleased to State:—

(a) What is the total sanctioned strength of the teaching staff at the Government High School in Mabhoganj, Bandikui ?

(b) What is the total number of teachers working in this Schcol at present, besides the Head Master ?

(c) Who is responsible for the shortage of staff in this institution and for the losses sustained by the students ?

(d) What action has the Government taken so far against the person responsible for it ?

(e) When it is proposed to make good the present shortage of staff ?

Page No.28

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (a) The total sanctioned strenth excluding the Headmaster is 16.

(b) 17,

(c) The question does not arise.

(d) The question does not arise.

(e) The question does not arise.

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह

(अनुपस्थित)

१२. ४ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राजा मानसिंह ने दिनांक ३-११-५८ से दिनाक ८-११-५८ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की है । क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(विराम)

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई ।

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय........

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी,पश्चिम): On a point of order, Sir, the other day there was an adjournment motion from Hon. Shri Bhairon Singh and it was read out to the House; today I have moved an adjournment motion, but your honour does not even read it.

श्री अध्यक्ष : That is not even of that much importance,

श्री अर्जुनदास : It should be read only...

श्री अध्यक्ष : It is not necessary that I should read out all the adjournment motions.

श्री अर्जुनदास : Either all should be read out or none,

श्री अध्यक्ष : No, I have to be Selective.

१२.७ म० प०

राजस्थान बिक्री कर निर्धारण तथा वसूली (वैधकरण) विधेयक, १९५८

(पुरःस्थापन)

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स एसेसमेन्ट एंड रिकवरी वेलिडेटिंग बिल. १९५८ को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में शॉर्ट स्टेटमेन्ट मंत्रीजी की तरफ से होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : किस बात के लिए ?

श्री भैरोंसिंह : किस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा लेना चाहते हैं, वह विधेयक क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसका कारण साथ में दिया हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिये। कारण जो दिए हैं वे तो हमने पढ़ लिए, लेकिन आपको भी मालूम है या नहीं, यह तो बता दें ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सीधा सा कारण तो यह है···

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (अपना भाषण जारी रखते हुए) : सेल्स टैक्स लगाया गया उसके बाद एक सवाल खड़ा हुआ कि बाहर से जो व्यापारी यहां पर माल भेजते हैं उस पर जो सेल्स टैक्स लगता है राजस्थान की हद में, उसका फर्स्ट पोइन्ट कौन सा है । यह संदेह प्रकट किया गया । अपनी सरकार यह मानकर चल रही थी कि अपने यहां बाहर के व्यापारी ने पहले माल बेचा और जिसको बेचा उसने दूसरे को बेच दिया। राजस्थान की हद में पहले व्यापारी ने दूसरे को बेचा तो उस बिक्री पर हमने सेल्स टैक्स लगाया। संदेह यह पैदा हुआ कि बाहर से माल भेजा, पहली बार राजस्थान के निवासी को बेचा तो फर्स्ट पोइन्ट वही हो गया। इस प्रकार का जो संदेह हुआ उसके निवारण करने के लिए एक आर्डिनेन्स लागू किया गया, अब उसे हटाकर यह विधेयक लागू किये जाने के लिये यह बिल लाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)
आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ और अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ ।

विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक ।

१२.६ म. प.

राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

(विचार-विमर्श एवं पारित)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पंचायत (सेकिन्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री भोगजीभाई (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय,मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति को दिये जाने के लिये प्रस्ताव करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत विधेयक के संशोधन में यह बताया गया है कि कुछ पंचायतों के नाम बदल दिये जांय। इतना ही इस संशोधन में बताया गया है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार ने जो पंचायतों का निर्माण किया है उसके द्वारा लोकमत के आधार पर एक पंचायत प्रणाली हमारे ग्राम पंचायतों के द्वारा अपनाई है। इसके विषय में किसी भी धारा के द्वारा यह निर्धारित नहीं किया गया है कि कम से कम इतनी जन-संख्या के आधार पर पंचायत का निर्माण किया जाय। इस संशोधन में यह नहीं बताया

(श्री मोगजीभाई)

कि तीन हजार या पांच हजार या दस हजार की जनसंख्या पर पंचायत बनाई जाय ।

दूसरी बात यह है कि पंचायतों का जब निर्माण किया गया तो उस समय सरकार ने कोई ऐसा ध्यान नहीं रखा है कि एक जिले से दूसरे जिले की पंचायतों के गांव इधर के उधर मिला दिये गये और इस प्रकार से जनसंख्या का ध्यान नहीं रखते हुए पंचायतों का निर्माण किया गया है । इसमें कहीं पांच हजार, कही दस हजार और कहीं सात-आठ हजार की जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का निर्माण किया गया है । तो १०-१०, १५-१५ मील तक तक लोगों को इधर उधर जाने में, पंचायतों में जाने में बड़ी कठिनाई होती है । इसलिए इस पंचायत संशोधन पर सरकार ऐसा संशोधन करे कि पंचायतों का ऐसा एरिया कायम करके, उस तहसील के अन्तर्गत आने वाले गांव और पंचायत में आने वाले गांवों के अन्दर जो पटवारी सर्किल हो, उन पटवारी सर्किल के आधार पर ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाय । इस पर विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह हेकि ग्राम पंचायतों के चुनाव में इस प्रकार से धांधलेबाजी की जाती है । इसलिये जो पंचायत के चुनाव की प्रणाली है, हाथ ऊंचे उठा कर वोट लेने की, उसमें तरमीम की जाय और पंचायतों के चुनाव की प्रणाली मतदान की हो और इसके लिए इस बिल में प्रोविजन रखा जाय, पंचायतों के चुनाव में मतदाताओं को गुप्त वोट देने का प्रोविजन रखा जाय । हमारे गांवों में देश के आजाद होने के साथ ही पंचायती राज्य की स्थापना होने का, गांवों में देहाती राज्य की स्थापना होने का पुराना सपना था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है । सरकार ने इस प्रकार की नाम मात्र की आजादी पंचायतों का निर्माण करके, लूले लंगड़े अधिकार देकर, दे रखी है. उसमें किसी प्रकार का, कोई ऐसा पंचायत को अधिकार नहीं है, जिसका पंचायत स्थाई रूप से प्रयोग करके उस पंचायत का संचालन कर सके । पंचायत का संचालन करने के अधिकार के साथ ही उन्हें सरकार द्वारा किसी प्रकार धन राशि लेने या आमदनी करने का अधिकार नहीं दिया गया है । उन्हें सिर्फ यह अधिकार दिया गया है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार पंचायत गांव में टैक्सेज़ वगैरह लगा कर आमदनी करले और दूसरा अधिकार है उसके अन्तर्गत जुर्माना वसूल करके पंचायतों का संचालन कर सके और पंचायत को चला सके । अगर पंचायत की इस प्रकार से आमदनी नहीं हुई तो पंचायत का काम ठप्प हो जाता है और पंचायत नहीं चल सकती । इस कारण पंच लोग और सरपंच लोग खुले आम अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं । जहां हम इस प्रकार का फैसला करते हैं कि जनता को सस्ता न्याय दें, लेकिन हम पंचायतों को किसी प्रकार का अधिकार न दें, पंचायतों को स्थाई रूप से चलाने के लिए, तो सस्ता न्याय जिसे आप जनता को देना चाहते हैं, वह मखौल बन कर हवा में उड़ जाता है । इसलिए पंचायतों को स्थाई रूप से चलाने के लिए अधिकार देना होगा । पंचायत क्षेत्र से जो आमदनी होने वाली है, चाहे वह लगान के रूप में हो, जंगल से होने वाली हो, किसी प्रकार की आय पंचायत क्षेत्र से होने वाली हो, और जो रकम इस प्रकार खजाने में जमा

(श्री भोगजीभाई)

हो, उसमें से आठ आना हिस्सा पंचायत क्षेत्र को दीजिये ताकि वह पंचायत स्थाई रूप से चल सके और हर प्रकार के विकास कार्य में आगे बढ़ सके। और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। चाहे स्कूल भवन बनाना हो, चाहे और किसी प्रकार का विकास का कार्य करना हो, सड़कें बनानी हो, इन सब कार्यों को करने में और अच्छी तरह से प्रबन्ध करने में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे पंचायत अपनी जिम्मेदारी के साथ ग्रामों का इस प्रकार विकास कर सके। लेकिन आज तक सरकार ने इन पंचायतों का खयाल न करते हुए उनके साथ मखौल कर रखा है। इसलिये इस बिल में ऐसा अधिकार देने के लिए, इस पर विचार करने के लिए, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसे प्रवर समिति में भेज कर इस पर पुनः विचार किया जाय। हमारी राजस्थान सरकार ने पंचायत सम्मेलन बुला कर पंचों से सुझाव लिये और उन सुझावों को राज्य सरकार ने और मंत्री महोदय ने कहीं ताख में रख दिये। इस पंचायत सम्मेलन में जो सुझाव दिये गये, आज तक उनके आधार पर काम नहीं किया जा रहा है। जो पंचायतों को मिलने वाले अधिकार हैं, उनको पंचायत को न देकर, पंचायत क्षेत्र की जनता के अधिकारों का हनन करके, वास्तव में उनको अधिकार देने का मखौल बना रखा है। इसलिए इस पर विचार किया जाय कि पंचायतों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिये? पिछली साल नवम्बर में मुख्य मंत्रीजी पधारे थे और राजस्थान पंचायत सम्मेलन का नाटक रचा गया था और उसमें से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पंचों की तरफ से रखे गये थे, पंचायत कानून में तरमीम करने के लिए, पंचायत की अवधि बढ़ाने के लिए, पंचायतों के पंचों का समय निर्धारित करने के लिए तथा भत्ते को निर्धारित करने के लिए। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा पंचों और सरपंचों को कुछ वायदे भी किये गये थे, लेकिन आज तक उनके पूरा करने के लिए ऐसा कोई नया कदम नहीं उठाया है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए जो हमारे गांवों की जनता का, पंचायती राज्य का, भविष्य के उज्वल पंचायती राज्य का सपना था, आज तक वह सपना पूरा नहीं हुआ है। अगर हम पंचायत कानून में तरमीम करके इस प्रकार के अधिकार देकर, पंचायतों के भविष्य को उज्वल करने के लिए, विकास और निर्माण कार्यों में उन्नति करने के लिए कदम उठायेंगे तो गांवों के किसानों की, आम जनता की जो मांग है वह आसानी से पूरी हो सकती है, उसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पंचायत कानून बना कर हमने लोकमत के आधार पर, नई प्रणाली के आधार पर, प्रजातन्त्र शासन को मतदान द्वारा स्थापित करने की व्यवस्था की है, लोगों को समय पर सस्ता न्याय मिले, वे अपने गांवों का विकास और उन्नति कर सकें, और अपने को स्वावलम्बी बना कर जिम्मेदारी से आगे कदम बढ़ा सकें, इसलिए इस कानून को बनाया है, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें इस प्रकार के कानून में उलझा रखा है और लूले लंगड़े अधिकार दिये हैं, जिनके कारण पंचायतें आज तक तरक्की नहीं कर सकी हैं और पंचायतों को प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई है उन्नति करने के लिए, अतः पंचायतों को जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को पंचायतों को समझाते हुए, पंचायतों को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ायें, लेकिन सरकार की तरफ से विकास

(श्री मोगजीभाई)

के सम्बन्ध में ऊपर से बड़ी बड़ी योजनायें बना कर, उन योजनाओं को सफल करने के लिये, पूरा करने के लिए, जो काम करना है, वह काम पंचायतों पर लाद देते हैं। पंचायतों से एक प्रकार बेगार ली जाती है कि तुम्हें इस प्रकार का श्रमदान करना होगा। दिल्ली से जो योजनायें बन कर आती हैं, उन्हें उनके ऊपर लाद कर काम लिया जाता है, लेकिन सरकार पंचायतों को अधिकार देने में हिचकती है और पीछे कदम उठा रही है। हमें चाहिये कि हम ऊपर की योजनाओं को न मान कर नीचे की योजनाओं को मानें और उनकी मनोभावना के अन्दर ऐसी भावना पैदा करें जो कि योजनाओं को सफल करने के लिए जरूरी है।

१२. १७. म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उन्हें इस प्रकार के अधिकार देकर उन्हें योग्य बनना है और गांवों को सुनहरी नई हरियाली में देखना है। यदि उनके द्वारा उनके पूरे अधिकारों का प्रयोग कराना है तो सरकार को नियम बनाने होंगे जिससे उन नियमों के अनुसार पंचायतें चलें। आज जो भ्रष्टाचार फैला है वह क्या है ? राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के कानून बनाये हैं जो कि ऐसे हैं कि कोई भी कितना खुल कर भ्रष्टाचार करे, चोरी करे लेकिन साबित नहीं हो सकती और सरकार उन पर किसी प्रकार का कदम नहीं उठा सकती। ऐसे कानून हैं जिन कानूनों में लूले लंगड़े प्रोविजन रखे हुए हैं। इसके साथ ही कानूनों का कड़ाई के साथ पालन नहीं होता। नियम कानून के अन्तर्गत बनाये जाते हैं, लेकिन उनके अनुसार कार्य नहीं किया जाता। पंचायत राज्य कायम करने के लिए, सस्ता न्याय दिलाने के लिए, गांवों के विकास के लिए कहते हैं कि हमने आजादी दिला दी है, इस प्रकार का हम जो अखबारी ढंग से और दूसरे रूप में प्रचार करने का तरीका अपनाते हैं वह गलत है। इसलिये लोगों की जो प्रेरणा है, भावना है कि हमें उन पंचायतों में पूर्ण अधिकार मिलें तो मैं माननीय मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन के साथ मेरा जो प्रस्ताव है कि 'इसे प्रवर समिति को सौंप कर उनको पूर्ण अधिकार देने के लिये विचार किया जाय' उस संशोधन को मंजूर करेंगे, और प्रवर समिति को इसे सौंपेंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा भी इसी प्रकार का प्रस्ताव था, यह पहले आ गया है; इसलिए इसके समर्थन में मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ। यह पंचायत विधेयक का दूसरा संशोधन रखा गया है। पंचायत एक्ट को देखते हैं तो मालूम होता है कि वह बहुत दोषपूर्ण है और इसमें अनेकों संशोधनों की आवश्यकता है। छोटे छोटे संशोधन रख कर संशोधन करना चाहेंगे, अलग अलग पीसेज में संशोधन करना चाहेंगे, तो जितने प्रकार के संशोधन होने चाहिये वह नहीं होंगे।

ये संशोधन रखे गये हैं, उनकी भावना यद्यपि ठीक है, पर मूल एक्ट के साथ साथ पढ़ते हैं तो और दूसरे प्रकार के संशोधन और समझ में आते हैं जो करने आवश्यक हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायतों में कई प्रकार की गड़बड़ियां चलती हैं। यदि किसी जाति विशेष का पंचायत पर कब्जा हो जाता है तो उस गांव में जहां उन लोगों की

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मेजोरिटी है, पंचायत को उस ओर ले जाना चाहते हैं। इस प्रकार के कितने ही प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्री महोदय के पास आये होंगे और मेरी नज़र में भी हैं। किसी बड़े गांव में पंचायत हो इस बात की वे चिन्ता नहीं करते, जैसा कि पंचायत एक्ट में बताया गया है कि बड़े गांव हैं वहां पंचायतों के सेन्टर रखेंगे। पर वे इस बात की चिन्ता करते हैं, कि जहां उनकी जाति की आबादी ज्यादा है, उनका पटेल जिस गांव का रहने वाला है, उसी में पंचायत का हैड क्वार्टर रखना चाहते हैं। यह संशोधन लाया गया है कि सरकार पंचायत का हैड क्वार्टर बदल सकती है। पंचायत एक्ट में यह प्रोविजन है कि यदि मेजोरिटी ऑफ मेम्बर्स भी चाहें तो पंचायत के हैड क्वार्टर को बदल सकते हैं, इसका संशोधन जब तक नहीं कर देते, यह संशोधन करना व्यर्थ होगा। पंचायत एक्ट में यह है कि जो बड़ा गांव है उसमें पंचायत का हैड क्वार्टर रहे, लेकिन जहां किसी जाति विशेष का बहुमत पंचायत में आ जाता है तो वे लोग कह देते है कि हम तो पंचायत को हमारे गांव में ले जायेंगे। मैं इसकी एक मिसाल सदन के सामने रख देना चाहता हूँ। सिमरानियां गांव शाहबाद तहसील के कोटा के डिस्ट्रिक्ट में है,......

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो प्रश्न बहुत साफ है। This particular instance wherein persons are being advocated, they will get out of way. You will kindly refrain from discussing persons.

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें प्रश्न क्यों नहीं आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : I disallow that portion of the debate.

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें एक एडिशन है।

"The State Government may, from time to time by notification in the official Gazette, change the name of any such Panchayat."

मैं, यह नाम परिवर्तन की जो बात है उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिगवानी पंचायत है, वहां किराड़ जाति का बहुमत है, बड़ा गांव सिमरानियां पड़ता है, आपके डिप्टी पंचायत ऑफिसर से लिखवा दिया कि सिमरानियां में करें ....

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है कि इस पोइन्ट को डिस्कस नहीं किया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय : ठीक है, आपकी इच्छा है। प्रश्न तो इससे सम्बन्धित है। यह तो एक गांव का नाम मैंने बताया है। इसी प्रकार की कई नजीरें मैं पेश कर सकता हूं, इस प्रकार कई जगह स्थान परिवर्तन की मांग की गई है। ऐसी अवस्था में सरकार के हाथ में इस प्रकार का अधिकार दें, जैसे लिखा है : "The State Government may, from time to time, by notification in thh official Gazette, change the name of any such Panchayat.'.

तो पंच मेजोरिटी से कर सकते हैं, इसमें संशोधन नहीं आयेगा तब तक इस प्रकार का संशोधन करना कोई माने नहीं रखता। पंचायत एक्ट में धारा २ की उप धारा (३)

(श्री दयाकृष्ण विजय)

में पंचायत की डेफिनिशन में बताया है । धारा २ की उप धारा (३) है, उसमें यह है :–

"'Panch' means a member of a Panchayat."

अब इसमें एडीशन कराया हैं, other than the surpanch'तो 'सरपंच' की डेफिनिशन भी रखनी होगी । 'सरपंच' की परिभाषा नहीं है, यहां पंच को डिफाइन करते हैं, सरपंच की डेफिनिशन नहीं देते हैं तो यह खामी रहती है । तो यह संशोधन अपूर्ण है । जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे तो संशोधन नामुकम्मिल रहेगा । सैक्शन ४ में है : "Number of Panchas.-- A Panchayat shall consist of such number of Panchas, not being less than 5 or more than 15, as the State Government may think fit."

अब हम इसको धारा २ की निगाह से देखते है । पंच की डेफिनिशन धारा २ में दी है, वह यह है: 'Member of the Panchayat."

पंचायत की डेफिनिशन में जोड़ दिया पर other than the surpanch है तो यहां सरपंच की परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है, यह नहीं देंगे तब तक कहां रखेंगे ? इस तरह से ठीक है कि सरपंच को बढ़ाया है जैसा कि आपने उद्देश्यो और कारणों का विवरण दिया है, उसमें बताया है कि :

राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक मामले में यह निर्णय लिया है कि राजस्थान पंचायत एक्ट,१६५३ की धारा १६ की उपधारा (२) में प्रयुक्त शब्दों 'Total number of Panchas" में सरपंच भी शामिल है । इस निर्णय से राजस्थान की अनेक पंचायतों के संघटन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि उक्त एक्ट की धारा ४ के अधीन नियत की जाने वाली पंचों की संख्या में सरपंच को भी शामिल करने का अभिप्राय कदापि नहीं था ।

तो इस प्रकार के निर्णय को सर्पास करना चाहते हैं, हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र रखे हैं उनको गिराना चाहते हैं । जितने दावे, सूट किये गये हैं वे तो इस भाषा के अन्तर्गत ही निर्णीत किये जाने चाहिये । जिन लोगों ने हाई कोर्ट में दावे कर रखे हैं, उनको गिराने के लिये यह संशोधन लाना चाहते हैं वह न्याय की दृष्टि से उचित नहीं होगा । यह मामला सबजुडिस है । आपने एक मामले का उदाहरण दिया है, मैं और कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ । मैं बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में एक नहीं अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जिन पंचायतों के मेम्बर्स का प्रश्न आकर खड़ा हो रहा है, कितनी अपीलें और रिट रहे हैं, उनको खत्म करने के लिये यह संशोधन ला रहे हैं तो इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिये ।

फिर एक और धारा ८७ में संशोधन किया गया है, वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ । यह भी बिलकुल इससे संबंधित है । पंचायत का अगर आप नाम चेन्ज करना चाहते हैं और आप अगर उसका नाम चेन्ज कर देंगे तो जो ऑर्डर इश्यु होंगे उस नाम से, वह दूसरे नाम पर लागू नहीं रहेंगे । यदि आप नाम चेन्ज करेंगे तो उस नाम के साथ साथ आपको सभी बातों में ऐमेन्डमेंट करना पड़ेगा । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि धारा ८७ इस प्रकार है :

(श्री दयाकृष्ण विजय)

"Every panchayat shall, by the name notified in the Rajasthan Gazette, be a body corporate having perpetual succession and common seal and shall, subject to any restrictions and conditions imposed by or under this Act or any other law have power to acquire by purchase, gift or otherwise, to hold, administer and transfer property both movable and immovable and to enter into any contract, and shall by the said name sue and be sued."

जो एक नाम उन्होंने रख दिया है उसके द्वारा वे किसी के खिलाफ वाद प्रस्तुत कर सकते हैं या किसी पंचायत के खिलाफ अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि नाम बदलने का पॉवर देते हैं तो इस प्रकार का वाद यदि कोई करेगा तो फिर उसको अपने सूट में परिवर्तन करना पड़ेगा और इस परिवर्तन करने में बड़ी दिक्कत उठानी होगी। यदि कोई खास बात हो तो उसके लिए अलग बात हो सकती है। मगर इस प्रकार के संशोधन करने से नाम बदला जा सकता है। इस नाम बदलने से काफी परेशानी लोगों को हो सकती है और पंचायतों में लोग विश्वास भी खोते हैं। इसके अलावा आज कल पंचायतों में जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा है, जातिवाद की छाया पड़ी है। यदि किसी ने चाहा कि नाम बदलना है और वे सरकार के मर्जीदान हुए, वे अमुक स्थान से पंचायत को किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, चाहे वह पंचायत सेन्ट्रल प्लेस में ही हो या कोई उनका दूसरा मकसद हो, तो इस बात का ध्यान नहीं दिया जाएगा कि यह पंचायत सेन्ट्रल प्लेस में है और इससे लोगों को ज्यादा फायदा होता है और वे उस स्थान से पंचायत को दूसरे स्थान पर ले जायेंगे। मैं यह आपको निवेदन करूं कि कई ऑर्डर आपके यहां से पंचायतों को जाते हैं और एक कौम की उस पंचायत में मेजोरिटी होती है इस वजह से वे उसकी (ऑर्डर की) परवाह नहीं करते। वे कहते हैं कि सरकार हमारी है और हमारे आर्डर की हम लोगों को परवाह नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बात को हमें गंभीरता से सोचना और देखना चाहिए। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिए, चाहे सिलेक्ट कमेटी छोटी ही बनाई जावे। कई मामले सबजुडिस हैं इसलिए किसी पार्टी को नुकसान नहीं हो जाए इसलिए इन सारी बातों को गंभीरता से विचार करने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। मैंने पहले ही आपको निवेदन किया कि पंचायतों में अपीलादि करने के मामलों में बहुत खामियें हैं। पंचायत एक्ट में धारा ७५ के तहत चीफ पंचायत ऑफीसर कहता है कि मुझे सुनने का कोई अधिकार नहीं है। उसको डिस्ट्रिक्ट जज ही सुन सकता है। इसके अलावा जब सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावेगा तो बार बार इस पर विचार करना नहीं पड़ेगा और जब पंचायत एक्ट बहुत दोषपूर्ण है तो इसके दोष भी ठीक हो जावेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष, अब मैं...

श्री उपाध्यक्ष: इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये एक घन्टे के समय की

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यवस्था की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना भाषण देना है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किसी बिल के सम्बन्ध में खास तौर से उसमें खामियां होती हैं उस पर ऑब्जेक्शन करने के लिये समय लगता ही है। यदि इसके लिये समय निर्धारित हो जाता है तो मैं यह कहूँगा कि इससे बहुत नुकसान होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी सूचनार्थ बता देना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ऐसा निश्चय किया है।

(विराम)

मैं आपके समय का पूरा ध्यान रखूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ पेश किया है। वह हमारे सामने ऑर्डिनेन्स के रूप में १० सितम्बर, १९५८ को आया था। इसके पहले माननीय राज्यपाल महोदय ने राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन बुलाने के लिये तारीख निश्चित कर दी थी। हमारी सरकार ने इस ऑर्डिनेन्स को इश्यू करने के सम्बन्ध में कारण दिया है उसमें कोई विशेष कारण नहीं बताया है, सिवाय इसके कि विधान सभा की उस समय कोई बैठक नहीं हो रही थी तथा इसी कारण से ऑर्डिनेन्स लाने की आवश्यकता हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां सरकार यह कारण बताती है कि विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा था तो इसके साथ साथ सरकार को यह भी बताना चाहिये था कि यदि ऑर्डिनेन्स जारी नहीं किया गया तो इतनी पंचायतों पर इसका असर पड़ेगा। यह तो बताना चाहिये था। पंचायतों में गड़बड़ी फैलेगी या इस तरह से नुकसान होगा इस प्रकार की कोई बात का उल्लेख नहीं होकर केवल इतना सा लिख देना कि राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन चालू नहीं था ऑर्डिनेन्स जारी किया जावे, मैं समझता हूं कि सरकार की यह कार्यवाही इस प्रजातन्त्र के युग आघात स्वरूप हो है। आप १० दिसम्बर, १९५८ को एक ऑर्डिनेन्स निकाल रहे हैं जबकि आपने २४ अक्टूबर, १९५८ को विधान सभा की बैठक बुलाने का निश्चय कर लिया था। मैं यह कहूंगा कि एक महीने में इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होने वाली थी जिसको रोकने के लिये आपको यह ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ा और जिसको रोकने के लिये स्वायत्त शासन मन्त्री ज्यादा चिन्तित हुए। अच्छा होता कि वे इस विधान सभा के अधिकार को छीनने की जो मनोवृत्ति हमारी सरकार में डेवलप हो रही है उसको रोकते। विधान सभा को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार कर अपनी अनुमति दे। मगर विधान सभा से अनुमति न लेकर आपने ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया। हमारी सरकार विशेष विचारधारा से बाध्य है। विधान सभा में सरकार की ओर से जबर्दस्ती किसी चीज को इम्पोज करने की व्यवस्था है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था के कारण पिछले छः महीनों में ६ ऑर्डिनेन्स जारी हुए। इसीलिये कि विधान सभा की बैठक नहीं हो रही थी। यदि सरकार ने यह एक बहाना निकाला तो कम से कम स्वायत्त शासन मन्त्री, जो लेजिस्लेटिव बॉडी के भी मन्त्री हैं, इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स न निकाल कर राजस्थान विधान सभा की बैठक बुला लेते तो कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहां ऐसे

(श्री भैरोंसिंह)

राजनैतिक कारण हैं जिन कारणों से विधान सभा की बैठक नहीं बुलाई गई। राजनैतिक कारण हो सकते हैं लेकिन जहां तक विधान सभा के अधिकारों का सवाल है उसको छीनने के बारे में यदि कोई प्रयास होता है तो, माननीय उपाध्यक्ष, मुझे खेद है कि यह उचित नहीं है। यदि विधान सभा के अधिकारों को छीनने की मनोवृत्ति धीरे-धीरे डेवलप होती रही तो राजस्थान विधान सभा के सदस्य उन अधिकारों को बचाने के लिये कोई बात बाकी बचा कर नहीं रखेंगे।

जहां सरकार कहती है कि यह छोटा-सा बिल है जिसे वह ऑर्डिनेन्स के रूप में हमारे सामने रख सकती है। यदि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स विधान सभा में लाकर रखना आवश्यक नहीं हो तो वह भी हमारे सामने आते नहीं। विधान सभा का अधिवेशन छः महीने में बुलाने का प्रोविज़न है। उसमें ऑर्डिनेन्स को रिपील किया जा सकता है। जहां तक इमर्जेन्सी अराइज होने का सवाल है, जिन परिस्थितियों के कारण ऑर्डिनेन्स लाना आवश्यक हो वहां तो लाया जा सकता है और लाना भी चाहिये। लेकिन जिस बिल के अन्दर किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति नहीं है तो उसके लिये इस प्रकार के ऑर्डिनेन्सेज इश्यू करने की क्यों नौबत आ गई? इसका उल्लेख स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में भी नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है। राजस्थान पंचायत एक्ट के अन्तर्गत जिनमें पंचों की संख्या की व्यवस्था की गई उसमें सरपंच भी शामिल है। हमारी सरकार की मन्शा यह है कि उसमें सरपंच शामिल नहीं है। इन दोनों बातों के झगड़ों के लिये राजस्थान हाई कोर्ट में कई व्यक्तियों ने पंचायतों के विरुद्ध रिटें पेश की जो फैसला हुआ उसमें पंचों की संख्या के अन्दर सरपंच भी शामिल किया गया है जिसे सरकार पसन्द नहीं करती, इसीलिये सरकार द्वारा संशोधन करना आवश्यक समझा गया। सरकार ने इस एक्ट में पंचों की संख्या निर्धारित की है उसमें यह व्यवस्था दी है कि एक पंचायत में कम से कम ५ सदस्य और अधिक से अधिक १५ सदस्य होंगे।

अब प्रश्न यह है कि हमारी सरकार राजस्थान विधान सभा से इस पंचायत संशोधन बिल को पास करवा कर इस प्रकार की व्यवस्था करवाती है कि एक पंचायत में कम से कम पांच और ज्यादा से ज्यादा १५ सदस्य होंगे। सवाल यह आता है कि उसमें सरपंच भी शामिल है या नहीं? राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उससे सरपंच का सवाल हल हो गया। लेकिन सरकार चाहती है हमने जो कुछ कर दिया, वह होना चाहिये। इसलिये सबसे पहला तरीका जो अपनाया, वह यह कि ऑर्डिनेन्स इश्यू करवाया गया। दूसरा तरीका यह अपनाया गया कि जब से हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसके अनुसार जब से एक्ट बना उस दिन से इसका असर नहीं होगा। गलती हो गई लेकिन उसका प्रभाव जिस दिन से यह एक्ट लागू हुआ था उस दिन से न माना जाय यह सरकार की मन्शा है। सरकार तो कोई गलत काम करे और उसका खमियाजा जनता उठाये। अगर कोई उठाना न चाहे और न्याय की प्राप्ति के लिये कोई हाई कोर्ट की शरण में जावे तो हमारी सरकार जिस कानून को ५३ में पास कर देती है उसमें संशोधन सन् ५८ में करती है और वह भी इस प्रकार का संशोधन कि अब तक सन् ५३ से ५८ तक जो कुछ गलतियां कीं, उन गलतियों को दुरुस्त करने का तरीका आज से ही हो सकता है। आज

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी गलती नजर आयी तो उसे हम आज से ही दुरुस्त कर सकते हैं। यह हमारी सरकार का अजीब तरीका है। आज गलती दुरुस्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। हमारी गलती से जनता परेशान हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे लागू करेंगे सन् ५३ से। इस पर एक माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैं भी इसको आवश्यक समझता हूँ। हमारी राज्य सरकार की मन्शा है कि पंचों की संख्या १५ नहीं होनी चाहिये और सरपंच को अलग मान लिया जायगा तो इस तरह से १६ पंच होंगे। माननीय स्वायत शासन मन्त्री को यह मालूम होगा इसमें एक प्रोविजन और है और वह प्रोविजन इस प्रकार का है—जिस पंचायत के अन्दर कोई हरिजन सदस्य नहीं है वहां सरकार को यह अधिकार दिया गया है हरिजन सदस्य को नोमीनेट कर दे। आज एक नहीं, सैकड़ों पंचायतें ऐसी हैं जिनमें १५ पंचों का चुनाव हो गया, सरपंच का चुनाव हो गया, उन पंचों के अन्दर हरिजन सदस्य नहीं चुने गये तो सरकार को अधिकार है कि सरकार हरिजन सदस्य को नामजद कर दे। जब १५ से ज्यादा पंच नहीं हो सकते, लेकिन आज भी हरिजन सदस्य होने चाहिये इस कानून के अनुसार, तो १५ के अलावा १६ वां सदस्य भी लिया जाता है। जिन पंचायतों के अन्दर हरिजन सदस्य हो गया फिर भी हरिजन नाम से एक एक सदस्य को अपोइन्ट कर दिया गया। ऐसी स्थिति के अन्दर जहां पक्षपात की स्थिति हो वहां कानून की स्थिति का प्रश्न आता है, तो निश्चित रूप से उसकी यह मन्शा है १५ से ज्यादा संख्या एक्सीड नहीं करनी चाहिये। जिसमें हम एक व्यक्ति को नामजद करते हैं उसका भी समावेश उसमें करना चाहिये। आज हम पहले से कह नहीं सकते किसी पंचायत के अन्दर हरिजन पंच होगा या नहीं। जिस दिन चुनाव की तारीख घोषित करते हैं, वार्ड्स बनाते हैं, उसके साथ ही हम पंचों की संख्या भी निर्धारित कर देते हैं कि पंचों की संख्या १५ होगी, तो पन्द्रह का ही चुनाव होगा। कोई हरिजन नहीं आया तो उस स्थिति के अन्दर सरकार नामजद करेगी वह व्यक्ति सोलहवां हो गया। धारा ४ के अन्दर संशोधन लाया जा रहा है उसके विपरीत कार्यवाही होगी। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से निवेदन करूंगा यह बिल वैसे तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसके कारण कई पंचायतें प्रभावित होंगी। फिर लोग हाई कोर्ट में जायेंगे इस प्रश्न को लेकर कि १६वां सदस्य ले सकते हैं या उन्हीं १५ में ही इसे भी शामिल कर लिया गया। अब तक जो एम्बिग्विटी बनी हुई है उसके लिए इन्टरप्रिटेशन हाई कोर्ट के जरिये लेने से पहले, मैं स्वायत शासन मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इसमें संशोधन करके इसका भी स्पष्टीकरण करें। दो दिन के लिये ही सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, लेकिन भेजा अवश्य जाय। पंचों की संख्या से सम्बन्धित क्लॉजेज़ पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज देते हैं और उसकी रिपोर्ट ले लेते हैं तो हमारे सामने अच्छे सुझाव आ सकते हैं। इसलिये फिर स्वायत शासन मन्त्री से निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव को वे स्वीकार कर लें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट इतना सीधा और बेगुनाह था कि मैं नहीं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

समझ पाया कि इस पर भी इतनी लम्बी चौड़ी बहस की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : आपकी समझ में देरी से आता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपसे तो ज्यादा पढ़ा-लिखा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : पढ़े-लिखे तो हैं किन्तु आपके समझ में आती नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं माननीय सदस्य की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की बातें कहते हैं जो उनको नहीं चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): आपको और ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों की जरूरत हो तो मेरे कामदार ज्यादा पढ़े-लिखे हैं उनको भी भेज दूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने उन्हीं कामदारों के भरोसे राज चलाया तभी तो आपका राज चला गया और कुछ कहिये ?

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई कुछ नहीं कहेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बिल इतना छोटा और सीधा सा था कि इस पर ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी विचार जाहिर किये गये और यह प्रस्ताव पेश किया गया कि इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। इसको लेकर लम्बी-चौड़ी बहस की गई, पंचायतों में भ्रष्टाचार, पंचायतों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग आदि पंचायतों के सम्बन्ध में जो भी कुछ बातें कहनी चाहिये थी वे सारी कह दी गई, लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि यह अमेन्डमेन्ट क्यों रखा गया ? इसके बारे में किसी ने कोई दलील नहीं दी।

इसके बाद दूसरी दलीलें भी दी गई। उनमें एक बात कही गई कि सरपंच की डेफीनिशन नहीं है इसलिए अगर सरपंच की की डेफीनिशन नहीं होगी तो यह बिल अधूरा रहेगा। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूं कि इस एक्ट की धारा १३ है उसमें सरपंच कौन होगा, सरपंच किस तरह से चुना जायगा, ये सारी बातें दे रखी हैं। दफा १३ के बाद अधिक बाद कहने की आवश्यकता नहीं रहती।

इसके बाद दूसरी दलील दी गई कि मौजूदा जो केसेज़ हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उनकी वजह से यह सारा किया जा रहा है। दूसरी एक दलील यह भी दी गई कि नाम बदलने के लिये दफा ८७ का दुरुपयोग होगा। पर इसके पक्ष में मेरी भी यही दलील है। आज मौजूदा कानून में नाम बदलने का अधिकार नहीं है। आज किसी पंचायत में दस गांव हैं, पर उसका सेन्टर एक कौने के गांव में है, आप लोग भी और कई लोग, तथा वहां के लोग भी कहते हैं कि सेन्टर में होना चाहिये, कौने में नहीं, पर आज के कानून के हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों के कहने पर यह अमेन्डमेंट लाया गया और अब जब लाया गया तो उसका विरोध किया जा रहा है। अब इस तरह से सरकार द्वारा दुरुपयोग करने के वहम का कोई इलाज दुनियां में नहीं है, न होने वाला है। आप ही कहते हैं कि सेन्टर बदलने का प्रोविजन इसमें कराइये और अब जब कराया जा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

रहा है तो विरोध कर रहे हैं । यह मैं पहले जानता भी था कि जब तक नहीं कराया जावेगा तब तक इसमें बहुत खामियां रहेंगी, इसको कन्सोलिडेट कराया जावे इस तरह से कहा जावेगा, मैं जानता हूं कितने माननीय सदस्यों ने इसके लिये मुझे कहा और यह भी मैं जानता था कि जब कराया जावेगा तो ये ही सदस्य विरोध करेंगे । तो यह आप तय कर लीजिये कि चाहे पंचायत सुधरे या बिगड़े ? इसमें सरकार का हाथ नहीं है । मैं तो सदन के एक नुमाइन्दे की हैसियत से अमेन्डमेन्ट पेश कर रहा हूँ । पर यह विचारने की बात है कि इससे पंचायत का नुकसान है या फायदा।

एक दलील यह दी गई कि ऑर्डिनेन्स की जरूरत नहीं थी । मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि अगर यह ऑर्डिनेन्स गलत था तो हाई कोर्ट में इसे चैलेन्ज करते । सरकार को कान्स्टीट्युशन के अन्तर्गत अधिकार दिया हुआ है । तो इसे जब तक कोर्ट में चैलेन्ज न किया जाय तब तक यह कह देना कि सदस्यों के अधिकारों को सरकार ने ले लिया तो यह उचित नहीं है । उस समय सदन चालू नहीं था । सदन के चालू होते ही इसे सदन के सामने रख दिया गया है । अब अरजेन्सी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं । हमने गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल से डिस्कस किया । उनकी राय थी कि यह अमेन्डमेन्ट जल्दी कर दिया जाय,वरना पंचायतों के गठन में दिक्कत आने वाली है और बहुत सी पंचायतें इनवेलिड होने वाली हैं । अब एक तरफ यह कहा जावे कि इनवेलिडेशन हों और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि दुरुपयोग होगा, या हुआ, तो ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलने वाली हैं । या तो यह कहिये कि हमने ठीक किया या फिर यह कहिये कि पंचायतों को इनवेलिड हो जाने दिया होता ।

अब यह भी मामला उठा क्यों, यह मैं बता देता हूं । एक मामला हाई कोर्ट में गया । उसमें एक सरपंच के प्रति अविश्वास का प्रश्न था । कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ¾ (थ्री फोर्थ) के हिसाब से जो पास होने का प्रोविज़न है उसमें सरपंच भी शामिल होता है । हमने प्रोविज़न में सरपंच को शामिल नहीं गिना था । अब जब हाई कोर्ट का निर्णय हो गया तो हमें उसे मानना पड़ा । उसमें किसी तरह की गड़बड़ी करने की सरकार की मंशा नहीं है, और वह फैसला अभी कायम है ।

श्री भैरोंसिंह : आपके इस अमेन्डमेन्ट से वह फैसला प्रभावहीन हो गया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप इसे लागू कर रहे हैं इसलिये हो गया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इससे तो यह होगा कि पंचसरपंच का प्रश्न ठीक होगा । अविश्वास के प्रस्ताव के लिये दूसरा प्रोविज़न है । तो अब जब यह फैसला हुआ कि सरपंच भी शामिल हो सकता है तो हमने जो पहले ५ से १५ तक पंचों का प्रॉविज़न रक्खा और उसमें सरपंच को हमने शामिल नहीं किया तो ठीक बैठता था । एक तरफ सात आते और एक तरफ आठ आ जाते । पर अब जब सरपंच को भी शामिल करने की बात कोर्ट ने कही तो १५ के बजाय १६ मेम्बर हो जाते हैं । जिससे सारी पंचायत का फॉर्मेशन ही इल्लीगल हो जाता है । हमने सरपंच की डेफिनिशन पहले अलग रखी थी । इसके

Page No.41

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

साथ हरिजन सरपंच के बारे में भी दिक्कत होती। १५ के अलावा हरिजन पंच नोमिनेट होते हैं। अब साथ ही मैं यह अर्ज कर दूँ कि इस फैसले के आ जाने के बाद तो हमने १५ के बजाय १४ कर दिया है। लेकिन फिर भी जो पंचायतें मौजूद हैं और जिनमें १५ पंच हैं उनके तो इनवेलिड हो जाने का डर था। तो यह एमर्जेन्सी थी और इसके कारण ऑर्डिनेन्स जारी किया गया।

अब वह कानून के रूप में आपके सामने पेश है। एसेम्बली खुलते ही हम इसे ले आये हैं। अगर ऑर्डिनेन्स नहीं जारी करते तो ये इनवेलिड हो जातीं और नाहक को लिटीगेशन के मामले बढ़ जाते।

इसलिये मैं बड़े अदब से माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि इसे जैसा यह है वैसा ही पास कर दें। सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मोंगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह स्पष्ट नहीं है। मेरे इस संशोधन को छोटा सा मानकर उन्होंने गोलमाल जवाब दिया है। पर मेरा अभिप्राय यह है कि इस एक्ट में कई बड़ी बड़ी खामियां हैं। उनको दुरुस्त करके इसको एक अच्छा कानून बनाने के लिये प्रवर समिति में भेजा जाना जरूरी है ताकि सारी ही खामियों पर एक साथ विचार कर लिया जाय। नहीं तो सरकार एक खामी आज ठीक कराएगी, कल दूसरी खामी नजर आवेगी तो उस पर कल अमेन्डमेन्ट और लावेगी, और ऑर्डिनेन्स जारी करेगी। तो इस सारे झंझट से बचने का एक अच्छा उपाय यह है कि इसे प्रवर समिति में भेज कर इसकी सारी खामियों पर एक साथ विचार कर लिया जाय। इसमें ग्राम पंचायतों को कितनी जनसंख्या का आधार बनाया जाय, किस पटवार सर्किल को कैसे शामिल किया जावे, या किसी तहसील के दूसरी तहसील में या एक सर्किल से दूसरे सर्किल में जो गांव आते हैं उनका क्या हल किया जावे, तो इन सब बातों का निश्चित निर्धारण करने के लिये यह जरूरी है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जावे। ताकि वहां के लोगों को पंचायत द्वारा अधिक से अधिक सुविधा मिले।

दूसरा यह था कि उसमें पंचों का चुनाव करने का किस प्रकार का तरीका होगा, उसमें चुनाव करने की प्रणाली किस प्रकार की होगी, यह बहुत जरूरी है और जो अधिकार पंचायतों को दिये गये हैं उनमें अच्छी तरह की सुविधा दें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस सुझाव को मन्जूर करते हुए इसको प्रवर समिति को सौंप दें तो यह बहुत लाभदायक हो सकता है। लेकिन माननीय मंत्रीजी ने कहा कि इसके जाने की जरूरत नहीं इसलिए नहीं दिया जाय। यह गलत है। इसलिए मेरा जो संशोधन है वह सही है और उसको मैं वापस नहीं लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (सेकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (सेकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

क्लॉज़ २ पर श्री भैरोंसिंह का संशोधन है।

१.१ म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I beg to move, "That the words" and shall be deemed always to have been inserted" be deleted.

उपाध्यक्ष महोदय, यह...

श्री उपाध्यक्ष : आप क्लॉज़ २ और ३ पर आपके अमेंडमेंट्स हैं उन दोनों को एक साथ ही मूव कर दें तो ठीक हो।

श्री भैरोंसिंह : उनका एक ही सेन्स है, उनका जो उत्तर आयेगा...

श्री उपाध्यक्ष : I presume you are moving both the amendments, 2 and 3.

श्री भैरोंसिंह : अभी एक ही अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं। उसका उत्तर मिलेगा, उसके बाद दूसरी दफा नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, move on please.

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय आ जायं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे मंत्री महोदय हैं। आप आरम्भ करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं वहां से भी सुन रहा था।

श्री भैरोंसिंह : यह मेरी बदकिस्मती है कि इस कानून पर बहस के आरम्भ में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री कुछ नाराज हो गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं नाराज कतई नहीं हुआ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : शुक्रिया इस बात का। डर से मैं थोड़ा सा कम्पित सा हो रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी परवाह नहीं करें। आप चलें।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि इस अमेंडमेंट में दो प्रश्न इन्वोल्व्ड हैं। ऑर्डिनेन्स इश्यू करने का जहां तक प्रश्न है, तो जिस तरह से माननीय मंत्रीजी ने बताया कि सरकार के सामने कुछ एमर्जेन्सी थी, वह चाहे मेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि में वह पर्याप्त कारण था, जिसके कारण ऑर्डिनेन्स इश्यू किया गया। लेकिन अब दूसरा प्रश्न आता है कि हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ उस फैसले को हम प्रभावहीन करते हैं या वह फैसला उसी रूप में लागू होगा, और इसके साथ में दूसरा प्रश्न यह है कि उसी प्रकार के केसेज़ जो सन् ५३ से लेकर ५८ तक बने या बनने वाले हैं या जिसके कारण से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का लाभ या हानि हो सकती है, इन सब बातों के ऊपर इस विधेयक का क्या प्रभाव होने वाला है। हम कोई कानून हाई कोर्ट के निर्देशन के बाद में बनायें तो यह हो सकता है कि जिस दिन हाई कोर्ट का कोई जजमेंट हो, जजमेंट के द्वारा कानून की कमी हमारे सामने आये, तो उस कमी को दूर करने के लिए हम भविष्य के लिए कोई कानून बना दें, यह एक बात समझ में आ सकती है। लेकिन जो

(श्री भैरोंसिंह)

कानून में कमी थी, और जो कमी हाई कोर्ट के किसी जजमेंट के द्वारा हमारे सामने आई है उसको जहां हम भविष्य के लिए लागू करें वह बात तो ठीक है, लेकिन पिछले पांच वर्ष के जमाने के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करें, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कानून के द्वारा और कानून से यदि कोई राहत पाने की कोशिश करें तो इस प्रकार की व्यवस्था से कभी भी उसको राहत नहीं मिल सकती है ।

पंचायत एक्ट की धारा २६ के अन्तर्गत सरपंच के खिलाफ यदि अविश्वास का प्रस्ताव आये तो उसमें व्यवस्था है कि टोटल नम्बर ऑफ पन्चाज़ (Total number of Panches) जो हैं उनका ३।४ नम्बर उस अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में मत दे दें, तो 'अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ' इस तरह का माना जायगा । कुछ व्यक्तियों ने इसके विरोध में हाई कोर्ट के अन्दर रिट पेश की कि जो व्यक्ति हैं, कुल टोटल नम्बर ऑफ पन्चाज़ हैं, उनमें सरपंच शामिल नहीं है । इस प्रकार के एक मामले को लेकर वे हाई कोर्ट में गये । हाई कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी कि नहीं शामिल हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि आज दिन जितने भी अविश्वास के प्रस्ताव सरपंचों के विरुद्ध आये हैं, और सरपंचों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आने पर हमारी सरकार ने जो यह कार्यवाही की है कानून नहीं बनने के कारण से कि पंचों के अन्दर सरपंच शामिल नहीं है, और इस स्थिति से उन प्रस्तावों को ठुकराया गया है, और अब उन सारे ठुकराये गये प्रस्तावों के ऊपर या तो सरकार को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि वे प्रस्ताव ठुकराये नहीं गये थे, और वे प्रस्ताव मान्य नहीं थे, लेकिन वे प्रस्ताव लागू हुए माने जायेंगे । माननीय स्वायत शासन मंत्रीजी ने कहा कि यदि सरकार के संशोधन को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं करते हैं तो उसमें कई कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे । मैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं, यद्यपि वे मुझसे पढ़े-लिखे ज्यादा हैं, फिर भी मैं यह बताने की, मैं समझता हूं, हिम्मत करता हूँ और मैं बतलाऊंगा कि यदि इस प्रकार के संशोधन के द्वारा उसको आपने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया तो उन बाकी के अविश्वास के प्रस्तावों का क्या हल होगा, जिन अविश्वास के प्रस्तावों को 'टोटल नम्बर ऑफ पन्चाज़' 'Total number of Panchs' में से सरपंच को एक्सक्लूड करके उस प्रकार के प्रस्तावों को ठुकराया गया था । आप यही कहेंगे कि इस प्रकार के संशोधन के पास होने के बाद या तो अविश्वास के प्रस्ताव सारे के सारे ठुकराये हुए माने जायेंगे, या आपको यह कहना पड़ेगा कि वे ठुकराये हुए नहीं माने जायेंगे । क्योंकि सरपंच शामिल नहीं था, इस कारण से सारे के सारे अविश्वास के प्रस्ताव को ठुकराये हुए माने जायेंगे, और इसका नतीजा क्या होगा कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ इन पांच वर्षों के अर्से में कभी किसी समय कोई अविश्वास का प्रस्ताव आया है, और उस अविश्वास के प्रस्ताव को आपने केवल इसी बिना पर ठुकरा दिया कि 'टोटल नम्बर ऑफ पन्चाज' में सरपंच शामिल नहीं था, तो उन अविश्वास के प्रस्तावों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ?

स्पष्ट रूप से कहूँ कि इसकी दो दिशाएं हैं । एक दिशा के अन्दर केवल यह कह कर चलें कि कानून की दृष्टि से जो आवश्यक था वह कर रहे हैं, तो दूसरी दिशा इसकी यह देखनी पड़ेगी कि इस व्यवस्था के कारण इस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार की व्यवस्थाओं पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है ? इस दृष्टि से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वायत शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अपने लॉ डिपार्टमेंट से फिर पूछें कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस कानून को लागू करने के बाद आज तक जितने अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं और खारिज हुए हैं, इस बिना पर कि उसमें सरपंच शामिल नहीं है, और दूसरे पास हुए हैं इसलिए कि इनमें सरपंच शामिल होता है तो दोनों अलग अलग प्रकार की व्यवस्था में जो कानून बने और जो अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं वे ठुकरा दिये गये हैं या मान्य हुए हैं, उन प्रस्तावों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ? यदि लॉ डिपार्टमेंट से राय ली गई तो जिस तरह से उनकी राय है कि अनुसूचित पंच को नामजदगी की सीमा के अन्दर लिया है तो कुछ न कुछ नई बात देखने को मिलेगी उनको । अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को जहां पंचायत में मनोनीत करते हैं और जहां पर पंचों की संख्या ५ या १५ निर्धारित की गई और उन पंचों की संख्या के अन्दर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नामजद कर दिया जाय तो वह उन पंचों की संख्या में शामिल नहीं होता है । तो मैं यहां उनकी जानकारी के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, बताता हूँ आपके द्वारा, वे फिर यह कहेंगे कि मैं उनसे कम पढ़ा-लिखा हूँ, लेकिन कम से कम इस कानून को मैंने उनसे ज्यादा समझा है, इसलिए उन्हें दुबारा आगाह करता हूं, और इस कारण से दुबारा आगाह करता हूं कि फिर यदि किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ रिट पेश की तो नतीजा क्या होगा ? १५ व्यक्तियों में अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी शामिल हैं वह सोलहवां व्यक्ति नहीं हो सकता । एडीशनल पंच का सवाल आता है तो पन्द्रह के अलावा एडीशनल पंच समझे तो यह बात नहीं होगी, 'बल्कि टोटल नंबर ऑफ पंचाज है उनका चुनाव हो जाय और बाकी हरिजन नहीं माने जा सकते तो नामजद कर सकते हैं, लेकिन वह भी १५ से ज्यादा नहीं हो सकते । एक रिट हाईकोर्ट में चल रही है । आज भी अगर आप चाहें तो दुरुस्ती कर सकते हैं । समझदारी की बात है, इसमें पढ़ाई की बात नहीं है । मन्त्रीजी नाराज न हों और कानून की गंभीरता को देखें, उसका क्या नतीजा होगा । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि "shall be deemed always to have been inserted" इन कॉम्प्लीकेशन्स को दूर करने के लिये जिस तरीके से दुरुस्त करना है उसी तरीके से किया जाय ।

दूसरी बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूँ कि वे यह भी व्यवस्था नहीं करें कि हाईकोर्ट में किसी ने दावा दायर किया और हाईकोर्ट से हमारी गलती से या कानून की गलती से फैसला कानून के खिलाफ हो गया तो उसको प्रभावहीन करने के लिये रिट्रोस्पेक्टिव डेट से उसमें तरमीम करने की कोशिश न करें । हाईकोर्ट में लोग इसलिये जाते हैं कि कानून में कोई खामी रह गई है तो वे हाईएस्ट कोर्ट से न्याय प्राप्त करना चाहते हैं । सरकार से उनको न्याय नहीं मिलता तो हाईकोर्ट में जाकर वे न्याय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं । उस न्याय को प्रभावहीन करने के लिये आप उस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव डेट से संशोधित करदें, तो मैं कहूँगा कि हाईकोर्ट में भी किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार उसी तारीख से उस कानून को दुरुस्त कर लेगी और हाईकोर्ट के फैसले के द्वारा जो रिड्रेस मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल सकेगी । रिट्रोस्पेक्टिव

(श्री भैरोंसिंह)

डेट से दुरुस्त करना कानून के विरूद्ध नहीं है लेकिन न्याय के विरुद्ध है । इसलिये मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार करने के बाद इस पर कोई निर्णय लें और यदि बहुमत के बल पर ही वे कोई कदम उठाना चाहते हैं तो यह न्याय संगत नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय। यदि मन्त्रीजी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो सदन इसे स्वीकार कराने में मुझे सहयोग दे, यह मैं निवेदन करूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन लाया गया है उसके बारे में एक मुख्य दलील दी गई है, और वह यह है कि इस संशोधन के आ जाने के बाद वह अविश्वास का प्रस्ताव जिसके पीछे १५ पंच थे और उन १५ में सरपंच भी शामिल था उसका क्या होगा ? क्या वह अवैध होते हुए भी वैध नहीं हो जायगा, यह दलील दी गई। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्य से, जिन्होंने कई बार कहा कि स्वायत्त शासन मंत्री शायद बात नहीं मानेंगे, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा दावा भी नहीं करता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं.........

श्री भैरोंसिंह : मैंने इस नीयत से नहीं कहा कि कोई पर्सनल एक्सप्रेशन हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं बहुत गंभीरता से आपकी बात को सुनता हूँ। आप बहुत बुद्धिमान् हैं। इस दलील के बारे में मैं निवदेन करूंगा कि मैंने लॉ डिपार्टमेंट के रिप्रजेन्टेटिव से भी बात कर ली है। एक पंचायत में अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ है। उसमें १५ पंच और एक सरपंच है, उनमें से सरपंच को न गिनकर प्रस्ताव पास कर दिया और मामला हाई कोर्ट में गया। लेकिन प्रस्ताव जैसा था वैसा मान लिया। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि १५ पंचों के अलावा यदि सरपंच सोलहवां है तो सोलह के के तीन चौथाई मतों से प्रस्ताव पास होना चाहिये। ऐसा फैसला हाई कोर्ट का है। यह बहुत साफ है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि सरपंच भी इसमें शामिल होना चाहिये और उन सब का तीन चौथाई होना चाहिये तो पहले जो कुछ भी हाई कोर्ट का फैसला हुआ वह अपने आप ही रद्द हो गया, उसको ठीक करने वाला मैं हूं कौन। इस फैसले के बाद १५ पंच और एक सरपंच इन कुल की संख्या का तीन चौथाई भाग पक्ष में होगा तो अविश्वास का प्रस्ताव पास होगा। इसको लीगेलाइज करने के लिये हम भी यही कहते हैं कि १५ पंच और एक सरपंच होगा। इसी तरह से हमारी पंचायत बनेगी और हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि १५ पंच और एक सरपंच का तीन चौथाई होना चाहिये। इन दोनों बातों में से किसी भी बात में फर्क नहीं है। दोनों एक ही बात है। इसके अलावा यदि प्रस्ताव आया है तो हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार भी इल्लीगल है। लेकिन मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यह दलील स्पष्ट है, इस अमेन्डमेंट में और इस दलील में फर्क नहीं है। पन्द्रह पंच और एक पंच ये कुल मिल कर सोलह होने चाहिये। हाई कोर्ट के फैसले को मानते हुए एक सरपंच और बढ़ाना चाहिये।

दूसरी बात शिड्युल्ड कास्ट के मेम्बर्स के बारे में कही गई। इस बारे में मैंने एग्ज़ामिन कराया

Page No.46

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है और इस वक्त मौजूदा धारा २, ३, ४ और ५ हैं, उनमें किसी तरह नम्बर मुकर्रर करेंगे, उनके मुताबिक शिड्यूल कास्ट वाले इसकी एन्ट्री में नहीं आते, हाई कोर्ट में कैसे होगा यह नहीं कह सकता। लेकिन नोमिनेटेड के बाद ही गवर्नमेंट पंचायत बनायेगी, उसमें इस तरह के मेम्बर होंगे और गवर्नमेंट को अधिकार दिया है १५ का, उसमें नोमिनेटेड शामिल नहीं है। लेकिन आयन्दा के लिये १४ ही रखे हैं। आयन्दा गलती होने की अधिक संभावना नहीं है, इसलिये माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही अमेन्डमेंट किया है और उसी को मान्यता दी है। इससे और फैसलों के इल्लीगल होने की बात नहीं है। इसलिये मैं अदब से कहूँगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा लगता है कि शायद मैं अपना संशोधन मंत्रीजी को अच्छी तरह से समझा नहीं सका। मैं उनके कहने के अनुसार इस क्लॉज को पढ़ कर सदन के सामने एक इलस्ट्रेशन देना चाहूंगा, जिससे यह चीज अपने आप स्पष्ट हो जायगी। सेक्शन १६ (२) में लिखा है :

"If the motion against the Sarpanch is carried by a majority of not less than 3/4th of the total number of Panchas........"

सरपंच के खिलाफ यदि कोई अविश्वास का प्रस्ताव आवे और वह अविश्वास का प्रस्ताव तीन-चौथाई की मेजोरिटी से पास हो जाय तो वह पास हो गया, इस प्रकार की बात मानी जायगी। अब तक की व्यवस्था के अनुसार १५ पंचों में सरपंच शामिल नहीं था और सरकार की मंशा नहीं थी कि सरपंच शामिल हो। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। जिस जजमेंट के द्वारा यह फैसला हुआ कि टोटल नम्बर ऑफ पंच १५ है और इनके अलावा एक सरपंच अलग है। तो टोटल संख्या १६ होगी। इस कानून में व्यवस्था की गई है और कई स्थानों की पंचायतों में सरकार के आदेशानुसार, माननीय स्वायत शासन मंत्रीजी मानें या नहीं, लेकिन मैं कुछ पंचायतों के नाम बताऊंगा, जिसमें इस प्रकार के अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं, जिनके बारे में हमारे पंचायत विभाग ने अलग अलग राय दी है। एक जगह उन्होंने यह कहा है कि इसमें सरपंच शामिल नही है, दूसरी जगह कहा है इसमें सरपंच शामिल है। दोनों प्रकार के आदेश पंचायत विभाग से मिलते हैं, और उन आदेशों की तामील में दोनों प्रकार की कार्यवाही हुई। एक में १५ पंच हैं और एक सरपंच है, इस प्रकार १६ होते हैं और १२ पंचों की आवश्यकता होती है, अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास करना चाहते हैं। यह अमेंडमेंट नहीं आता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि १५ में से अगर संशोधन के द्वारा हम सरपंच को शामिल करना चाहते हैं, तो अविश्वास के प्रस्ताव के समय १२ पंचों की आवश्यकता नहीं है, ११ पंचों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव लाया या सकता है...

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह नहीं है, अब भी १६ में से ...

श्री भैरोंसिंह : सवा ग्यारह हो सकते हैं.......।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अमेंडमेंट के बाद १२ ही रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : तो यहां १५ पंचों का

Page No.47

(श्री भैरोंसिंह)

प्रश्न आता है, वहाँ १२ के प्रश्न को ले लें तो १२ के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक सरपंच को भी शामिल किया है। एक सरपंच को शामिल करने का मतलब यह हुआ कि अब अविश्वास के प्रस्ताव के समय ९ के स्थान पर जो १२ पंच हैं, उनमें से अगर कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाये और नौ आदमी उसके पक्ष में वोट दे दें तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर १२ में सरपंच को शामिल कर लिया तो अगर सवा नौ सरपंच न हो तो अविश्वास का प्रस्ताव पास न होगा। हमारी राजस्थान सरकार का पंचायत विभाग और स्वायत्त शासन मंत्रीजी देखें कि इस बिना पर कई पंचायतों के अविश्वास प्रस्ताव रद्द किये हैं, उन अविश्वास प्रस्तावों का क्या हल होगा ? जिनके अविश्वास के प्रस्ताव यह कह कर रद्द कर दिये कि उनमें सरपंच शामिल होता है, इसलिए नौ पंचों की जगह सवा नौ पंच होने चाहिये। इस प्रकार जितने अविश्वास के प्रस्ताव सरकार के आदेश के अनुसार ठुकराये गए हैं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार यह अमेंडमेंट किया जा रहा है, अमेंडमेंट से उन पर असर नहीं पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं कह रहा हूँ कि अमेंडमेंट से असर पड़ेगा, सवा नौ पंच हो ही नहीं सकते. इसलिए १० होंगे और ऐसी स्थिति में प्रस्ताव पास नहीं होगा, उसे स्वीकार नहीं कर सकते। अब सरकार संशोधन ला रही है और सरपंच को 'टोटल नम्बर ऑफ पंच' में से अलग कर रही है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टोटल पंचों में से सरपंच को अलग किया जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, १६ में से १२, १२ में से ९ अब भी रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अब टोटल नम्बर ऑफ पंच में से निकाल रहे हैं, सरपंच शामिल नहीं होगा ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : अविश्वास का प्रस्ताव आएगा तो टोटल नम्बर ऑफ पंच में सरपंच शामिल नहीं होगा। अमेंडमेंट के पहले रहेगा, लेकिन अमेंडमेंट के बाद में नहीं रहेगा। अमेंडमेंट के बाद रहने की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि टोटल नम्बर ऑफ पंच में व्यवस्था की है : "A Panchayat shall consist of members, from 5 to 15, and a Sarpanch." यह सारी व्यवस्था की है उसमें पंच और सरपंच दोनों को अलग अलग किया है, टोटल नम्बर ऑफ पंच में खास तौर से सरपंच का नाम नहीं लिया है। पंचों में सरपंच शामिल नहीं होगा। आप कोई क्लॉज बता दीजिए जिसमें लिखा है "A Panch shall include a Sarpanch."; इसमें कहीं नहीं है उस आशय का आप संशोधन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आपका संशोधन करना गलत होगा। आप पंचायत के टोटल नम्बर ऑफ पंच में से सरपंच को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, यह कानून की मन्शा नहीं है। यह संशोधन गलत है और हाईकोर्ट के फैसले की मन्शा पूरी नहीं करता है "shall always be deemed to have been inserted." इन शब्दों का विलोप किया जाय। जो स्वायत्त शासन मंत्री ने बात कही है, वह बात संशोधन द्वारा पूरी नहीं होती है। उसको पूरा करने के लिए इस बिल को डेफर कर दिया जाय, और इस पर आप विचार

Page No.48

(श्री भैरोंसिंह)

करें और फिर हाई कोर्ट की मन्शा को लेकर जो संशोधन आए, उनको सदन के सामने रखें, वरना इस संशोधन को स्वीकार कर लिया तो बहुत बड़ी एम्बिग्विटी रहेगी और फिर आपको संशोधन लाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Is nct a Sarpanch a Panch first and then Sarpanch ? उस डेफिनिशन में आ जाता है।

श्री भैरोंसिंह : A Panch shall not include a Sarpanch. There is no such definition that a Panch shall also include a Sarpanch, and until and unless it is not made clear that a Panch shall include a Sarpanch, we cannot take it that a Panch includes a Sarpanch.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष, मैं जरा स्पष्ट कर दूं। दफा १९ में 'टोटल नम्बर ऑफ पंच' (Total number of Panch) दे रखा है। उसमें अमेंडमेंट किया है हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। अमेंडमेंट लाए हैं कि १५ पंच होंगे और एक सरपंच होगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरपंच उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन वह टोटल पंचों से अलग नहीं है। यह इसलिए हुआ कि कोर्ट में दलील दी गई थी इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि सरपंच पंचायत का सदस्य है, इस बात को करने के लिए अमेंडमेंट लाया जाय। इससे अविश्वास के प्रस्ताव पर कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ के अन्तर्गत श्री भैरोंसिंहजी ने अमेंडमेंट पेश किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लाज ३ को विचारार्थ ले लिया जाय।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज ५ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज १, टाइटल प्रिएम्बल इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, टाइटल, प्रिएम्बल वगैरह स्वीकार किये जांय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटल इत्यादि विधेयक का अंग बना ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

१.२७ म० प०

राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १९५८

(खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष; I beg to move, That the Bill be referred to Selct Committee names to be announced later, which may submit its report before 15th November, 1958.

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह बिल बिल्कुल छोटा सा है और इस कारण से शायद सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का जो मेरा प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को अहमियत न दी जाय । लेकिन इसके पीछे एक मोटा रहस्य छुपा हुआ है । उस रहस्य को सदन में रखने के लिए और भविष्य में ऐसा रहस्य न बने उसको दुरस्त करने के लिए मैंने यह संशोधन पेश किया है । राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट, यह एक कानून है जिस कानून के द्वारा सरकारी रकम, टैक्सेज के रूप में, लैंड रेवेन्यू के रूप में, जितनी भी बाकी रह जाय, उस रकम को हम वसूल कर लें । यह जो अमेंडमेंट बिल आया है, वह पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट में जो शिड्यूल दिया गया है, उस शिड्यूल के पार्ट ४ में एक नया पार्ट एड करने के लिये है, जिसकी मन्शा यह होगी कि सरकार की कोई रकम जो सरकार को पेएबिल है, lig ^ay of rates, duties taxes, charscs or other duties under any law or rule having the force of law.इस प्रकार के जितने भी मुद्दों के अन्तर्गत आने वाली रकम है, उस रकम को वसूल किया जा सकता है । इस धारा

(श्री भैरोंसिंह)

के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है उसके अनुसार। अब इसका विरोध तो मैं कर नहीं सकता और मैं समझता हूं मुझे करना भी नहीं चाहिये। सरकार की जो रकम लोगों में बाकी है और जो रकम सरकार टैक्सेज़ से वसूल कर सकती है, उस वसूली को करने का सरकार को अधिकार मिलना चाहिए। तो इस कानून की मंशा का मैं समर्थन करता हूँ, पर राजस्थान सरकार के कई विभाग ऐसे हैं, जिनके अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों द्वारा लोन्स के रूप में दी हुई रकमें, सब्सिडी के रूप में दी हुई रकमें, स्पेशल पर्पज़ के लिए दी हुई रकमें, वसूल नहीं हो सकतीं। मैंने एक संशोधन भी दिया है, वह शायद सर्कुलेट नहीं हुआ था, पर अब मिला है, मैं उस संशोधन की मंशा रख दूं। मैंने उस संशोधन के जरिये मांग की है कि राजस्थान कोर्ट ऑफ वार्ड्स ऐसा विभाग है, राजस्थान देवस्थान विभाग एक इस प्रकार का विभाग है, जिनके द्वारा हमारी राजस्थान सरकार ने, हमारी राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने काफी रकम लोगों को लोन्स के रूप में दे रखी है, उधार दे रखी हैं। राजस्थान के देवस्थान विभाग द्वारा ६ लाख रुपयों के लोन्स लोगों को दे रखे हैं, इससे वे जो लोन्स दिये हुए हैं वे रिकवर नहीं होते। इन लोन्स की रिकवरी का प्रश्न आता है तो हमारी सरकार इन लोन्स की रिकवरी के लिए कागज़ात कलेक्टर्स के पास भेजती है कि वे पी. डी. आर. के तहत इस देवस्थान से दी हुई लोन के रूप में जो रकमें हैं, उनको वसूल करें, तो देवस्थान विभाग द्वारा लोन में दी हुई रकमों के बारे में कलेक्टर्स कहते हैं कि पी. डी. आर. के मातहत इन रकमों की वसूली नहीं हो सकती। एक अमानत की रकम जो सरकार के पास अमानत के रूप में रखी हुई थी, उसे सरकार ने निगरां होने से लोगों को उधार दे दी और उस रकम की रक्षा नहीं हो तो क्या सरकार के लिए वाजिब नहीं होगा कि ऐसी रकमों की सुरक्षा करे, उन रकमों को हर संभव प्रयत्नों से वसूल करें? इसी गरज से मैंने यह संशोधन रखा है। जिसकी मंशा होगी कि वर्षों से देवस्थान की छः लाख की रकम लोगों को उधार दी हुई है, पुराने राजस्थान से और राजस्थान में शामिल होने वाली स्टेट्स से दी हुई हैं, उनकी वसूली होनी चाहिये। इन रकमों की वसूली के लिए कलेक्टर्स को लिखा गया और उन्होंने जो रेफ्रेन्स दिया उसके मातहत हमें यह संशोधन लाना चाहिये कि देवस्थान विभाग की सारी रकमों की वसूली उससे हो सके।

अभी अभी राजस्थान सरकार ने ३० लाख का लोन दिया है, सरकारी खज़ाने से नहीं, देवस्थान विभाग से दिया है। लक्ष्मी, वल्लभ और धर्म भण्डार, इन तीन भंडारों की रकम की राजस्थान देवस्थान विभाग द्वारा निगरानी होती है, उसमें से ३० लाख का लोन एक सेठ को दे दिया गया है उदयपुर में स्पिनिंग मिल खोलने के लिये। यह मैं सदन में इस समय नहीं कहता कि यह लोन किस तरह दिया गया, लाइसेंस किस तरह दिया गया, पर जो एग्रीमेंट किया गया है उसमें यह लिखा है कि चार साल के बाद में उस रकम की वसूली प्रारम्भ होगी, एक साल में नहीं, दूसरे साल में नहीं, तीसरे साल में भी नहीं और चौथे साल में भी नहीं, वह वसूली पांचवें वर्ष में प्रारम्भ होगी। तो साधारण नियम है तीन वर्ष में वसूली करने का। तीन वर्ष में वसूली नहीं हो तो किस प्रकार उस रकम को वसूल किया जाय?

(श्री भैरोंसिंह)

सिविल नेचर की रकम का तीन साल के अन्दर अन्दर वसूली का नियम है तो इस रकम को इस व्यवस्था में ला दिया जाय कि सिविल केस न बन सके, वसूली के लिए सिविल कोर्ट में न आ सके, यह एक सोचने की बात है। एग्रीमेंट तैयार किया, इस प्रकार के एग्रीमेंट को सिविल कोर्ट में किसी भी तरह एप्रेशियेट नहीं किया जा सकता। जहां पहले छः लाख के लोन्स दिए हुए हैं उनकी वसूली नहीं हो रही है, वहां तीस लाख का और लोन जयपुरिया सेठ को दे दिया गया। एग्रीमेंट इस प्रकार का है कि सिविल कोर्ट में इसकी वसूली के लिये जाया नहीं जा सकता और पी. डी. आर. में भी इस प्रकार के लोन्स की रिकवरी की व्यवस्था नहीं है तो आज के पूंजीपतियों की आदत है सरकार से लोन लेना, उस लोन की रकम का दुरुपयोग करना और उनमें यह ताकत है कि एग्रीमेंट में किसी न किसी प्रकार की खामी रखवा सकें ताकि उस एग्रीमेंट से उस सारी रकम का भुगतान नहीं हो सके तो ऐसी स्थिति में यह संभव है कि यदि हमने यहां पी. डी. आर. में इस प्रकार का संशोधन नहीं किया तो पहले के उधार दिये हुए छः लाख तो वसूल नहीं होंगे, सो नहीं होंगे और यह ३० लाख भी वसूल नहीं होंगे। क्योंकि ३० लाख के लोन का इस प्रकार का एग्रीमेंट किया है जिसके साथ कोई न्याय नहीं, कोई कानून नहीं। मन्दिरों की जमानत की रकम लोन दी जाय और बिना एग्रीमेंट के, एक समुचित एग्रीमेंट के, ऐसे लोगों को दे दी जाय कि वे लोग उस रकम का दुरुपयोग करें अतः इस प्रकार की रकम की वसूली हो सके इस लिये मैंने यह संशोधन पेश किया था। और इसी लिये कहता हूं कि यदि इस संशोधन को इस समय स्वीकार नहीं करें तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। क्लाज़ बी. और एड कर दें, जिससे देवस्थान की रकम की वसूली हो सकेगी।

अब मैं उन गरीबों का जिक्र करूंगा कि जो अनपढ़ हैं, बालिग नहीं हैं उन जागीरदारों को आप कोर्ट ऑफ वार्ड्स विभाग को, जो कि आवश्यक नहीं है, अभी बनाये रखा है, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स विभाग ने अपनी मर्जी से जागीरदारों का रुपया लोगों को उधार दिया, इस प्रकार के लोन्स की वसूलीकी। तीन वर्ष मियाद है, उस मियाद को जान बूझ कर निकालने के लिये वह अर्सा निकाला। यदि उपमन्त्रीजी जयपुरके कोर्ट ऑफ वार्ड्स की लिस्ट उठा कर देखें तो उनको पता लगेगा कि ६० परसेंट जागीरदारों की रकम बाकी है। उन लोगों को उधार दे दी जो उनके रिश्तेदार थे, उधार लेने वालो में कई राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेता भी हैं, उनको रकम उधार दे दी और जान बूझ कर तीन वर्ष का समय निकाल दिया। सरकार को कहते हैं वसूली के लिये तो सरकार कहती है कि साधारण मियाद निकल गई, वसूली नहीं कर सकते। देवस्थानों के रुपयों की, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अन्तर्गत रहने वाले जागीरदारों के रुपयों की, जिम्मेदारी सरकार पर है, उस रकम को उस स्थान पर, ऐसे लोगों को देने की जिम्मेदारी सरकार पर है, इन लोगों को लोन देने की जिम्मेदारी सरकार पर है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वाहन करने के लिये सरकार को ही उस रकम की वसूली करके उन लोगों को देना चाहिये। इस जिम्मेदारी का सरकार निर्वाहन कर सके इसके लिये मैंने यह संशोधन रखा है।

यदि इस बिल को पास करने का माननीय उपमन्त्रीजी को तकाजा मालूम हो तो मैंने यह प्रस्ताव किया था कि इसे प्रवर समिति में

(श्री भैरोंसिंह)

भेज दिया जाय। प्रवर समिति में इस पर अच्छी तरह से विचार करके जिस भाषा में इसको एडजस्ट करना चाहिये उस भाषा में एडजस्ट कर दिया जायगा। इसी आशा से मैंने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था। आशा है, उपमन्त्रीजी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

उप-वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाने के बारे में जो माननीय सदस्यों ने बताया उसके लिये मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूँ। यदि दो-तीन बातों का मैं स्पष्टीकरण करूं तो मैं समझता हूं कि वे शायद इस बात को महसूस करेंगे कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है।

पहली बात तो यह है कि जो अमेन्डमेंट लाया जा रहा है उसको तो आप मानते हैं कि इन रेट्स या चार्जेज़ को पब्लिक डिमान्ड की परिभाषा में लाने का गवर्नमेंट को अधिकार है। लेकिन साथ साथ आपने यह भी कहा कि देवस्थान और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के रुपये जो लोगों को लोन के रूप में दिये गये हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स और देवस्थान विभाग पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट में नहीं आते क्योंकि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के लिये तो यह विधान है कि जागीरदार या और कोई जो माइनर होता है उनकी जात व जायदाद की व्यवस्था करने के लिये सुपरिन्टेन्डेन्ट मुकर्रर किया जाता है। वह मेनेजमेंट के रूप में काम करता है और वह गार्डियन होता है तो यह कोई गवर्नमेंट का महकमा नहीं है बल्कि वह तो इस प्रकार का प्रबन्ध है कि जहां माइनोरिटी की वजह से या और किसी ऐसे कारणों से कि जिनकी वजह से उसकी सम्पत्ति पर कोई कोर्ट ऑफ वार्ड्स बिठाया जावे। तो गवर्नमेंट किसी की नियुक्ति करके प्रबन्ध का काम सौंपती है। ऐसी हालत में जो भी लेन-देन होता है वह ऑर्डिनरी लॉ में आता है और वह पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट में नहीं आता। इसी तरह से देवस्थान विभाग भी पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट की तहत में नहीं आता। इसकी रकम कन्सोलीडेटेड फण्ड में शामिल नहीं होती है, वह अलग है। सरकार अगर कोई ऋण के रूप में रकम देती है तो वह किसी खास एग्रीमेंट की तहत में दी जाती है; जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि ३० लाख रुपयों का कर्जा उदयपुर में टेक्सटाइल मिल लगाने में दिया गया वह एक एग्रीमेंट से दिया गया है। इसकी वसूली के बारे में आपने बताया कि ऑर्डिनरी कानून में उसको वसूल करने की मियाद तीन साल की है और उसके बाद वह रकम मियाद बाहर हो जावेगी। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट की रकम की वसूली के लिये मियाद तीन साल की नहीं बल्कि ६० साल की है। यानी गवर्नमेंट की रकम ६० साल तक काबिल वसूली है, जबकि दूसरों के लिये तीन वर्ष बाद बेरूं मियाद हो जाती है। तो जैसा निवेदन किया कि हम इसको, यानी देवस्थान और कोर्ट ऑफ वार्ड्स की रकमों को, पब्लिक डिमान्ड में नहीं ले सकते। इसलिये यह अमेन्डमेंट मौजूदा संशोधन बिल के स्कोप के बाहर है। प्रस्तावित संशोधन निम्न प्रकार से है :

"Any money payable to the Government or to a Department or an

Page No.53

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

officer of Government by way of rates duties, taxes charges or other duties under any law or rule having the force of law, not with standing that such law or rule does not declare the same to be recoverable or realisable as an arrear of revenue or land revenue or as an arrear of a demand or public demand."

मैं यह समझता हूं कि यह उसके स्कोप के बिल्कुल बाहर हो जावेगा। पब्लिक डिमांड में क्या क्या आ सकता है वह शिड्यूल में में दिया हुआ है। आप शिड्यूल नम्बर ६ को मुलाहिजा करेंगे :—

"Any money payable to the Government or to a department or an officer of Government under or in pursuance of a written instrument or agreement..."

यह तो ऑलरेडी रिअलाइज किया जा सकता है। किसी भी विभाग में किसी को रुपया दिया गया है और यदि लिखित एग्रीमेंट से दिया गया है तो वह रकम वसूल की जा सकती है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा देवस्थान द्वारा लोगों को लोन में दी गई रकमों को भी पब्लिक डिमान्ड के मानिन्द वसूल करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह उसके पर्व्यु में नहीं आती। इसलिये जो आपने संशोधन रखा है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स और देवस्थान में जो रकमें लोन के रूप में दी गई हैं उन्हें भी पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट में रखना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह क्यों नहीं हो सकता। जो ऑब्जेक्ट बताये गये हैं उससे भी साफ हो जाता है। उसमें यह बताया गया है कि कस्टम की ऐसे कुछ क्लेम्स बताये हैं उनमें कुछ खामियां हैं और उनको वसूल नहीं कर सकते हैं, ऐसी सूरत में यह अमेन्डमेंट लाया गया है। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे और इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (१४): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय उपमन्त्री महोदय ने सत्यता को तो स्वीकार किया है। मैंने अभी कहा था कि देवस्थान विभाग की कुछ रकम हमने उधार दे रखी है और उसको पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट में वसूल कराये जाने की कार्यवाही के लिये कलेक्टर को लिख रखा है। माननीय उपमन्त्री ने यह तो स्वीकार कर लिया कि देवस्थान या कोर्ट ऑफ वार्ड्स की रकम यदि किसी को दी जावे तो उसकी वसूली इस एक्ट के अन्तर्गत नहीं की जा सकती; तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से यह हुआ कि जो हमारे सामने मुगालता था और जिसको लेकर हम देवस्थान विभाग को अंधेरे में रख रहे थे कि देवस्थान की रकम कलेक्टर द्वारा पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट की तहत मे वसूल हो जायगी वह मुगालता बिल्कुल स्पष्ट और साफ हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि छः लाख की वसूली इस एक्ट के अन्तर्गत किये जाने के लिये कलेक्टर को जो लिख रखा है वह बिल्कुल व्यर्थ है। इसके लिये पब्लिक डिमान्डस रिकवरी एक्ट लागू नहीं है और न लागू किया जा सकता। तो मेरे संशोधन को रिजेक्ट करने का सबसे पहला असर हुआ उन देवालयों पर जिनकी पूंजी सरकार के पास है, जिनका खजाना सरकार के पास है और जिनके खजाने से सरकार ने छः लाख लोगों को दिये हैं। तो इसके

(श्री भैरोंसिंह)

ना-मंजूर करने का नतीजा यह होगा कि जिन लोगों ने ये रुपये मन्दिरों में भक्ति से भेंट-पूजा के लिये चढ़ाये, रुपयों के रूप में, उनको भुगतना पड़ेगा।

अभी एक बात उन्होंने कही मुझे तो अफसोस है कि जिस ३० लाख के लोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह एग्रीमेंट के जरिये से दिया है और चार साल के बाद में भी वसूल किया जा सकता है।

मैं हालांकि वकील तो नहीं हूँ, मैंने वकालत नहीं की, फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि जो आज की व्यवस्था है, तीन साल का पीरियड प्रेस्क्राइब कर रखा है, उसके विपरीत चाहे कोई एग्रीमेंट आये, अगर उस तीन वर्ष के पीरियड में रिन्यु नहीं करवाते हैं उस स्थिति के अन्दर चार वर्ष के बाद वसूल करने का एग्रीमेंट भी हो उसका असर लिमिटेशन पर नहीं पड़ेगा। तीन वर्ष के बाद वसूली का अधिकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर मिला हुआ है उस अधिकार का प्रयोग भी नहीं कर सकते।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप मंत्री): यह सही है कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है। इस वसूली के बारे में मैं हाउस के सामने सही स्थिति बता दूं कि अगर किसी एग्रीमेंट में पर्टिकुलर टाइम पर रीपेमेंट दर्ज है, मियाद किस तारीख से शुरू होती है, तीन वर्ष उसी तारीख से माने जायेंगे जिस तारीख से रीपेमेंट की तारीख मुकर्रर होगी। यह माना हुआ है, इसमें दो मत नहीं हो सकते।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब कुछ स्थिति साफ हुई है। जो सन्देह मुझे हो रहा था यह और भी साफ होने लग गया है। प्रश्न यह था कि देवस्थान विभाग के भंडारों से लाखों रुपयों का लोन दिया गया और उसको वसूल करने के बारे में चार वर्ष की रियायत कर दी। चार वर्ष के बाद से वसूली शुरू होगी। अब इस वसूली के सम्बन्ध में तीन साल का पीरियड फिर रहेगा। तीन साल के बाद दावा कर सकते हैं, उस पीरियड में दावा कर सकते हैं, वैसी स्थिति में मतलब यह हुआ कि एक आदमी को लोन दिया जिस लोन की वसूली सामान्य नियम के अनुसार तीन वर्ष के अन्तर्गत होनी चाहिये। पहले तो रियायत कर दी कि चार साल बाद वसूली शुरू होगी, उसके बाद फिर रियायत कर दे तो फिर एग्रीमेन्ट कर सकते हैं और इस तरह से जितना समय निकालना चाहें निकाल सकते हैं। प्रश्न फिर सामने आयगा कि इस प्रकार जो रकम दी हुई है उस सारी रकम को सरकार दावा करके वसूल कर सकती है या नहीं? जो चीज सरकार की निगरानी में हैं, सरकार जिस व्यक्ति की रकम उधार देती है उस सरकार का फर्ज होना चाहिये, न्याय के दृष्टिकोण से फर्ज होना चाहिये कि वह सरकार वसूल करके उस व्यक्ति को दे। जिस तरह से अभी उन्होंने बताया, कोर्ट ऑफ वार्ड्स की रकम, चाहे हमारी सरकार उसको सरकारी डिपार्टमेंट न समझती हो, लेकिन यह बात है कि सरकारी अधिकारी उस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, और उन्हीं की निगरानी में वह डिपार्टमेंट कार्य करता है। देवस्थान विभाग में भी उच्च श्रेणी के आर० ए० एस० ऑफिसर हैं, उस पर भी सारा सुपर्विजन सरकारी अधिकारियों द्वारा होता है। वैसी स्थिति में सरकारी प्रशा-

Page No.55

(श्री भैरोंसिंह)

सन द्वारा कोई रकम उधार दी जाती है उस रकम को वसूल करने का अधिकार भी सरकार को लेना चाहिए। सरकार को हम अधिकार दे रहे हैं, हम किसी अधिकार को छीन नहीं रहे हैं, उनके अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। इस बिल द्वारा डैमेजेज के वसूल करने का अधिकार मांगा है उसके साथ साथ हम अधिकार दे रहे हैं कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स और देवस्थान विभाग द्वारा, उनके कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा, जो रकम कर्ज के रूप में दी हुई है वह रकम भी सरकारी रकम समझी जानी चाहिये। इस रकम की वसूली का अधिकार भी सरकार को प्राप्त करना चाहिये, लेकिन हमारी सरकार इस प्रकार के अधिकार प्राप्त करना नहीं चाहती। अब प्रश्न आता है कि विरोधी दल अधिकार देना नहीं चाहता जब कई बार अधिकार देने की बात होती है तब कहा जाता है कि विरोधी दल हमें अधिकार देना नहीं चाहता, लेकिन आज हालत उल्टी है, विरोधी दल अधिकार देना चाहता है रकम वसूल करने का। कोर्ट ऑफ वार्ड्स में से भी रकम दी हुई है, सरकारी अधिकारियों को दी हुई है, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को दी हुई है। इस प्रकार दी हुई रकम की वसूली के अधिकार भी हम सरकार को देना चाहते हैं। लेकिन सरकार कहती है इस प्रकार के अधिकारों की जरूरत नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ये अधिकार लेने चाहिये, जो रकम बाकी है उसकी वसूली होनी चाहिए। जिस देवस्थान विभाग के सम्बन्ध में कलेक्टर के पास केसेज पेंडिंग हैं वे केसेज रद्द हो जायें और पी० डी० आर० के तहत वह छः लाख रुपया वसूल हो जाय। इस प्रकार का अधिकार सरकार को प्राप्त करना चाहिए। राजस्थान की जनता की बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है कि जब हम इस प्रकार के अधिकार देना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती। इस प्रकार के अधिकार अगर सरकार ले लेती है तो उससे किसी गरीब पर असर पड़ने वाला नहीं। किसी काश्तकार में बकाया नहीं, बकाया पूंजीपतियों में हो सकता है या ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सरकारी रकम को रोक कर बैठे हैं, उनसे रकम वसूल की जाय और उसकी मांग की जाय। सरकार अगर इस कानून में मेरे इस सुझाव को मन्जूर नहीं करती है तो यह हमारी बदकिस्मती है। इन दो विभागों से हमारी सरकार जितना धन चाहे किसी को दे दे परन्तु वसूली करने की कोई बात नहीं। इसलिए मेरा सिलेक्ट कमेटी में भेजने का संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय। इसके बाद में क्लॉज में अमेंडमेंट मूव करूंगा उसके लिए भी निवेदन करूंगा कि सदन उसे भी स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेंडमेंट मूव हुआ इसी के साथ मान लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : उस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। I will put it for vote, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं। आपका भाषण उस पर भी मान लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : उस पर, उपाध्यक्ष महोदय, श्री मुक्तिलालजी मोदी बोलना चाहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have got him prepared.

श्री उपाध्यक्ष : मुक्तिलालजी मोदी के लिये और भी महत्वपूर्ण विषय बाकी हैं।

(हंसी)

Page No.56

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ पर जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ किया जाता है ।

(विराम)

क्लॉज़ २, श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : Mr. Deputy, speaker Sir, I beg to move, "That the following new section be added after the proposed section 4-A: 4-AA. Any money payable to the Government or to a Department or officer of Government on account of loans advanced by the Government or any officer of the Government from Court of Wards or Devasthan Department, notwithstanding that there is any law by which the same may be recovered or realised as an arrear of revenue or land-revenue or as an arrear of a demand or public demand"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में काफी कुछ कह दिया गया है और मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे । मेरे इस संशोधन के समर्थन में बोलने के लिए माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं, चूंकि मेरा गला बैठा हुआ है, अतः उनको इस पर बोलने का मौका दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो यह विश्वास लेकर चला था कि आप इस विषय में अन्य सदस्यों को भी न बोलने का आग्रह करेंगे । अगर हमें समय को बचाना है तो इस सम्बन्धी बहस को यहीं तक सीमित रखा जाय । श्री मुक्तिलालजी मोदी के लिये तो और भी महत्वपूर्ण विषय बाकी है ।

(श्री मोदी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

मोदी जी कभी कभी तो मेरी बात भी मान लिया कीजिये । यह बिल ऐसा है कि इस पर आप नहीं बोल सकेंगे । यह बड़ा कठिन विषय है ।

(विराम)

(प्रभारी मन्त्री महोदय से) आपने पहले ही प्रत्युत्तर दे दिया, वह इसके लिये भी मान लिया जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज दो पर जो संशोधन श्री भैरूंसिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : हां पक्ष जीता ।

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

(श्री भैरोंसिंह)

श्री मुक्तिलालजी को समय दे दिया जाता तो यह नौबत नहीं आती।

(हंसी)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ दो के अन्तर्गत श्री भैरोंसिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जावे ?

(पुन: मतदान के पश्चात्)

"ना" पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता। Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Do you insist on a Division ?

श्री भैरोंसिंह : We claim Division, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : "Ayes" to "Ayes" Lobby & "Noes" to "Noes" Lobby.

(मत-विभाजन के पश्चात्)

(विराम)

Ayes 28 & Noes 48.

संशोधन गिर गया।

(विभाजन के अनुसार माननीय सदस्यों ने इस प्रकार मतदान किया) ?

"हां" पक्ष

श्री अनूपसिंह
श्री अर्जुनदास तुलसीदास
श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
श्री चन्द्रसिंह यादव
श्री दयाकृष्ण विजय
श्री गिरधारीलाल
श्री हीराभाई
श्री कालूराम
श्री केशरीसिंह (पाटोदी)
श्री किशनाराम
ठा० श्री मदनसिंह (दांता)
कुंवर श्री मंगलसिंह
श्री मनरूराम परिहार
श्री मोगजी भाई
श्री मोहरसिंह
श्री मुक्तिलाल मोदी
रावत श्री नरेन्द्रसिंह
श्री नाथीसिंह
श्री नाथूलाल करोल मीणा
श्री प्रभुलाल पुरोहित
श्री पृथ्वीराज
श्री रामकरणसिंह
श्री रामनारायण वर्मा
रावराजा श्री सरदारसिंह
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री तनसिंह
श्री वीरका
श्री वेनाराम गहलोत

"ना" पक्ष

श्री अब्दुल गफ्फारखां
श्री आबिदअली
श्री अमरामीना रावत
श्री भैरवलाल 'काला बादल'
श्री भोगीलाल पंड्या

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री बृजमोहनलाल शर्मा
श्री दलीपसिंह
श्री देवा गिरसिया
श्री देवीलाल
श्री धन्नालाल हरित
श्री धर्मपाल पंवार
श्री घासीलाल यादव
श्री गोकुलचन्द जाटव
श्री गोवरधनसिंह कैन
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री हरिप्रसाद यादव
श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री
श्री हजारीलाल बकोलिया
श्री जयसिंह रानावत
श्री जनार्दनराय नागर
श्री जयेन्द्रसिंह
श्री जेठमल बरवाड़
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
श्री ज्वालाप्रसाद
श्री किशनलाल शर्मा
श्री किशनसिंह बाटड़
श्री लालूराम टटवाड़िया
श्री लक्ष्मण हीरात
श्री माणकचन्द कोठारी
श्री मनोहर कोठारी
श्री मूलचन्द डागा
राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)
श्री नारायणलाल
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री नाथूराम
श्री फूलाभाई
श्री पी० के० चौधरी
श्री रामचन्द्र
श्री रावतराम
श्री ऋषभचन्द धारीवाल
श्री सज्जनसिंह
श्रीमती सतवन्तकौर
श्री शंकरलाल
श्री शिवनाथसिंह
श्री सोहनलाल भटनागर
श्री सूबेदारसिंह
श्री तेजपाल
श्री वली मोहम्मद]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३,

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाईटल इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जावें ?

(स्वीकृत)

Page No.59

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ १, टाइटल और प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

२.१३ म० प०

राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८

(विचारार्थ)

उप-वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी यहां पर मौजूद हैं तो उनको बुलाया जाय। इस प्रकार के संशोधन विधेयक में खातेदारी राइट्स के अधिकार की बात है और काश्तकार लोगों की बहुत सी सुविधाओं की बातें हैं, इसलिए माननीय राजस्व मन्त्रीजी इस विधेयक को पेश करें तो ज्यादा अच्छा हो और पास करने से पहले राजस्व मन्त्रीजी यहां आकर बैठें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं माननीय उपाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वे आदेश दें कि इस बिल को पारित करते हैं तो माननीय राजस्व मन्त्रीजी उसको देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विधेयक पर विचार प्रस्तुत किये जायं। यदि राजस्व मन्त्रीजी यहां पर हैं तो वे वाद-विवाद काल में यहां आ जायेंगे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, वे हाजिर हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि इसको ड्रॉप किया जाय, अगर राजस्व मन्त्री जी मौजूद नहीं हैं तो उनकी अदम मौजूदगी में।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके वाद-विवाद के के समय, जैसा कि विश्वास दिया गया है, वे आ ही रहे हैं। हम आरम्भ करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) **:** माननीय उपाध्यक्ष, मैं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पर जो थर्ड अमेन्डमेन्ट सरकार की ओर से लाया गया है तो मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उसको प्रवर समिति को दुबारा रेफर किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५५ के अन्दर एक कानून बना और उस कानून को राजस्थान के किसानों ने अपने फायदे का कानून समझा, क्योंकि किसानों को उस कानून के मातहत काफी फेसिलिटीज़ दी गई थीं। उस कानून का नाम था टिनेन्सी एक्ट। उपाध्यक्ष महोदय, उस टिनेन्सी एक्ट का जो सेक्शन १५ है उसके तहत किसानों को खातेदारी राइट्स दिये गये हैं और उस खातेदारी

(श्री गिरधारीलाल)

राइट में राजस्थान के उस एरिया को छोड़कर, जिस एरिया में केनाल बहा रहे हैं, जो केनाल एरिया है उसको छोड़कर, सारे राजस्थान में टिनेन्सी एक्ट की जो दफा १५ है उसके अनुसार, उसके तहत, खातेदारी राइट्स मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्थान सरकार दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका नतीजा भोगना पड़ता है राजस्थान की जनता को, राजस्थान की गरीब जनता को इन गलतियों के कारण बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। पिछले सेशन के अन्दर मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार का अमेंडमेन्ट रखा गया था और सरकार ने यह स्वीकार किया था कि हमने एक भूल की है और जो दफा १५ है उसके अन्दर हम एक दफा १५ ए और जोड़ना चाहते हैं। वह हमारी भूल यह है कि केनाल एरिया के अन्दर राजस्थान केनाल एरिया नहीं जोड़ा और वह एमेंडमेंट उस सेशन में इस सदन के अन्दर पास हो गया। उसके बाद मैंने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त पूछा था कि जिन किसानों को राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ के तहत १५ अक्टूबर १६५५ के दिन खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं, उन किसानों के ऊपर यह कानून किस प्रकार से असर करेगा? उस वक्त माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उस गलती को स्वीकार करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, अब सदन के सामने अमेंडमेंट और लाया जा रहा है और राज्य सरकार कहना चाहती है कि हमने फिर भूल की है, फिर गलती की है। एक भूल तो हमने यह की थी कि हमारा यह उद्देश्य नहीं था, हमारा यह इन्टेन्शन नहीं था कि १५ अक्टूबर, १६५५ से पहले जिन किसानों ने उस एरिया में जमीनें ले रखी हैं, उनको १५ अक्टूबर के दिन से खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे और उसके बाद ये नहीं मिलेंगे। इस प्रकार का हमारा कोई इन्टेन्शन नहीं था, इसलिए हम यह अमेंडमेंट ला रहे हैं कि १५ अक्टूबर, १६५५ से पहले या बाद में किसी किसान को खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे उस एरिया में। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की गलती राजस्थान सरकार करे और उसका नतीजा भुगतना पड़े पब्लिक को। यहां जो बिल पेश किये जाते हैं वे किस प्रकार के बिल होते हैं, और किस प्रकार से लॉ डिपार्टमेंट यहां सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता है, इसके बारे में मैं नहीं कहता। हो सकता है कि आस पड़ौस के दूसरे प्रान्तों के कानूनों से नकल कर मंत्री महोदय को लॉ डिपार्टमेंट सौंप देते हैं, और वे बिना देखे ही इस सदन में उसको पेश कर देते हैं। यही कारण है, कि मैं सोचता हूँ कि इसी कारण से यह गलतियां रह जाती हैं कि टिनेन्सी एक्ट में इस अर्से में इतने एमेंडमेंट आ गये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व सिक्स्थ। इतने अमेंडमेंट क्यों आ रहे हैं? इसका कारण यही है कि मंत्रीजी ने जो कानून बनाये उसके अन्दर कुछ खामियां रही हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए सरकार कुछ सोचने जा रही है। उसके लिए यहां इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट रखा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस दिशा में हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या है और वह यह है कि भूमिहीन किसानों को खेती करने लायक जमीन कहां से मिले? मैं समझता हूं इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा, जिसे हम पारित करने जा रहे हैं उससे, किसानों के बहुत बड़े समुदाय पर असर पड़ेगा और किसान भूमिहीन होंगे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, दावे के साथ कहता हूँ कि

(श्री गिरधारीलाल)

जिस एरिया में यह नहर जा रही है उस एरिया के किसान अधिक भूखे हैं। मैंने अभी इस एरिया का दौरा भी किया है। आप सैकड़ों गावों में चल कर देख लीजिए। आपको कहीं अनाज नहीं मिलेगा, गांवों में छोटी छोटी चीजें भी उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर पक्के मकान नहीं हैं, इस पर भी हम वहां के किसानों को खातेदारी राइट नहीं दे रहे हैं। किसानों की जमीन नीलाम की पद्धति से बेचेंगे। लेकिन उस जमीन को खरीदेगा कौन ? खरीदेगा वही जिसके पास पैसा होगा। और पैसा या तो शहर में रहने वाले व्यक्तियों के पास है या दूसरे एरिया जैसे पंजाब आदि हैं उन अन्य प्रान्तों के लोग जो साधन सम्पन्न हैं वे यहां आकर जमीन खरीदेंगे। क्योंकि आप खातेदारी राइट्स वहां के किसानों को नहीं दे रहे हैं और जमीन को नीलाम करेंगे और नीलामी में जमीन लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है ऐसी हालत में जमीन नहीं मिलेगी और जो लोग भूखे हैं वे आगे भी भूखे रहेंगे और जो पैसे वाले जमीन खरीदेंगे उनके मातहत मजदूर बन कर रहेंगे।

दूसरी बात यह है कि हम कोई कानून सदन में पेश करते हैं तो उसको तहत लोगों को फैसिलिटीज़ देते हैं। इतने अधिक अमेन्डमेन्ट लाने से राजस्थान की जनता को अविश्वास सा हो गया है, राजस्थान सरकार के प्रति। जिस कानून की तहत में कुछ अधिकार या फायदा मिला है, हो सकता है कि उसमें कोई अमेन्डमेन्ट कल आ जायगा। टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ के तहत जिन किसानों को खातेदारी राइट दिए गए हैं, उनको उसके द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उनको उसके द्वारा जो अधिकार मिला हैं, वह छीना जा रहा है इस अमेन्डमेन्ट से क्योंकि जिस वक्त से केनाल एरिया घोषित हुआ है, जहां तक मुझे याद है, सन ५६ में जैसलमेर और बीकानेर के कुछ हिस्से का सर्वे करके केनाल एरिया घोषित हुआ, आज तक यह हुआ है कि सरकार कानून पास करती है उससे खातेदारी का अधिकार किसानों को मिलता है लेकिन जिस एरिया को केनाल एरिया घोषित किया जाता है उस एरिया में खातेदारी राइट नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां उल्टा कानून है। यहाँ यह कानून पास करने से १०० साल पहले से भी यदि किसी के पास जमीन है तो भी उसको खातेदारी राइट नहीं दिया जायगा, जिस दिन से केनाल एरिया घोषित हुआ है उस दिन के बाद यदि किसी ने जमीन ली है तो उसकी बदनीयती हो सकती है क्योंकि उसने यह जान कर जमीन ली है कि यहां पर नहर आयगी पानी आयगा और खेतों से आमदनी ज्यादा होगी लेकिन और लोग जिनके बाप दादों और पीढ़ियें उस जमीन पर खेती करते आये हैं उन काश्तकारों को टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ के तहत खातेदारी राइट से वंचित करना कहां तक उचित है। जब कि सन् ५६ से केनाल एरिया घोषित हुआ है और उससे बहुत पहले से वे लोग जमीनपर काश्त करते आये हैं उनको खातेदारी राइट्ससे वंचित करना उचित नहीं है। मैं कुछ खामियें और बताऊंगा।

अभी मैंने जैसलमेर में यह देखा कि वहां पर इन्हीं दिनों में सर्वे हुआ है। पिछली साल इस साल बहुत कुछ जमीन का सर्वे हुआ है। पहले वहां पर यह रिवाज था कि वहां के राजा और जागीरदार किसानों को जमीन जोतने के लिए देते थे। वहां पर जमीन बहुत थी इसलिए उनको एक रुपया, दो रुपया या पांच रुपया बीघा लगान पर जमीन देते थे। जमीन पर अधिकार राजा या जागीरदार का था। जब जागीरदारी खत्म हुई और राजाओं

Page No.62

(श्री गिरधारीलाल)

का राज्य गया उसके बाद, क्योंकि किसानों के नाम पर जमीन चढ़ी हुई नहीं थी इस लिए, सारी जमीन जागीरदार के नाम लिखी गई है या राजा के नाम लिखी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर इस तरह की बात है कि एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसके नाम पर जमीन लिखी हुई हो, इसलिए कुदरतन वहां के किसान खेतिहर मजदूर बन जाते हैं। इससे जागीरदारों को ज्यादा मुआवजा मिलेगा क्योंकि नहर आ रही है।

एक बात और है, जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट की तहत जागीरदार को खुदकाश्त की जमीन दी है और उनको खातेदारी राइट्स भी मिलते हैं। जागीर रिजम्पशन एक्ट की तहत उनको खुदकाश्त की जमीन मिली, खातेदारी राइट्स मिले, बहुत जमीन मिल गई और कल वहां पर नहर आयगी तब फिर उनको अनापशनाप आमदनी होगी, सीलिंग आयगी तब जमीन छीन ली जायगी, तो भी उनको मुआवजा अनापशनाप मिलेगा। लेकिन वहां के किसान के पास एक इंच भी जमीन नहीं है उनको खातेदारी राइट्स न देना अनुचित होगा। कल एक बिल पास किया है उसके अनुसार हो सकता है कि जिन जागीरदारों ने नाजायज तरीके से जमीन ली है उनसे वापिस ली जायगी लेकिन मुझे इसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जिन्होंने नाजायज तरीके से जमीन ली है उस जमीन को लेने में अकेले जागीरदारों का हाथ नहीं है उनसे ऑफिसर्स भी मिले हुए होंगे, ये उसको रखने में भी सफल हो सकेंगे। जहां पर नहर आयगी वहां पर पहले सर्वे होना चाहिये और उसके बाद यह कर सकते हैं कि किसान के पास लिमिटेड जमीन रहे। उसके पास लिमिट से अधिक जमीन हो तो उनको खातेदारी राइट्स न दें या यह कर सकते हैं कि जिसके पास सन् ५५ से पहले या ५ साल पहले से जमीन थी, केनाल एरिया घोषित हुआ उससे पहले उनके पास जमीन थी, तो उनको खातेदारी राइट्स देने चाहिये। केनाल एरिया घोषित हुआ उसके बाद जिन्होंने जमीन ली है उनको खातेदारी राइट्स भले ही आप मत दें। हो सकता है कि इस प्रकार का कानून किसी भी प्रान्त में आपको नहीं मिलेगा जिसके अंतर्गत सरकार इस प्रकार का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती हो, और अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहती हो। जिनके पास सैकड़ों वर्षों से खेत रहे हों, उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिले यह अनुचित बात है।

आप कह सकते हैं कि केनाल आयगी उसमें खर्चा लगेगा इसलिये उसकी वसूली हम नीलाम करके करना चाहते हैं। आप नीलाम करिये, वहां पर बहुत जमीन है लेकिन जिस किसान के पास पीढ़ियों से खेत हैं और लगातार वे उस पर काश्त करते आ रहे हैं वहां इतने दिनों से पैमाइश नहीं हुई है तो इसीलिये उसका रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं है और वह जमीन राज्य की तो है या जागीरदार की है तो कल सीलिंग के बाद आप उससे ले लेंगे लेकिन इससे किसान को क्या मिला जो बड़ी से बड़ी उम्मीद लगाये बैठे थे कि किसी दिन नहर आयगी और उनकी गरीबी दूर होगी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूँ कि इस कानून से गरीब अधिक मरेंगे। हम चाहते यह हैं कि जो किसान भूमिहीन हैं उनको जमीन मिले। लेकिन इस अमेन्डमेन्ट से हजारों की तादाद में किसानों पर असर पड़ेगा और वे भूमिहीन होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुतसी बातें इस सदन में बताई अब दूसरे और भी लोग इस विषय में बोलेंगे। मैं समझता हूं इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहिये।

श्री अर्जुनदास : Is it a fact that all the Hon'ble Ministers have gone for a lunch in the Police Lines?

श्री उपाध्यक्ष : It is not a necessary information to be imported to you.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन रखा है कि इस बिल को......

डा० मदनसिंह (दांता): यह प्रश्न ऐसा था कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को मौजूद रहना चाहिये था। अगर वे मौजूद नहीं रहेंगे तो जबाब देने में बड़ी मुश्किल होगी।

श्री उपाध्यक्ष : This is not a question to be pressed. I have already communicated the Hon'ble Minister to come early.

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : Don't be so jealous of the feast.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए संशोधन रखा है। यह बिल एक ऑर्डिनेन्स के रूप में पास किया गया है और मैं यह मानता हूं कि सरकार को ऑर्डिनेन्स पास करने का अधिकार है, लेकिन हमारे पास भी कुछ ऐसे अधिकार हैं, सदन के पास भी कुछ अधिकार हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की कुछ परम्परायें होती हैं जिनको निभाने की भी कानून की मन्शा होती है। परन्तु खेद है कि जो ऑर्डिनेन्स का ऑर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है कि यदि ऐसी परिस्थिति पैदा होती कि जिसका किसी प्रकार निवारण नहीं किया जा सकता और उस प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए विधान सभा उपस्थित न हो तो उस अवस्था में ऑर्डिनेन्स पास किया जा सकता है। मैं मान सकता हूँ कि पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट पर संशोधन पास हुआ है, उसकी सम्भवत: आवश्यकता हो सकती थी। उस प्रकार की चीज गवर्नमेन्ट की नॉलेज में आई और इस प्रकार के केसेज़ के लिए पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। परन्तु जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मैं इस धारणा का हूं कि जो कानून में संशोधन ला रहे हैं, इस प्रकार की जमीन केनाल एरियाज़ में है, जिसके विषय में पिछली बार ५६ ए सेक्शन में अमेन्डमेन्ट पास किया था। ५६ ए सेक्शन के मुताबिक १६५५ के बाद जो जमीन अलॉट की गई है, पर्मानेन्ट या टेम्प्रेरी, उसको टेम्प्रेरी मानकर चलने की बात थी लेकिन इस विधेयक के अनुसार उस वक्त या उससे पहले जमीन अलॉट की गई, उनके ऊपर खातेदारी राइट्स एक्र्यू नहीं होगा। यह प्रश्न ऐसा था, जिसमें आवश्यकता नहीं थी जिसके लिए सरकार अपने विशेषाधिकार ऑर्डिनेन्स मेकिंग पॉवर को युटिलाइज़ करती। मगर सरकार ने हमेशा सीधे ढंग से आलोचना से बचने के लिए इस प्रकार ऑर्डिनेन्स पास करके इस प्रकार परिस्थियां बनाई हैं कि अगर ऑर्डिनेन्स को बिल के रूप में निश्चित अवधि में पास नहीं करोगे तो इवित रिजल्ट्स होंगे। मेरा निवेदन यह है कि ऑर्डिनेन्स पास हुआ है, वह अगर विधेयक के रूप में पास हुआ होगा तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसमें निश्चित बात बताते हैं कि १६५५ के बाद जो अलॉटमेन्ट हुए हैं, वे टेम्प्रेरी होंगे। यह चीज़ अगर एक साल बाद पेश करते हैं तो उसमें कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है। तो विशेष प्रकार की परिस्थिति ऑर्डिनेन्स के लिए होती है, वह इसमें नहीं थी।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह

Page No.64

(श्री तनसिंह)

निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय राजस्व मन्त्री, कभी जब भाषण के मूड में होते हैं कहते हैं कि मेरे द्वारा अथवा मेरे मन्त्रित्व काल में बहुत प्रोग्रेसिव कानून बने हैं ......

श्री उपाध्यक्ष : Are the extracts before you ?

श्री तनसिंह (जारी): इस समय तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है और मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ ।

मैं निवेदन करना चाहता हैं कि क्या वे इस लेजिस्लेशन को भी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन मानते हैं ? दूसरी बात यह है कि सिद्धान्त की दृष्टि से मान लें तो भी यह लेजिस्लेशन प्रोग्रेसिव नहीं है । मैं निवेदन करूं कि यह तीसरा संशोधन बिल है । इसी ५१ ए क्लॉज में एक और अमेन्डमेन्ट, फोर्थ अमेन्डमेन्ट आने वाला है, उसमें इसे संशोधित किया है और उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के लिए एक फिफ्थ अमेन्डमेन्ट और रखा है । इस प्रकार यह पीसमील लेजिस्लेशन है । हमारी गवर्नमेन्ट की नीति है, पॉलिसी है, कि वह कन्सोलिडेटेड फॉर्म में किसी चीज को नहीं रखती, सम्बद्ध रूप में नहीं रखती, असम्बद्ध रूप मे रखती है । तृतीय संशोधन बिल में एक बात कही जाती है कि १९५५ के पहले जो जमीन अलॉट की गई है, उस पर खातेदारी राइट्स एक्यू नहीं होंगे, उनको टेम्पेरेरी अलॉटमेन्ट माना जायगा । फोर्थ अमेन्डमेन्ट में आपने रखा है कि अगर कोई जमीन १९५५ के पहले अलॉट की गई तो एस० डी० ओ० को दरख्वास्त देनी पड़ेगी उस पर २५ नये पैसे का टिकट भी लगाना पड़ेगा, उस समय हक कायम कराने के लिए दरख्वास्त देगा । अगर हक कायम किया गया तो राइट कन्फर किया जायगा । अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस तृतीय संशोधन कानून को पास कर दें तो नियमानुसार अगर कानून पेश होता है तो जैसे ही हम तृतीय संशोधन बिल को तय करते हैं, उसी बात से उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर हम इमीजियेटली तय करते हैं, अगर कानून एक दफा में पेश होता है । लेकिन दूसरे दिन दूसरा अमेंडमेंट पास करने बैठते हैं और फिर एक और संशोधन लाते हैं । यह स्थिति ऐसी है जिसका विशेष रूप से विरोध करना पड़ेगा । हम चाहते हैं कि हम सरकार को बाध्य करें कि वे एक साथ अमेंडमेंट पेश करें । मैंने सुना है कि सिक्स्थ अमेंडमेंट और आने वाला है । इस तरह जो पीसमील लेजिस्लेशन होते हैं, अगर वे खंडित रूप में नहीं हों तो उनको अच्छी तरह एडजस्ट कर सकते हैं । अगर हम यह कहें कि आपने सारे राइट्स हटा दिये हैं तो माननीय मंत्रीजी कहेंगे कि आपको गलतफहमी हो रही है, इसके लिए हमने फोर्थ अमेंडमेंट में रखा है । दूसरी बात यह आती है कि पहले कानून थे उन कानूनों के द्वारा राइट्स एक्यू होंगे और उसमें दस्तन्दाजी नहीं थी, लेकिन अब नये कानून के मुताबिक फोर्थ अमेंडमेंट आ रहा है, उसके मुताबिक लाजिमी हो गया है कि टिनेन्ट पर बर्डन है कि वह सिद्ध करे कि १९५५ के पहले जमीन अलॉट की गई थी उस पर उसके खातेदारी राइट्स एक्यू हो गये । यह सिद्ध करने का बर्डन उस पर है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मुंह इस दलील से बन्द किये जाने वाले नहीं हैं कि राइट्स खत्म नहीं किये हैं बल्कि फोर्थ अमेंडमेंट में जरूर हैं ।

जैसा मैंने निवेदन किया है कि जिस समय

Page No.65

(श्री तनसिंह)

तृतीय अमेंडमेंट बिल पास करें, चौथा अमेंडमेंट बिल उसी समय आना चाहिए था और इस तरह फिफ्थ अमेंडमेंट भी आना चाहिए और ५१ ए को बदलने सम्बन्धी धारायें हैं, जिन पर एक साथ विचार करना आवश्यक है। मेरा इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव का बेसिस यही है कि सब बिलों को कन्सोलिडेटेड करके नये रूप में बिल आये तो अपने विचार को अच्छी तरह रख सकते हैं।

तीसरी बात यह है कि इस कानून के लिए जो माननीय मंत्री जी ने रीजन्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स बताये हैं, यह उनके खिलाफ पड़ता है। या तो उन्होंने जान-बूझ कर इस प्रकार गुमराह करने वाले रीजन्स बताये हैं या इसको ड्राफ्ट करने में गलती हुई है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बताया है :

'Section 15 A of that Act, lately inserted therein, provided that land in the Rajasthan Canal Area leased out on or after the 15th October, 1955 shall be deemed to have been let out temporarily. It has been represented that a large number of temporary cultivators in the said area who had been holding temporary leases of lands therein since before October, 1955 would consequently be deemed to have acquired khatedari rights in their holdings on and from the 15th day of October, 1955. This had never been the intention of the Government. On the other hand such position is likely to defeat the very purpose underlying section 15 A. Hence the proposed omission of certain words in the said section"

अब इस पेराग्राफ को पढ़ने से प्रतीत होता है कि सरकार ने १६५५ से पहले कुछ लोगों को जमीन अलॉट की थी टेम्प्रेरिली लेकिन सरकार की मन्शा कभी नहीं थी कि यह टेम्प्रेरिली अलॉटमेंट पर्मानेंट होगा और उनको खातेदारी राइट्स मिलेंगे। हम मान सकते हैं कि सरकार की मन्शा नहीं थी। हमने १६५५ में एक कानून पास किया और उसके मुताबिक खातेदारी राइट्स दे दिये, भले ही गलती से किया हो, उसकी मन्शा यह नहीं थी। (श्री राजस्वमंत्री के सदन में आने पर करतल-ध्वनि)

श्री अर्जनदास : खाना खत्म हो गया क्या ?

श्री तनसिंह : (जारी) अगर यह संशोधन टेम्प्रेरी पर लागू नहीं होता है तो कोई भी आदमी, जिसे १६५५ से पहले पर्मानेन्ट लैंड दिया गया है, अलॉट किया गया है, उसके ऊपर खातेदारी राइट सिद्ध करने का बर्डन आपके ऊपर रहेगा और बर्डन ऑफ प्रूफ से बचने के लिए यह संशोधन दे दिया। इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह मन्शा नहीं लगती कि सरकार की मन्शा यह है कि टेम्प्रेरी लैंड अलॉट किया है वह टेम्प्रेरी रहे, बदस्तूर रहे और अंत तक रहे। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि पर्मानेन्ट अलॉटमेंट हुआ है, उसके सम्बन्ध में मन्शा नहीं थी, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स की मन्शा नहीं थी, लेकिन कानून की मन्शा के अनुसार यह चीज़ हो गई है। अब किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी, मैं उनका जिक्र कर दूं। मैं सबसे पहले सरकार के इस टिनेन्सी के सिद्धान्त पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। राजस्थान में जो काश्त करने

Page No.66

(श्री तनसिंह)

वाले हैं, अगर वह बाड़मेर में काश्त करता है तो उसके भिन्न अधिकार हैं, अगर वह व्यक्ति गंगानगर में, केनाल एरिया में काश्त करता है तो उसके अधिकार विशेष प्रकार के होते हैं, उसको टेम्प्रेरी अलॉटमेंट होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार डिस्क्रिमिनेटली ले डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। जो जमीन १६५५ से पहले अलॉट हो चुकी हैं। उन लोगों को भी, जो कानून आज पेश हो रहा है, उससे प्रभावित करना अच्छा नहीं है और इसके साथ साथ हम राजस्थान में रहने वाले सब किसानों को समान रूप से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, कुछ को विशेष सुविधाएं दे रहे हैं और कुछ को नहीं। कांग्रेसी बाहर जोरों से कहते हैं, हम लोगों को जो जमीन काश्त करते है, उसको उस पर पूरा अधिकार देते हैं, ट्रान्सफर करने का सबलेट करने का और इसी प्रकार के और और अधिकार पूर्ण तरीके से देते हैं, पर यह कानून उस मूल नीति के विरोध में है। मोटर चलाते हुए कोई मामूली आदमी बछड़े को मार देता है तो उस पर सभी गुस्सा निकालते हैं और बड़े आदमियों का यह हिसाब होता है कि मोटर चलाते हुए उनके हाथ से बछड़ा मर जाता है तो उस बछड़े की या उसके मालिक की गलती मानी जाती है। कांग्रेस जब पॉवर में नहीं थी तो ऐसा कहीं नहीं होता था कि कहीं यह अधिकार देंगे, कहीं यह अधिकार नहीं देंगे, पर आज कांग्रेस पॉवर में है और ऐसा कहते हैं कि इनको देंगे, उनको नहीं देंगे। उन्हीं लोगों के जूते पहन कर उन्हीं लोगों का स्वरूप प्रदर्शित कर रहे हैं। अंग्रेजों की नीति को सरकार अपनाती तो दूसरी बात थी पर, अंग्रेजों के सारे हथकण्डे कांग्रेस सरकार अपनाती है। अन्तर इतना ही है कि वे गोरे थे और ये काले हैं। नीति में भेद है तो स्वरूप में भेद हुआ।

अभी अभी कोई कानून हमारे सामने माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने रखा था उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने नीति घोषित की है कि जो जमीन काश्त करता है उसी को उस पर पूरा हक मिलना चाहिए। तो गंगानगर इलाके में यह नीति नहीं अपनाई जाती, वहाँ दौड़ लगाई जा रही है कि वे अपनी स्थिति को सिक्योर्ड न समझें। तो इस तरह जो हमारे योजना आयोग की नीति है, जिसे माननीय मन्त्री महोदय ने दूसरे बिल रखते हुए बताया था उस योजना आयोग की मूल नीति के खिलाफ भी यह पड़ता है। मान लीजिए कि किसी को १६५५ के पहले पर्मानेंटली जमीन अलॉट हुई, उसे ऐसे खेतों में चाहे वे उसे टेम्प्रेरी मिले हों पर सन् ५५ के कानून के अनुसार खातेदारी राइट्स मिल गये, फिर वह यह नहीं सोच सकता कि राजस्थान की विधान सभा सन् ५८ में क्या कानून पास करेगी और इस तरह उसने वहाँ उस जमीन में इम्प्रूवमेंट्स किये, शेड्स वगैरह लगा लिये, या उससे जमीन खरीदने वाला है, ऐसा तो वह नहीं करेगा कि रुपया दे दे और खातेदारी राइट्स न मिले, उसने उससे जमीन खरीद ली तो इस प्रकार की परिस्थितियों को मीट आउट करने का प्रावधान इस बिल में नहीं है। गुड फैथ में उसने उस जमीन को ट्रान्सफर कर दिया तो यह कानून लागू करने से उनके राइट्स रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वापिस ले लिए जायेंगे।

मैं एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किसी आदमी ने

(श्री तनसिंह)

इम्प्रूवमेंट उस जमीन में किया है, उसने यह समझ कर कि १६५५ के कानून के मातहत उसे उस जमीन पर खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं, उस जमीन पर उसे पूर्ण अधिकार मिल चुके हैं, वहां उस जमीन पर उसने इम्प्रूवमेंट किया, शेड, मकान और और इसी तरह का इम्प्रूवमेंट किया, तो उसको किस प्रकार का कम्पन्सेशन मिलेगा, इसका इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है ।

ऐसा लगता है जैसे खेती का काम करने वाली नई जाति पैदा की जा रही है, व्यापक रूप से एक्स्प्लोइटेशन पैदा करने की नीति अपनाई जा रही है । जो लोग खेती करते आये हैं, जिन्होंने १६५५ के मातहत उस जमीन पर अपने पूर्ण राइट्स समझ कर, उस जमीन पर अनेक प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स किये हैं, हम उनके अधिकारों को एक पेन का स्ट्रोक लगा कर उन पुराने काश्तकारों के अधिकारों को छीन रहे हैं ।

२. ४७ म० प०

(श्री सतीशचंद्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

लैंडलैस काश्तकार, जो लैंडलैस हैं, जिनके पास जमीन नहीं हैं वे काश्तकार, राजा है, पर राज्य नहीं, बेमुल्की नवाब हैं, किसान हैं पर भूमि नहीं, मैं इस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता । ऐसा मिनिस्टर हो कि जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, न कोई विधान सभा है, न उसके पास कुछ काम है और मंत्री है, तो ऐसे मंत्री जिन्होंने कभी काश्त नहीं किया वे लोग कैसे काश्तकार हैं ? जैसे कहा, उनको बसाने के लिये, उनके रीहेबिलिटेशन के लिये यह नीति अपनाई जा रही है । पर वे लैंडलैस टिनेन्ट्स कौन हैं ? यदि इन्हीं लोगों को समझा जाता है जो काश्त करते हैं तो मैं नहीं समझता कि सालों साल उनको वही जमीन अलॉट करें । इससे तो कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ता है और अगर भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता, क्योंकि आप ईमानदार हैं, आपका साया उन कर्मचारियों पर भी पड़ता है इसलिए वे भी ईमानदार हैं, तो भी उन किसानों को हर साल नये अलॉटमेंट के लिए आपके दरबार में आकर पुकार करनी पड़ेगी कि साहब हमें हमारी जमीन पर अलॉटमेंट दिया जाय, हमारी जमीनें हमें फिर से अलॉट की जायं, एक साल खत्म हो गया, अब नये अधिकार दीजिये । तो लोगों को सिर्फ यह बताने के लिए कि हमारी हुकूमत है, यह कानून अगर लाया जा रहा है तो यह अनुचित है ।

ऐसी सूरत में मेरा यह प्रस्ताव है कि इन तीनों बिलों को एक साथ कन्सोलिडेट करके या प्रवर समिति में भेज कर एक ही क्लॉज को जो तीन बिलों द्वारा भिन्न भिन्न किया गया है, उसका खुलासा करें और सही कन्स्ट्रक्टिव रूप में आलोचना करके, स्पष्टीकरण करके, सही रूप में सदन के समक्ष पेश करें ।

मैं समझता हूं, मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में मन्त्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होगी और वे इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्री मोहरसिंह ।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : माननीय सभापति महोदय, सदन के सामने आज बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन आया हुआ है, इसके ऊपर मेरा संशोधन है कि उपरोक्त अमेंडमेंट

(श्री मोहरसिंह)

बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय । दो-तीन मेरे माननीय सदस्य महानुभावों ने इस मुतल्लिक अपने विचार सदन में प्रस्तुत किये हैं । वास्तव में, माननीय सभापति महोदय, उक्त संशोधन बहुत विचारणीय है, यह किसानों से सम्बन्धित है और किसान केवल हमारे प्रदेश के ही नहीं अपितु सारे भारत की रीढ़ हैं । वास्तव में किसानों के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव, जो उनके अनुकूल नहीं है, किसी विधेयक संशोधन के द्वारा पड़ता है तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उस संशोधन विधेयक पर पूरी तरह से विचार करें । इसी बात को सोच कर मैंने इस संशोधन पर यह संशोधन रखा है ।

जो वास्तव में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है इसलिए इस प्रकार का संशोधन लाना जरूरी है । तीन अमेंडमेन्ट आये हैं—तीसरा, चौथा और पांचवां । यदि मैं चार-पाँच पर अभी कोई बात कहता हूं तो मैं अपने विषय के बाहर जाता हूं, इसलिए मैं इस वक्त इसको प्रस्तुत नहीं करूंगा । मैं समझता हूं कि वे तीनों ही एक दूसरे से इतने विपरीत आये हैं कि सिलेक्ट कमेटी के सामने कन्सोलिडेट करके सदन के सामने पुनः आ जावे तो बहुत ही ठीक ढंग से उस पर विचार किया जावे । इसीलिए तीसरा अमेंडेड बिल है उस पर मैंने अपना यह अमेंडमेंट रखा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे । यह जो अमेंडमेंट माननीय राजस्व मंत्री महोदय की तरफ से रखा गया है उसको मैं अमेंडमेंट कहूं या चक्रव्यूह कहूं । बड़ा उलझा हुआ मामला है । किसान २४ घण्टे से १८ घण्टे काम करते हैं, वे रात-दिन खेत में जाकर काश्त करते हैं या आगे के वर्ष के लिए खाद्य आदि के काम में उलझे हुए रहते हैं । किसानों के हित के लिए तीन वर्ष पहले, १५ अक्टूबर को टिनेन्सी एक्ट पास किया गया और सब जगह के कानूनों को मिला कर एक जगह कानून बनाया गया और उसके लिए यह दुहाई दी गई कि यह किसानों के लिए बड़ा भारी प्रगतिशील कानून है । इसके लिए हिन्दुस्तान के किसानों ने खुशियां मनाई । उसके बाद में एक संशोधन आया, दूसरा संशोधन आया और उससे संबंधित तीसरा संशोधन आया है । पहले कानून बना उसमें भाखरा और गंगानगर के काश्तकारों को खातेदारी के हकूक नहीं मिले, उसका नतीजा हमने देखा । चूंकि यह विषय के बाहर की बात है मैं कहना नहीं चाहता । उसके बाद राजस्थान कैनाल एरिया के लिए अमेंडमेंट आया और इस प्रकार का संशोधन रखा गया कि १५ अक्टूबर १९५५ के बाद के जो टिनेन्ट्स हैं उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे । राजाओं के जमाने में सैटलमेंट होकर खातेदारी हकूक जिन लोगों को मिले हुए थे वे बहुत बड़ी संख्या में हैं । यह सभी माननीय सदस्यों को मालूम है । जागीरदारी एरिया में खातेदारी आप देखेंगे तो ५ प्रतिशत या १० प्रतिशत ही मिलेगी । हम इस बात के लिए लालायित थे कि सरकार सबको खातेदारी हकूक दे देगी । मगर धारा १५ (ए) रख कर हमने किसानों को जिन्हें १५ अक्टूबर १९५५ के बाद में जमीनें अलॉट की गई थीं, उनको छोड़ कर बाकी की जमीन पर तो खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं तो हमने यह भी ठंडी सांस ली कि जितनों को ये अधिकार मिल जावें उतना ही अच्छा है । मगर थोड़े दिनों के बाद फिर अमेंडमेंट निकलता है कि इन

(श्री मोहरसिंह)

शब्दों को हटा दिया जावे। गवर्नमेंट की यह मंशा ठीक नहीं है कि जो लोग आज ८० सालों से या उनसे भी ज्यादा समय से अब तक काश्तकारी करते आए हैं उनसे लेकर दूसरों को जमीन दे दी जावे इसे कोई न्याय नहीं कह सकता। राजा लोगों के समय में भी जो २० साल से काश्त करता था उसको हटाया नहीं जाता था। आज जिन लोगों को ३०-४० साल उन जमीनों पर खेती करते हो गए हैं उनको खातेदारी हक्क नहीं दिए जाते हैं यह तो बड़े शर्म की बात है। जिस समय यह संशोधन पिछले सत्र में पास हुआ था और आर्डिनेन्स लागू नहीं हुआ था हमने सोचा था कि किसानों को सोलह आना फायदा नहीं हुआ तो चौदह आना तो लाभ मिलेगा ही। इससे खुश होकर घर गए और जब घर गए तो घर जाने के बाद यह ऑर्डिनेन्स लागू होता है और हमको मालूम होता है कि टेम्प्रेरी को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। इसके लिए यह दलील दी जाती है कि गवर्नमेंट खर्चा कहां से लावेगी। बड़ी बड़ी नहरें निकल रही हैं उन पर करोड़ों रुपया खर्च होगा। वह रुपया गवर्नमेंट कहां से लावेगी? २० वर्ष के बाद तो राजा लोगों के जमाने में भी खातेदारी हक्क मिल जाते थे। मगर आज बड़ी शर्म की बात है कि जिस जमीन पर लोग ४०-४० वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं उनको भी खातेदारी हक नहीं देते हैं, यह बड़े अन्याय की बात है। बारानी वालों के लिए धारा १५ में उल्लेख है। मगर नहरी इलाकों में जो भाखरा आदि में बसते हैं उनको ये हक नहीं दिए जावेंगे। हमने इसका नतीजा हनुमानगढ़ आदि में देखा कि किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है। इन सारी चीजों के बाद हमने १५ ए बनाया। आज जो हक हमने पहले काश्तकारों को दिए उनको भी देखते हैं कि छीना जा रहा है। इन सारी बातों को मानता हूं कि गवर्नमेंट को खर्चे की जरूरत है। खर्चा जरूर लगेगा। मैं भी इस बात को मानता हूं, राजस्थान केनाल, भाखरा आदि की नहरों को बनाने में खर्चा लगेगा लेकिन खर्चा जो लगेगा उसके लिए खेतों में उन काश्तकारों को पानी मिलेगा और उससे खर्चा वसूल भी हो सकता है। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। इसलिए कि यहां पर पानी आवेगा उनको खातेदारी हक नहीं दिए जावें यह कोई सही कारण नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस खेत में पानी आवेगा उससे खर्चा लिया जावेगा। करोड़ों रुपए लगेंगे, उस सारे खर्चे को उन खेतों पर डाला जावे, यह तो उचित होगा, लेकिन यह खर्चा इस हिसाब से लगाना चाहिए कि जिससे किसानों की कमर न टूटे और खर्चा भी पूरा हो जावे। हम पानी लेंगे तो खर्चा देंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं अब तक सात पीढ़ी को पानी नहीं मिला इसी तरह तुमको अब खातेदारी हक भी नहीं दिए जायें। कोई रेलों में सवार होता है और उसको कहीं जाना होता है तो उनको १०) भी टिकिट के रेल किराये के लगते हैं तो देने पड़ते हैं। यदि किसी को यहां से सांचौर पहुंचना होगा तो उसको पैसे देने होंगे। अगर किसी को समाचार पहुँचाना होगा तो उसको १५ नए पैसे लिफाफे के देने होंगे। इसी तरह से यदि पानी लेंगे तो उसको जरूर खर्चा देना होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह नहीं कि नहरी इलाकों में लोगों को खातेदारी हक नहीं दिए जावें। काश्तकार जिन्होंने उन स्थानों पर रह कर सात-सात

(श्री मोहरसिंह)

पीढ़ी तक उन बन्जर जमीनों को काबिल काश्त बनाया और गावों को आबाद बनाए रखा उन लोगों को आज यह कहा जाता है कि उनके यहां नहरी पानी आ रहा है, इसलिए खातेदारी राइट्स नहीं दिए जावेंगे। भाखरा में जो इसका नतीजा हुआ है उसको हमने देखा है और मुझे उसका बहुत अच्छा अनुभव है कि वहां पर क्या हुआ है। हमें पहले वालों से शिकायतें थीं, राजाओं से शंकायतें थीं। मगर आपने राजाओं को अच्छे कहलवा दिए। हमें इस बात पर विचार करना है। हम कोई अमेन्डमेन्ट रखते हैं या कोई कानून बनाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इसका असर खासकर काश्तकारों पर किस प्रकार होगा? इन सारी बातों पर विचार करके अमेन्डमेन्ट लाना चाहिए।

३. १. म० ५०

अब इसके साथ में जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि १५ एकड़ भूमि रहेगी और वे उसमें खाद पैदा करके भारत के माथे को उज्ज्वल करेंगे, यह एक प्रकार से उनके साथ खिलवाड़ है। इसके साथ साथ मैं यह भी कह दूं कि वास्तव में पक्षपात है लेकिन किसानों को कहा जाता है कि हम खातेदारी हक दे रहे हैं। लेकिन बेचारे चालीस वर्षों से खेती करते आ रहे हैं उनको भी खातेदारी हक देना नहीं चाहते। फिर सीलिंग आयगा तो सरकार कहती है कि हमें उनको कम्पनसेशन देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जागीरदारों को मुआवजा दिया गया और भी देते जा रहे हैं जिन्होंने कभी खुदकाश्त नहीं की। जब आपने यह सिद्धान्त मान लिया जमीन बोवे उसकी तो वैसी हालत में खातेदारी मिलनी चाहिये। अगर उस काश्तकार से भी यदि जमीन छीन ली जाती है तो सरकार कहती है कि कम्पनसेशन दिया जावे इसलिये हक्क खातेदारी कैसे दे दें। मैं समझता हूं जिन जागीरदारों को जो खुदकाश्त नहीं करते हैं उनको, हमने मुआवजा दिया, लेकिन जो एक तरफ वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं उनको यदि कम्पनसेशन के रूप में दो पैसा देने की बात हो तो आपको क्यों एतराज होता है? मैंने राजस्थान केनाल के पास बसे हुए गांवों को देखा है जिन गांवों में आधी भाखरा नहर आती है और आधी राजस्थान केनाल आती है। वहां पर आप पचास बीघा जमीन देते हैं। २०० बीघा तो वह ऑलरेडी बो रहा है लेकिन उसको काटकर आप केवल पचास बीघा देना चाहते हैं जिसके घर में २५ आदमी खाने वाले हैं उसका काम पचास बीघे से किस प्रकार चल सकेगा। पांच बालिग के पीछे आप पचास बीघा जमीन देने का प्रोविजन रखते हैं, उन पांच बालिगों के परिवार का भी अन्दाज लगाइये। चार बालिग जिस घर में हों एक उनका पिता और चारों के चार स्त्रियां और उनकी माता। इस तरह से दस प्राणी तो बालिग हो गये। अब आप चार बालिग में प्रत्येक के तीन तीन बच्चे भी गिनें तो १२। इस तरह सब मिलाकर २२ आदमियों के भरण-पोषण के लिये आप देना चाहते हैं ५० बीघा जमीन इस ऑर्डिनेन्स के जरिये। भाखरा नहर का इलाका आप देखकर आइये। मैं यदि कुछ झूठ कहता हूं तो आप पाँच आदमियों की कमेटी बनाइये और उनको कहिये कि वे देखकर आये वहां के किसान की क्या हालत है। सूरतगढ़, लूणकणसर, हनुमानगढ़ तहसील में आप जाइये, आपको पता लगेगा कि एक तरफ आप चाहते हैं अनाज की जो किल्लत है वह दूर हो, दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि खाद्य

Page No.71

(श्री मोहरसिंह)

संकट को दूर करो, गवर्नमेन्ट आपको मदद देगी, लेकिन उस इलाके में हो क्या रहा है कि जिसके पास जमीन है वह उससे खिसकाई जा रही है। आज वहां के किसान को यह पता नहीं कि जो जमीन वह बो रहा है वह उसके पास रहेगी या नहीं। मैं आप सब लोगों को साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ किस प्रकार आज किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह से कहा यह जाता है कि हम भूमिहीन को जमीन देना चाहते हैं, इसलिये आरजी जमीन है वह काश्तकार से छीन रहे हैं। आरजी जमीन गवर्नमेन्ट अपने कब्जे में रखे वह भी मैं देखकर आया हूं। जहां पर नाली आ रही है वहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, एक बीघे की कीमत ४००) रुपये तक ली जाती है। ऐसी हालत में आज किसानों के पास कहां इतना रुपया है जो इतनी भारी कीमतों पर वहां की जमीन ले सके। सच मानियेगा, वहां पर जो बाई इलेक्शन हुआ उसके बाद जब मैं वहां गया तो मैंने सूरतगढ़ में देखा हजारों किसान बैठे थे। मैंने उन किसानों से पूछा, किसानों! क्या बात है? तो वे कहने लगे क्या करें। जमीन के लिए बैठे हैं हमारे घर में खाने वाले तो २५ आदमी हैं और हमें केवल ५० बीघा जमीन दी जाती है। इस प्रकार की हालत है हमारे उस इलाके में। हरिजन जो वहां आबाद थे उनके पास इतना रुपया नहीं, तो उनसे जमीन छीन ली गई। एक तरफ तो कहा जाता है कि देश में खाद्य का तोड़ा है जहां पर इस प्रकार से उलझे हुए कानून हों, वहां खाद्य की कमी नहीं होगी तो क्या होगी? आज हमारी हालत क्या है? हिन्दुस्तान से बाहर के देशों से हमें अनाज लेना पड़ता है। उसमें हमारा करोड़ों रुपया चला जाता है। यह सब इसलिये हो रहा है कि हमारे यहां जो कानून बन रहे हैं उनमें एकरूपता नहीं है। हमने कई संशोधन इस एक्ट में किये। हमें देखना है कि पिछले संशोधन से क्या असर पड़ा? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि इस पर पुन: विचार कर लिया जावे तो इसमें मुझे कोई हानि नहीं मालूम होती।

इसके अलावा धारा ८६ है। उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार के दरख्त काटे जा सकते हैं। एक दरख्त किसी के खेत में गिर जाता है और मान लीजिये वहां का किसान अकाल से पीड़ित है वैसी हालत में वह सोचता है कि चलो इस पेड़ को बाजार में लेकर चलें, इसको बेचकर कुछ अनाज ले आवेंगे, बच्चों का पालन-पोषण हो सकेगा, लेकिन जब वह किसान उस दरख्त को बाजार में ले जाता है तो तहसीलदार साहब की नजर पड़ जाती है तो उस पर दंड, जुर्माना तक हो जाता है। इस तरह से इस बिल में कई प्रकार के संशोधनों की आवश्यकता है। उसमें किस प्रकार के पेड़ काटे जा सकते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिये किन किन कामों में पेड़ों को किसान काम में ले सकता है? आजकल होता क्या है कि तहसीलदार से लाइसेन्स लेना पड़ता है उसके लिये किसान सरपंच, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनको दरख्वास्त एक किसान को, जो रात दिन बेचारा खेत में परेशान रहता है, इस प्रकार के पचड़े में पड़ने की फुर्सत ही कहां है? इसमें खामियां हैं। डोमेस्टिक यूज के लिये खेत में से गीली लकड़ी ले सकता है इस प्रकार की इजाजत होनी चाहिये। डोमेस्टिक यूज के लिये प्रोवीजो और जुड़वाया जाना चाहिए। आज हमारी सरकार जो अपने को प्रगतिशील सरकार

Page No.72

(श्री मोहरसिंह)

मानती है, समाजवादी रास्ते पर चलने का वादा करती है, उसको चाहिये की इस प्रकार के प्रोविजन इसमें रखे, ताकि किसानों को राहत मिल सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह निवेदन है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। यह सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द क्यों किया जाय इस सम्बन्ध में मुझसे पहले बोलने वाले तीन माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। अब इस बात की आवश्यकता नहीं रही कि उन बातों को मैं दुबारा सदन के सामने प्रस्तुत करूं। इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा है :—

"Section 15 A of that Act, lately inserted therein, provided that land in the Rajasthan Canal Area leased out on or after the 15th October, 1955 shall be deemed to have been let out temporarily. It has been represented that a large number of temporary cultivators in the said area who had been holding temporary leases of lands therein since before October, 1955, would consequently be deemed to have acquired khatedari rights in their holdings on and from the 15th day of October, 1955. This had never been the intention of the Government. On the other hand such position is likely to defeat the very purpose underlying section 15 A. Hence the proposed omission of certain words in the said section."

यह एक संशोधन हमारी सरकार की तरफ से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पहले किया गया था। सरकार को जब उससे सन्तोष नहीं हुआ तो दुबारा संशोधन अब पेश किया गया। उसके द्वारा यह व्यवस्था है :

"It has been represented that a large number of temporary cultivators in the said area who had been holding temporary leases of lands therein since before October, 1955 would consequently be deemed to have acquired khatedari rights in their holdings on and from the 15th day of October, 1955. This had never been the intention of the Government. On the other hand such position is likely to defeat the very purpose underlying section 15 A. Hence the proposed omission of certain words in the said section."

सभापति महोदय, सरकार की ओर से जो व्यवस्था की जा रही है उसकी मंशा यह है कि राजस्थान केनाल के अन्तर्गत जो भूमि आने वाली है उस भूमि पर काश्तकारों को खातेदारी के हक न मिलें, काश्तकारों के खातेदारी के हक न बनें। इस सारी व्यवस्था को हमें दो भागों में बांटना पड़ेगा। पहला भाग यह कि जिनको खातेदारी के हक मिल चुके, दूसरा भाग यह कि जिनको खातेदारी के हक मिले नहीं।

तो आज जो टेम्प्रेरिली काबिज हैं उनको खातेदारी के हक न मिले यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन जिनको खातेदारी के हक मिल चुके उनके हक छीने जावें यह बात समझ में नहीं आती और खास तौर से राजस्थान केनाल के प्रसंग को सामने रखकर।

राजस्थान केनाल की यह सारी स्कीम एक

(श्री भैरोंसिंह)

बहुत बड़ी स्कीम है। इसमें ६६ करोड़ का खर्चा होगा। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में राजस्थान केनाल के लिये २२ करोड़ रुपया खर्च किये जाने की व्यवस्था है। प्लॉन के ढाई वर्ष खत्म हो चुके। पिछले वर्ष तक इसमें केवल ५० लाख का खर्चा हुआ था। इस वर्ष के अन्त तक दो करोड़ और खर्च हो जावेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ६६ करोड़ की इस योजना के अन्तर्गत २॥ करोड़ रुपया दूसरी योजना के तीन वर्ष खत्म होने तक खर्च होंगे। अब बाकी रहे दो वर्ष। मैं ऐसा नहीं समझ सकता और न सरकार से इस बात की आशा भी कर सकता हूँ कि बाकी के दो वर्षों में बाकी का खर्चा हो जावेगा; क्योंकि आधे समय तक २२ करोड़ में से १॥ करोड़ खर्च किया तो बाकी के आधे समय में २०॥ करोड़ खर्च हो जावेगा इसकी सम्भावना नहीं है।

ऐसी स्थिति में आज कोई निश्चित रूप से यह कह सके कि राजस्थान केनाल एरिया में अमुक तारीख तक या जो हमने टार्गेट्स तय कर रक्खे हैं उनकी तारीख तक काम पूरा हो जावेगा, सिंचाई चालू हो जावेगी, काश्तकारों की खेती सिंचाई के कारण लहलहाने लगेगी और काश्तकार सुखी और सम्पन्न हो जावेगा, इस प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। प्रचार जरूर होता है, सरकार की तरफ से पेम्फलेट्स निकलते हैं, उद्घाटनों में लाखों रुपया खर्च होता है। राजस्थान पब्लिसिटी विभाग द्वारा राजस्थान केनाल का उद्घाटन हो ऐसे विषय में तीस हजार रुपया खर्च भी किया जाता है। पर इन बातों से इस बात का विश्वास आ जावे कि टार्गेट्स पूरे कर लेंगे और सिंचाई के लिये पानी मिल जावेगा इसकी सम्भावना नहीं है।

तो प्रश्न आता है कि आज के इस प्रकार के अनिश्चित वातावरण में जहां सरकार की स्कीम ही अनिश्चित है, कब से यह कार्य-रूप में आ जावेगी, यह अनिश्चित है, उस स्थिति में अगर काश्तकार के दिमाग में भी अनिश्चित लॉ का वातावरण आपने पैदा कर दिया तो फूड प्रोडक्शन पर क्या असर होगा, यह आपको सोचना होगा।

भारत के खाद्य मन्त्री श्री अजितप्रसाद जैन ने लोकसभा में जिस समय डिबेट हो रही थी, एक बात स्पष्ट तौर से कही थी, जितनी भी प्रान्तीय सरकारें हैं उन सब को इस बात के लिए आदेश तो नहीं, बल्कि अपील की थी कि फूड प्रोडक्शन में किसान के दिमाग में कानूनों के बारे में कोई अनिश्चितता न रहे। राजस्थान के काश्तकारों को अन्दर जमीन सम्बन्धी हक-हकूक या जितने भी लैण्ड रिफार्म्स के प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन आ रहे हैं उनके सम्बन्ध में या जितने भी कानून बन रहे हैं उनके सम्बन्ध में जब तक काश्तकार के दिमाग में अनिश्चितता का वातावरण रहता है वह पूरी दिलचस्पी से प्रोडक्शन नहीं करता और जमीन पर पूरी तवज्जोह नहीं देता। तो अब तक बाकी के प्रश्नों को छोड़ कर भी चलें और उन प्रश्नों को छोड़ने के बाद जो संशोधन आया उस पर देखें तो राजस्थान केनाल के अन्तर्गत जितने काश्तकार हैं उनके दिमाग में आज से यह फैक्टर वर्क करेगा कि यह जमीन उनके कब्जे में नहीं रहेगी।

राजस्थान केनाल का एरिया ऐसा है जिसमें यदि काश्तकार खेती की एक वर्ष भी निगरानी नहीं करे तो खेत बदल कर धूल के धोरे बन जायं। यहां की फर्टीलिटी धूल के साथ उड़ती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है। पर काश्तकार ने मेड़बन्दी के

Page No.74

(श्री भैरोंसिंह)

जरिये जगह जगह खेतों में झाड़ लगा कर या खेतों में लकड़ियां डालकर उसको उड़ने से रोका है और रोकता रहता है। आज यदि उनको यह कह दिया गया कि तुम्हें इस जमीन में खातेदारी के हक नहीं मिलेंगे या तुम्हारे खातेदारी के हक नहीं हैं तो इसका मतलब यह यह अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया गया है कि है कि जमीन तुमसे छुड़ाई जा सकती है, भविष्य में तुम्हें इस जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। जिस आदमी के दिमाग में यह फैक्टर वर्क करेगा कि जिस जमीन के लिये वह वर्क कर रहा है, जिसको इम्प्रूव करने का वह प्रयत्न कर रहा है, जिस जमीन को वह उपजाऊ बना रहा है, फूड प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और अनाज ज्यादा पैदा करके अपने बच्चों का भरण-पोषण कर रहा है, उसके दिमाग में यह आवेगा कि जिस तरह से टेम्प्रेरिली मेरे हक इस पर हैं, उसी तरह से फसल भी टेम्प्रेरिली मैथड से करना चाहिये। बरसात हुई तो जाकर बीज बो दिया, और फसल उग गई तो काट लिया, नहीं तो पड़ी रह गई। जमीन तो रह गई, पानी नहीं मिला तो नहीं मिला। खेती करने के चान्स हो गये कुदरती तौर पर तो कर लिये, नहीं तो चुप। इससे जो इन्टरेस्ट खेती में वह ले रहा था, उसको हम खत्म करेंगे।

अब एक प्रश्न है। माननीय राजस्व मन्त्री जी कहेंगे कि यह तो डेवलपमेन्ट का क्वेश्चन है। राजस्थान कनाल जब आवेगी तो उससे कई काश्तकारों को सुख-सुविधा मिलेगी, काश्तकारों के खेत हरेभरे हो जावेंगे, जितना भी उनका दरिद्र है वह दूर हो जावेगा। अब जिस काम से ये धाराएं लाना चाहते हैं उनको दूर करने की व्यवस्था दूसरे ढंग से भी की जा सकती है। लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट लागू है। अगर नहर के लिये उनको जमीनें लेनी हैं तो इस कानून का उपयोग वे कर सकते हैं। हम सड़कें या नहरें निकालते हैं, पब्लिक पर्पजेज के लिये जमीन लेते हैं तो लैण्ड एक्वीजीशिन एक्ट के मातहत ले सकते हैं। कलेक्टर कम्पेन्सेशन उसके लिये कैल्कुलेट करता है और वह दिया जाता है। राजस्थान में आज भी यह लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट लागू है। पर सरकार इसमें यह सोचती है कि अगर इस तरह से जिनके खेत इस स्कीम के मातहत सरकार लेगी तो कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। इसलिये वह कानून में संशोधन लाना चाहती है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह मंशा सरकार की है और सरकार उनको कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहती तो यह एक जबर्दस्त अन्याय उनके साथ होगा और इसके कारण से सम्पूर्ण राजस्थान में एक अनिश्चितता का वातावरण फैलेगा। आज यह प्रश्न है, कल दूसरे प्रश्न आ सकते हैं। बांध बनाने का प्रश्न आ जावेगा, कोई छोटी-मोटी नहर निकालने का प्रश्न आ जावेगा वहां भी आप यही करेंगे।

अब इस कानून में खातेदारी हक आगे नहीं मिलेंगे, यहां तक भी समझ में आ सकता है। पर जिनको मिल चुके हैं वे भी कैंसिल समझे जावेंगे। यह कहां का न्याय है? जिन्होंने उन खेतों पर अपने खातेदारी हक प्राप्त कर लिये उन्होंने यह समझा कि हमारा खेत हो गया और यह समझ कर उस पर इन्वेस्टमेन्ट कर दिया है, काफी पैसा भी लगाया है तो वह सारा इन्वेस्टमेन्ट बेकार जावेगा।

तो मैं साफ शब्दों में यह कहूं कि कानूनी भाषा में काश्तकारों के साथ यह धोखा है। यदि इस प्रकार का धोखा कोई सरकार न

(श्री भैरोंसिंह)

करके, कानून के जरिये इस प्रकार का धोखा न करके, यदि कोई साधारण आदमी एक दूसरे व्यक्ति के साथ करता है तो लोग उसको कहेंगे कि उसके साथ ४२० किया गया है। पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करेंगे और चालान भी कर देंगे। लेकिन यहां पर इस धोखे को कानूनी रूप दिया जा रहा है। यह बिल्कुल धोखा है कि एक व्यक्ति को पहले तो आपने हक-हकूक दे दिये। हक-हकूक देने के बाद गारन्टी दी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उसको दे दिया और यह कह दिया कि इस जमीन पर तुम्हारा हक है, इस जमीन से तुम्हें वंचित करने का अधिकार नहीं है सिवाय उस प्रावधान के, जिस प्रावधान का जिक्र आज तक हमने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में किया है। आज उसी काश्तकार के जो हक हकूक उसने हांसिल कर लिये थे उनके लिए यह कहा जा रहा है कि वे हक-हकूक हांसिल किये हुए नहीं समझे जायेंगे। तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो कोई चिन्ता नहीं, डेवलपमेंट कर दिया है उसकी कोई चिन्ता नहीं, कोई इन्टरेस्ट क्रियेट कर दिया है उसकी कुछ चिन्ता नहीं, लेकिन इस कानून के द्वारा हम तुम्हारे सारे हक-हकूक छीन सकते हैं। मैं कहूंगा राजस्व मन्त्रीजी से कि इस कानूनी भाषा में अप्रत्यक्ष रूप से काश्तकारों के साथ धोखा किया जा रहा है, इस प्रकार के धोखे का असर केवल राजस्थान कैनाल के एरिया पर ही नहीं, किन्तु होगा यह कि डेवलपमेंट के नाम पर भी धोखा दिया जा सकता है। इस प्रकार की आशंका हमारे काश्तकार समाज पर पड़ेगी। कल राजस्व मन्त्री जी ने छोटे जागीरदारों का नाम दिया था। उस समय उधर बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने नाराज होकर जागीरदारों के नाम से कई चीजें इस सदन में कहीं और इसका विरोध किया था और कहा था कि सरकार द्वारा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाया जा रहा है तो इधर बैठने वाला विरोधी दल उसका विरोध करता है। मैं उन्हीं माननीय सदस्यों से कह रहा हूँ जो काश्तकारों के हित को विचारते हैं, आज उन्हीं को कहता हूं कि इसको भी हम प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन कहें क्या ? जिस प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की मन्शा यह हो कि काश्तकारों के खातेदारी के हकूक, जो उन्हें दिये गये हैं, उन दिये हुए हकूकों को छीन लें और छीनने में भी उनको कम्पेसेन्शन देना चाहिए वह कम्पेन्सेशन नहीं दें और यह कानून बनायें हम आज, और लागू हो यह तीन वर्ष पहले से। ऐसी स्थिति में यह प्रोगेसिव लेजिस्लेशन नहीं है, इसको प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसको कहें कि यह एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो काश्तकारों के मूल इन्ट्रेस्ट पर आघात करता है और इसी लिए उधर बैठने वाले काश्तकारों के हित-चिन्तकों से कहूँगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो संशोधन पेश किया है उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राजस्थान के काश्तकारों के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। उसकी अहमियत का असर केवल राजस्थान केनाल कॉलोनी पर ही नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कहीं भी एक छोटी सी नहर बना कर काश्तकारों के हकूक छीन लेंगे, बेटरमेंट के नाम पर उनके हकूक छीने जा सकते हैं। इन सारी सम्भावनाओं को सामने रखकर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कानून का समर्थन नहीं करें। इसमें वे कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था करें यदि वे इस बात की आवश्यकता महसूस करें कि जमीन लेनी पड़ेगी। किन्तु इस कानून म

(श्री भैरोंसिंह)

कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था नहीं है, इन्वेस्ट मेंट का रिटर्न देने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में इसको मन्जूर नहीं किया जाय। यहां संशोधन राजस्व मंत्री जी मन्जूर नहीं करें तो सिलेक्ट कमेटी में संशोधन मूव किये जा सकते हैं और इन सारी चीजों को एडजस्ट कराया जा सकता है। तो इस विषय में यह मामला प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जो दलीलें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दी उनका समर्थन करते हुए इस प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Mr. Chairman, I believe that there is something more in this Bill, than meets the eye. This needs a clarification. If we try to analyse what the Hon'ble Revenue Minister says in the aims and objects of the Bill we are bound to say that either he is himself misconceived or the aims and objects of the Bill are misconceived.

श्री सभापति : What about your conceptions?

श्री अर्जुनदास : I will just say what I have conceived, Sir.

It was in this statement of the objects he lays down, I will read line number 3.

"It has been represented that a large number of temporary cultivators in the said area who had been holding temporary leases of lands therein since before October, 1955 would consequently be deemed to have acquired khatedari rights in their holdings on and from the 15th day of October, 1955."

This is itself a misconception. This is not legally correct Sir. The Hon'ble Minister tells us that untill and unless we accept this first amendment of the said amending Bill the result would be as he puts down. But this is not the legal position. For that term, I shall refer to Section 15 of the Rajasthan Tenancy Act itself; Section 15 reads : I will read only the proviso of it. I don't know whether the Hon'ble Minister has got a copy of it before his eyes at this juncture. If not, I may lend him mine.

श्री दामोदरलाल व्यास : I will listen and I have got a copy.

श्री अर्जुनदास : I do'nt find any copy at least...I am reading the proviso of Section 15 :

"Provided that no Khatedari rights shall accrue under this Section to any tenant to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai Project area, or any other area notified in this behalf by the State Government."

What then by this Section 15 if the land has been let out temporarily, a khatedari right will not accrue but if it has been let out by some other means khatedari rights would accrue. Similarly under Section 15 A which was inserted in the last amendment. All that he says-there is laid down one further proviso to the proviso of Section 15 saying.

(श्री अर्जनदास)

"Land in the Rajasthan Canal area leased out on or after the commencement of this Act...shall be deemed to have been let out temporarily..."

It does not say anything about the leases executed before the commencement of this amendment. He does not say anything. It does not mean that all the leases that had been executed before the commencement of the amendment Bill or the amending Bill should be treated as if they had been let out in terms other than temporarily. If the only object which the Hon'ble Minister wants to achieve, as he puts down in the said aims and objects, is to clarify himself then there is no necessity of this amendment at all. All the leases executed before the 15th October, 55 were either temporary or permanent. If they were permanent they were permanent, if they were temporary, they were temporary. So the effect of the last amendment would not be as the Hon'ble Revenue Minister is trying to suggest here. He only says that because of the last amendment some doubt has been caused about the the previous permanent leases, that doubt does not arise at all. The position is so clear. It is crystal clear. If the lease was permanent, it was permanent. If it was temporary, it was temporary. If it was temporary, then it was not necessary for this amendment. The Hon'ble Minister wants us to lay down that all the permanent leases should be deemed to have been cancelled and they should be treated as if cancelled. I will request the Hon'ble Revenue Minister to clear it up. I am prepared to accept his words and I believe he does not mean more than what he suggests and if really he means to say what he has suggested I would not press on the amendments. No doubt would be left if the amendment of the Hon'ble Minister is sent to the Select Committee, things will be threshed out. As such I will, therefore, request the Hon'ble Minister to accept the motion for sending the Bill to the Select Committee.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, जो संशोधन विधेयक राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अंतर्गत है वह हमारे सामने है। जो अमेंडमेंट धारा ४ के अंतर्गत किया गया है वह वाजिब सा नजर आता है। लेकिन इसे भी जिस मंशा से किया गया है उसका समय निकल गया है और वह मंशा पूरी होती नहीं है, इसलिए श्री ईयर्स को बढ़ाया जाता तो समझ में आने वाली बात थी। लेकिन धारा २ और ३ हैं वे इस प्रकार की हैं कि यदि नहीं रखी जातीं तो भी आसमान गिरने वाला नहीं था। यह जो संशोधन है वह, राजस्थान नहर आने वाली है उसको प्रभावित करता है। उस एरिया के जितने सदस्य हैं और जो उनसे सहानुभूति रखने वाले हैं उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। श्री भैरोंसिहजी ने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का विचार रखा है उस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान नहर जिस जगह से आ रही है और जहां आ रही है उससे सबको प्रसन्नता है। चाहे वह किसी भी एरिया में

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्यों न हो उससे बीकानेर और जैसलमेर के जो इलाके सूखे हुए हैं वे पानी आने के बाद लहलहाने लगेंगे। लेकिन यह एक लंबे समय और अवधि की बात है जिसकी प्रतीक्षा करना वास्तव में बड़ी बात है क्योंकि यह १० साल की स्कीम है और जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, इस पर ६६ करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर डेढ़ करोड़ रुपए खर्च होंगे तो भी ६४॥ करोड़ रुपए और खर्च करने हैं जब कि अवधि थोड़ी ही है। ऐसी अवस्था में उन काश्तकारों की ओर विचार करते हैं जिन्होंने अस्थायी खातेदारी प्राप्त कर ली है। उनको आज ही जबकि ६४॥ करोड़ रुपए खर्च करने हैं और जैसी प्रगति मिली है ढाई साल के बाद डेढ करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो पूरे ६६ करोड़ रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा इसका अंदाज लगावें तो जिनको खातेदारी राइट पहले प्राप्त हुए हैं उनको अनिश्चित पीरियड के लिए खातेदारी से वंचित कर दें यह समझ में नहीं आ सकता। सिंचाई योजना प्रारम्भ की जायगी और उनको खातेदारी राइट से वंचित किया जायगा इस प्रकार की बात करेंगे तो आज जो खाद्य की बिगड़ी हुई अवस्था है उसको सुधारना चाहते हैं उसमें वे लोग योग नहीं देंगे। राजस्थान नहर बनने की योजना शुरू होने से पहले ही जिन्होंने खातेदारी राइट्स प्राप्त कर लिए थे उनको किसी भी प्रकार से डेविएट करते हैं तो यह संविधान और न्याय के खिलाफ पड़ता है। जो राइट उनको प्राप्त हो चुके हैं उन्हें बिना मुआवजा दिए उनसे वंचित नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि वह भूमि प्राप्त की जाय तो आपको उसके लिए मुआवजा देना चाहिए। लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत उचित मुआवजा देकर आप जमीन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उन काश्तकारों ने जिन्होंने वहां रह कर परिश्रम किया है, खर्चा किया है, इन्वेस्टमेन्ट किया है और जिन्होंने जमीन को अच्छी बनाई है, पैदावार को बढ़ाया है उनको आप उस जमीन से वंचित कैसे कर सकते हैं? उधर की जमीन ऐसी है कि वहां पर तूफान आते हैं तब रेत के टीबे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वह जगह काश्त के योग्य नहीं रह जाती है और उनको फिर से जमीन काश्त के योग्य बनानी पड़ती है। इस प्रकार परिश्रम करके, खर्च उठा कर जिस जमीन को उन्होंने काश्त योग्य बनाया है और खातेदारी राइट प्राप्त किए हैं ऐसे लोगों को खातेदारी राइट से वंचित करते हैं तो बड़ा भारी आघात उनको पहुंचता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भूमि पर पर्मानेन्ट अधिकार प्राप्त किया है उनको अधिकार से वंचित नहीं किया जाय और जो टेम्प्रेरी अधिकार वाले हैं उनका टेम्पेरी ही रखा जाय तो इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं है। जिस समय राजस्थान केनाल बन कर तैयार हो जायगी उस समय जमीन इधर से उधर आ जायगी। जिस समय केनाल बन जायगी उस समय कंसोलिडेटेड फार्म्स बनाएंगे और जिन की जमीन है उनसे यदि जमीन ली जायगी तो उनको मुआवजा दिया जायगा। लेकिन जिनको टेम्प्रेरी लैसी करार दे दिया गया उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जायगा और उनको अधिकार से वंचित किया जायगा, यह काश्तकारी अधिकार पर कुठाराघात है।

जो तृतीय अमेंडमेंट रखा गया है

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वह वृक्षों से संबंधित है । इससे क्या होगा कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रखा जायगा तो जिन लोगों ने सन् ५५ में अधिकार प्राप्त कर लिया है उनको भी वंचित कर दिया जायगा ।

अब मैं उस धारा पर आता हूँ जिसके अंतर्गत पेड़ों को काटने पर पहले से ही काफी दंड की व्यवस्था रखी गई है, उसमें और भी वृद्धि की गई है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कई स्थान हैं जहां लकड़ी का अभाव है । काश्तकार अपनी जरूरत माफिक अपने खेतों के पास उगे हुए वृक्ष काट लेते हैं लेकिन वृक्ष काटने के लिये उनको तहसीलदारों द्वारा दंड दिया जाता है, और यहां जो प्रोविजन रखा गया है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि पहले से ही काफी दंड रखा हुआ है उसमें वृद्धि करना काश्तकारों के साथ अन्याय करना होगा । धारा ८६ में लाइसेन्स की बात है । टिनेन्सी एक्ट की धारा ८६ में यह आता है कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिये या एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिये वे वृक्ष काट सकते हैं । लेकिन डोमेस्टिक पर्पज़ को डिफाइन नहीं किया है । ऐसे कई काम हो सकते हैं, घर के भी मंडप वगैरा, जिसके उपयोग में काश्तकर लकड़ी लाते हैं । जब तक डोमेस्टिक पर्पज़ को डिफाइन नहीं किया जाता है तब तक काश्तकार लकड़ी दूसरी जगह से लायेंगे ? मेरे यहां हाड़ौती का इलाका ऐसा है जहां लकड़ी नहीं मिलती है । ऐसे स्थानों पर भी यदि काश्तकारों के लिये लकड़ी काटने का दंड रखते हैं तो यह उनके साथ अन्याय है । हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उनको आसानी से लकड़ी मिल जाय डोमेस्टिक पर्पज़ के लिये, ऐसा प्रबन्ध किया जाय । और कामों के लिये भी उनको यदि आसानी से लकड़ी मिल जाय तो वे लकड़ी काटने का अपराध नहीं करेंगे । तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि तहसील हेड क्वार्टर पर और पंचायत हेड क्वार्टर पर लकड़ी की टाल लगावें जहां से काश्तकारों को लकड़ी मिल सके । जब सरकार ऐसा प्रबन्ध नहीं करती है तो अपराध करने के लिये उनको बाध्य होना पड़ता है । इस पर काश्तकारों को पकड़ा जाता है और उनको दंडित किया जाता है । इस प्रकार के दंड में वृद्धि की गई है । काश्तकार अपराध आखिर करते क्यों हैं, इस ओर यदि आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि उनको आवश्यकता की पूर्ति के लिये वे अपराध करते हैं । तो हमको यह बात देखनी चाहिये कि दंड बढ़ाने से क्या अपराध कम हो जायेंगे मेरी समझ में कम नहीं हो पायेंगे । यदि हम पंचायत हेड क्वार्टर्स और तहसील हेड क्वार्टर्स पर टाल का प्रबन्ध कर दें तो काश्तकार अपराध नहीं करेंगे लेकिन जब तक आप इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं करेंगे और कहेंगे कि दंड में वृद्धि की जाय तो यह गलती सरकार की है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप जगह जगह लकड़ी के टाल की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार का दंड बढ़ाना काश्तकारों के लिये अनुचित है ।

चौथा इसमें संशोधन रखा गया है, चौथा संशोधन इस बात का रखा गया है कि एप्ली-केशन दी जायगी, अगर किसी काश्तकार के खेत के पास वृक्ष खड़े हुए हैं, काश्तकार के खेत के पास लकड़ियों के वृक्ष खड़े हैं, और अगर वह चाहता है उससे कम्पेन्सेशन लेकर उसे खातेदार टिनेन्ट बना दिया जाय तो पहले एप्लीकेशन के लिए २ इयर का टाइम था, अब ३ इयर किया गया है, जो कि १५ अक्टूबर १९५८ को खत्म हो जाता है । अगर इसमें ४ इयर करें तो एक साल का और

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मार्जिन मिलता है, जिससे अगर कोई काश्तकार खातेदारी राइट्स लेना चाहता है वृक्ष के सम्बन्ध में तो उसे मिल सकता है। अगर ३ इयर रखेंगे तो वर्तमान में राइट नहीं मिलते हैं। इसलिए ३ साल के पीरियड को चार साल का पीरीयड करना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि जो क्लॉज २ है, उस क्लॉज २ का कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया है। जिन काश्तकारों ने खातेदारी राइट प्राप्त कर लिये हैं और दूसरे राइट हांसिल किये जा रहे हैं, उनके बारे में यह क्लॉज २ है। इसलिए न्यायोचित बात है कि इस पर गम्भीरता से विचार कर लें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति, राजस्थान टिनेन्सी थर्ड अमेंडमेंट बिल, १९५८ पर बहुत जोरों से बहस हो रही है और यह बतलाया जा रहा है कि काश्तकारों को, जिनको कि पहले अधिकार मिल चुके हैं, उनको अधिकारों से वंचित कर दिया जायगा। बड़े दबे हुए दिल से दर्द भरी हुई बात कह रहे हैं। एक बात जरूर है कि राजस्थान में जो लोग हैं और देश में जो जनसंख्या है, उसमें कुछ लोग तो बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के हैं और कुछ गूंगे और बहरे हैं, उनका नया समाज बनाने के लिए हमें कई बातें सोचनी पड़ेंगी। कई दफा क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने दुनियां देखी होती है, वे ढूंढ लेते हैं कि बहुत सी जमीन अच्छी होने वाली है, उस जमीन से ज्यादा आमदनी होने वाली है, उस हालत में वे उस जमीन को रोक भी लेते हैं और उस जमीन का फायदा उस अवसर पर लेते हैं। इसी तरह कानून का फायदा धनवान्, पढ़े-लिखे लोग ले लेंगे, गरीब आदमी जिसने प्रगति नहीं की है जिन्दगी में, वह पीछे रह जाता है। आज की परम्परा पर सिद्धान्त पर जमींदारी एबॉलिशन बिल आ रहा है, जागीरदारी खत्म कर दी है, आप कहते हैं कि इतने वर्ष से जमी जमाई दुकान थी, जिसे जिन्होंने वर्षों से जमा रखा था, जिनकी जागीरदारी जमी हुई थी, उसमें उधेड़-बुन करने का क्या कारण है, रद्दोबदल करने की जरूरत क्या है? यह सवाल पैदा होता है। जब रद्दोबदल करते हैं, नये समाज की रचना करते हैं, नई प्रणाली अपनाते हैं, नये तरीके आते हैं, नई रीति आती है, नये रिवाज आते हैं, तो सीधी बात है, स्वाभाविक बात है कि रद्दोबदल होती है। क्योंकि हम एक बात नहीं चाहते, तो हमें इस क्रान्ति के युग में, आर्थिक क्रान्ति के युग में रद्दोबदल करनी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान इस वक्त यह होगा कि यह रद्दोबदल न हो जाय कि वास्तव में जो हकदार हैं, जिन्होंने जमीन प्राप्त कर ली है और जिन्हें इससे वंचित करने से उनके आर्थिक जीवन में कोई नुकसान होता है तो उसे वंचित न किया जाय। यह बात सही है। अब सवाल यह आता है कि जिन लोगों के पास काफी जमीन है और जिस जमीन को नहरी इलाके की मान कर, राजस्थान केनाल के आने की सम्भावना देखकर इन्होंने दबा लिया है, और खातेदारी हक १५ ए के अनुसार प्राप्त कर लिये हैं, कानून की व्यवस्था को पूरा कर लिया है, उन्होंने कानून को समझ कर कानून के तरीके

(श्री मूलचन्द डागा)

पर उस जमीन को ले लिया है, हमें उस जमीन का वितरण करना है । उस वितरण करने के लिए हमें संशोधन करना है । यह तो मानी हुई बात है कि राजस्थान स्टेट बड़ी लम्बी-चौड़ी है, २४ रियासतों से मिल कर बनी है, तो हमारे मंत्री महोदय को पूरी राजस्थान की जानकारी नहीं हो सकती । राजस्थान की पूरी परिस्थितियां और समस्याओं को जानकारी नहीं हो सकती, कुछ बातें ऐसी हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती । लेकिन समय पर कुछ ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं कि उस समय के साथ साथ कुछ कानून में रद्दोबदल होती जाती है । जब सरकार सही तरीके पर भूमि सुधार के कानून को पूरे रूप में बना देगी, हम समझेंगे कि अमेंडमेंट सारे खत्म हो जायेंगे और एक साफ सुथरा कानून हमारे सामने होगा । हम यह मानेंगे कि कानून बनाते समय १५ सेक्शन के अन्दर इतनी रद्दोबदल कर दी गई है कि जिसके कारण काश्तकारों को मुसीबत होगी । लेकिन एक सवाल यह पैदा होता है कि हम करें क्या? एक व्यक्ति विशेष ने अपनी जानकारी के आधार पर, इत्तला के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है और कहने लगा है कि कानून के अनुसार १५ अक्टूबर, १९५५ से पहले कब्जा कर लिया है इसलिए खातेदारी राइट्स मिलने चाहिए । एक तरफ हम देखते हैं कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन हैं, उन्हें हमें जमीन देनी है, उस हालत में क्या किया जाय? आप जानते हैं कि नहरी ज़मीन से क्या आमदनी होती है? नहरी जमीन के कुछ मेरिट्स होते हैं । उस जमीन का हम बंटवारा करना चाहते हैं । इस अमेंडमेंट का जो तात्पर्य है, जो मतलब है, जिस सिद्धान्त पर यह लाया गया है, वह यह नहीं है कि उनको हम बेदखल करना चाहते हैं? सवाल यह था कि उनको खातेदारी राइट्स देना नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने दूसरा संशोधन आ रहा है, उसमें यह बात मालूम की जायगी, जिन व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे, जो वाजिब होंगे, यह डिस्क्रिप्शन रखा है, अगर किसी ने अधिकार प्राप्त कर लिया है, १५ अक्टूबर, १९५५ को उसका कब्जा था, उसने काश्त की और उस जमीन को उपजाऊ बनाया और उस पर रुपया खर्च किया और अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन को लेकर, हिन्दुस्तान और दुनियां के इतिहास में बहुत झगड़े हुए हैं क्योंकि जमीन का सवाल ऐसा होता है । इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया है? हम देखते हैं कि अधिकार देने से वंचित किया है ।

"On or after the commencement of the Act the Section 15 A lately inserted therein provided that land in the Rajasthan Canal Area leased out on or after the 15 th October, 1955 shall be deemed to have been let out temporarily."

इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उनको टेम्परेरी तौर पर दिये हुए अधिकार हैं, उसके बाद भी जब यह नया अमेंडमेंट आ रहा है, आप देखेंगे कि सेक्शन ४ में यह होगा कि जिस व्यक्ति विशेष के पास कोई जमीन है और अलॉटमेंट के रूल्स को देखते हुए, उन अलॉटमेंट्स के रूल्स को देखते हुए मालूम होता है कि व्यक्ति विशेष की केनाल एरिया में जमीन कम है तो अलॉटमेंट रूल्स के मुताबिक उसको और

Page No.82

(श्री मूलचन्द डागा)

जमीन अलॉट की जायगी और जमीन का पट्टा दिया जायगा। लेकिन जिन्होंने जमीन हासिल कर ली है और खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, वह कहता है, हमने खातेदारी अधिकारी प्राप्त कर लिये हैं। मतलब यह है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिन्दगी में तरक्की नहीं की है, जो जमीन लेने से वंचित रह गये हैं वे जमीन से वंचित रह जांय। जिन्होंने देख लिया कि राजस्थान केनाल बनने वाली है, राजस्थान केनाल का नक्शा देख लिया, अखबार पढ़ कर खबर जान ली कि केनाल बनने वाली है और कुछ समय बाद खेत लहलहायेंगे, उन्होंने जमीन ले ली और उस पर अधिकार कर लिया.......

श्री मदनसिंह (दांता) : जमीन ली किसने ?

श्री मूलचन्द डागा : (अपना भाषण जारी रखते हुए) आपने ली, आपने हासिल की और आपने उसको जोता और तरक्की की, उसमें पैसा डाला, आखिर हमें उसी जमीन का वितरण करना है। आप जानते हैं सीलिंग लाने की जरूरत क्यों होती है, जमींदारी एबॉलिशन करने का सवाल क्यों पैदा होता है........

श्री मदनसिंह (दांता) : जमीन और भी पड़ी हुई है।

श्री गिरधारीलाल : यह समाजवाद का अच्छा उदाहरण है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं मानता हूं कि उदाहरण आपको कैसे मालूम होगा ? लेकिन हम सबको भूमिहीन बनाना चाहते हैं, यह सिद्धान्त नहीं है। इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स से इस संशोधन को लाने की मन्शा को जहां तक मैं समझ सका हूं इसका मतलब यह है कि जो भूमिहीन हैं, जो काश्तकार भूमिहीन हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं और जो कानून का फायदा न उठाने के कारण भूमिहीन रह गये हैं, उनको जमीन दी जाय। हमें अपने दिमाग में एक बात साफ रखनी पड़ेगी, फिर चाहे आप सीलिंग पर जोर देकर कहें और चाहे जमींदारी और बिस्वेदारी एबॉलिशन पर जोर लगा कर बोलें। तो इस ताकत के साथ इस संशोधन पर ताकत लगा कर बिल का यह संशोधन इस रूप में पास होना चाहिए कि जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है, गलत तरीकों से जितनी जमीन की उनको जरूरत नहीं है, उतनी उन्होंने रख रखी है, उस जमीन का बंटवारा होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट को चाहे कुछ भी समझें, साफ संशोधन यह है कि जिन लोगों ने कानून की मंशा को जान कर होशियारी से जमीनें ले ली हैं, १५ अक्टूबर, १९५५ के आधार पर कहते हैं कि उनको खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं वे जमीनें उनकी हो चुकी हैं, उनको उन अधिकारों से वंचित करने के लिए यह कानून लाया जा रहा है।

सैटलमेंट विभाग ने कई जगह बड़े कल्टीवेशन के पट्टे दे दिये, उन्होंने कहा कि हम इस जमीन के अधिकारी हो चुके हैं, सैटलमेंट विभाग ने हमें पर्चे दिये हैं। इस तरह उन्होंने बैड (bad) कल्टीवेशन में भी पट्टे ले लिये और कह दिया कि लगान ले लीजिये, हम लगान देने को तैयार हैं पर गवर्नमेंट नहीं देखा कि बैड कल्टीवेशन में पट्टे कैसे दिए गए, इसलिए उनको अलाटमेंट नहीं किया।

(श्री मूलचन्द डागा)

आज विधान सभा में सवाल उठा, दलित जातियों की तरफ से प्रश्न हो रहे थे, सदन के लगभग सभी माननीय सदस्य यह प्रश्न कर रहे थे कि हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोगों को जमीन देते हैं या नहीं, ज्यादा सप्लीमेंटरी इसी विषय पर थे। काफी समय तक प्रश्न किये गये कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन नहीं मिलती है और अलॉटमेंट रूल्स के अन्तर्गत उन्हें जमीन देने का कानून होते हुए भी उन्हें भूमि नहीं मिल रही है। तो यह तो उनकी मंशा के अनुसार ही किया जा रहा है। जो आदमी मीनार पर बैठा है उसको हम गिराना भी नहीं चाहते और जो गड्ढे में पड़ा हुआ है उसको ऊंचा लाना चाहते हैं। जो ऊंचे मीनार पर हैं, जिसके पास बहुत जमीन है, उसको बगैर झटका लगाये धीरे धीरे बराबर लाना चाहते हैं।

श्री मोहरसिंह : इस धांधली के अलावा और जो जमीन पड़ी हुई है जो अलॉट की जा सकती है, वह दी जानी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल तो यही है, आप चाहते हैं कि खातेदारी राइट्स दे दिये जायं पर हम यह कहते हैं कि राइट्स नहीं दिए जा सकते इससे, यह मतलब थोड़े ही है कि अभी वह आपसे छीन रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : आपने इसे पढ़ा नहीं अच्छी तरह से, ऐसा प्रतीत होता है। फ्रॉड के जरिये ली है, उसको तो पास कर चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा: मैं समझता हूँ, मैंने इसे पढ़ा है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रोविजन्स के अन्तर्गत आप यह कहते हैं कि आपको खातेदारी राइट्स दिये जाने चाहिये, पर आपको यह कहा गया कि आपको खातेदार नहीं मानते। कहा जाता है कि जमीन ज्यादा है, बतायें कि कहां जमीन ज्यादा है, पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट बतायें, पर राजस्थान सरकार के दिमाग में उन गरीबों का नक्शा है, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उनको जमीन देना चाहती है। जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसने तरकीब से होशियारी से केनाल के पास बड़े बड़े मुरब्बे ले लिये। हमें नये समाज का निर्माण करना है, आपको उन जमीनों का मोह छोड़ना होगा। अगर जमीन ज्यादा है तो आपको जरूर अधिकार होंगे, अगर आपकी बात सही है, वास्तव में आपको कोई दुख-दर्द है तो आपके दुख-दर्द जरूर दूर किये जायंगे। पर जोरदार शब्दों में कहा गया कि राजस्थान में जो लोग भूमि वाले हैं, उन्हें भूमिहीन किया जाता है, इससे तो कोई असर नहीं होने वाला है। जो भूमि है, बंटवारे के लिहाज से जिनके पास ज्यादा भूमि है, उनसे वह ली जाकर उसका सही बंटवारा तो करना ही होगा। अगर ज्यादा है भूमि तो नहीं लेना है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : चेयरमैन महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है इसके द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में अमेंडमेंट लाये जा रहे हैं, क्लॉज २ के जरिये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है वह ज्यादा इम्पोर्टेण्ट है, इससे इस सदन में कन्ट्रोवर्सी हो रही है। इसका इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव होता है, आज के लिये नहीं बल्कि ४, ५ वर्ष पहले इसका इफेक्ट होता है और मेरी राय है और मन्त्री महोदय को आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि लैण्ड लेजिस्लेशन में दो चीजों का खास खयाल रखना चाहिये, एक तो यह कि जो लैंड लेजिस्लेशन्स लावें, इफे-

Page No.84

(श्री पी० के० चौधरी)

क्टिव लेजिस्लेशन्स लावें, दूसरा जल्दबाजी न करें।

मैं समझता हूं जब सबसे पहले टिनेन्सी एक्ट पास किया गया था तो आज जिस चीज को लाया जा रहा है, आज जिस चीज के लिये अमेंडमेंट लाया जा रहा है, उस चीज का खयाल उनको होनी चाहिए था, उनको इस सम्बन्ध में जानकारी होना चाहिए थी, कोई गवर्नमेंट या कोई लेजिस्लेचर किसी कानून को पास करता है तो वह केवल डिबेटिंग बोडी नहीं है, कोई कानून पास किया जाता है तो उसके हर पहलू पर विचार करके उस कानून को पास किया जाता है, न कि कोई भावना में आकर, कोई काम जल्दी कर लेना है, इसलिये जल्दबाजी से करते हैं। ऑर्डिनेन्सेज में जल्दबाजी होती है, पर लेजिस्लेशन में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिये। जब लेजिस्लेशन के सामने कोई कानून आता है और मालूम होता है कि कुछ मेम्बर्स का स्ट्रोन्ग फीलिंग है, अपोजिशन का स्ट्रोन्ग फीलिंग है, आज ऑपोजिशन की तरफ से सिलेक्ट कमेटी की मूव आई है, ठीक है हम मेजोरिटी के बल पर इसे गिरा सकते हैं, पर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है वह गवर्नमेंट आफ मेजोरिटी नहीं है। इसका सही तरीका यह है कि it should be discussed; मैं मानता हूँ कि जो प्रस्ताव यहां आया है, वह इस बिल के खिलाफ नहीं, बल्कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इसके हर पहलू पर विचार किया जाय यह प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय को मंजूर करना चाहिये।

दो प्रश्न आते हैं। आज हम एक तरफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और जब हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाना है तो एग्रीकल्चरल बिल जो है उसमें लैन्ड होल्डर्स में या कल्टीवेटरों में चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो उसके माइन्ड में आपकी तरफ से किसी किस्म का भय नहीं होना चाहिये कि उस जमीन से उसको बेदखल कर दिया जावेगा। जब उसको मालूम होता है कि तीन साल के बाद उसकी जमीन हो गई और फिर अगर उसको तीन साल के बाद बेदखल कर दिया जाता है तो उसको बड़ा दुःख होता है। हमने सिद्धान्त यह रख लिया है कि जमीन उसकी है जो उस पर खेती करता है, Land belongs to the tiller. यह सिद्धान्त कांग्रेस ने मंजूर किया है और हम उन सिद्धान्तों पर चलते हैं और जब सीलिंग की बात लाते हैं तो वह भी उन्हीं सिद्धान्तों पर लाते हैं। मान लें कि किसी कारण से या किसी कानून की वजह से या कानून में लूप होल रह जाने के कारण किसी को खातेदारी राइट्स मिल गये हों और वह चार साल पहले कोई कानून पास हो गया, अब उसको इस बात पर बेदखल करना चाहते हैं कि वह जमीन को दूसरों से काश्त करवाता है, वह खुद उसकी काश्त नहीं करता। मेरी राय में यह आता है कि जो व्यक्ति पिछले चार सालों में वहां काश्त करता है और उसको खातेदारी राइट्स मिल गये हैं, आगे जाकर काश्त नहीं करेंगे उनको जमीन देने वाले नहीं हैं। जहां तक यह सवाल आवेगा कि उसने ज्यादा जमीन दबा ली है तो उसके लिये तो सीलिंग लगाते हैं। उसके अनुसार एक निश्चित की हुई मात्रा से ज्यादा जमीन कोई रख नहीं सकता। यह जो अमेन्डमेंट लाया गया है वह उसी बुनियाद पर लाया गया है कि पहले जो एक्ट था उसमें कुछ लूप होल्स रह जाने से जो व्यक्ति वहां पर टेम्प्रेरी टिनेन्ट थे और उनको खातेदारी के राइट्स एक्वायर्ड हो गये

(श्री पी० के० चौधरी)

उनको बेदखल करने के लिये है। मैं समझता हूँ कि उनको बेदखल करने की क्या जरूरत है ? हम उनसे जमीन लेकर भी किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे जिसके पास जमीन नहीं है। जिसने ज्यादा जमीन ले ली है उसका तो हम इलाज कर ही रहे हैं और अगर वह काश्त नहीं करता है और दूसरों को देता है उसके लिये भी हमारे पास इलाज है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमको कोई लेजिस्लेशन जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिये। इससे गलत फहमी हो सकती है। गवर्नमेन्ट जिस समय मर्जी आए कानून किसी पर लगा सकती है और इससे लोगों में सेटल्ड कन्डीशन नहीं रहती और सैटल्ड कण्डीशन को अनसेटल्ड कर देते हैं। लोगों की यह धारणा हो जाती है कि गवर्नमेन्ट जब चाहे कानून को बदल सकती है। किसी स्थान पर प्रोग्रेस करने के लिये सबसे जरूरी चीज है वह स्टेबिलिटी है। चाहे वह काश्तकार हो, चाहे इन्डस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वह मजदूर हो, जब तक उसको यह मालूम है कि आज जहां पर वह काम करता है उस पर आयन्दा भी काम करने का अधिकार रहेगा तभी वह अच्छी तरह से काम कर सकता है और ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि सारी सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी आवेगी और इस तरह का लेजिस्लेशन पास करके हम उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर और भी ज्यादा गलती करेंगे। हम तो यह चाहते हैं कि जो भी कानून बने वह उसी दिन से लागू हो जिस दिन वह पास हो। लेकिन आज हम कोई कानून बनाते हैं और ५ साल पहले से उसका इफेक्ट होता है तो मैं यह कहूंगा कि उससे लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से चला जाता है क्योंकि जिस चीज को पहले कानून के अनुसार वे अपना कानूनी हक समझते हैं उसको यदि हम चार साल बाद कानून बदल देते हैं तो उससे लोगों को नुकसान होता है। यदि बिग लैन्ड होल्डर्स हों तो कोई बात नहीं, मगर इससे जो प्रभावित होंगे वह बड़े आदमी नहीं होंगे किन्तु कॉमन मैन होंगे। यदि किसी ने ज्यादा जमीन ले ली है तो आप उसको सीलिंग लगा कर छीन सकते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जब सारा अपोजिशन एक राय से इस बात को चाहता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए तो भेज देना चाहिए We do'nt want to dominate over the opposition हमारी मेजोरिटी है हम इसको पास कर सकते हैं मगर हमारी मंशा यह नहीं है कि डोमिनेट करें We want to carry our point by poinf pursuasion and discussion तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए और एक छोटी सी सिलेक्ट कमेटी बनाली जाए जिसमें अपोजिशन को लोगों को भी रख लिए जावें जो एक सप्ताह के अन्दर अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। यह एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट है। इसमें दो ही क्लॉजेज हैं और उसमें एक ही क्लॉज इम्पोर्टेंट है। इस पर एक ही रोज में विचार कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे क्योंकि इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात है वह बहुत जरूरी बात है।

४.५ म० प०

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, जो संशोधन...

श्री सभापति : Yes...

श्री सोहनलाल भटनागर : जो संशोधन बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री सोहनलाल भटनागर)

यहां रखा है उसमें यह बात बताई है कि दूसरा अमेंडिंग बिल आ रहा है इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। मेरे खयाल से पहले ऑर्डिनेन्स के रूप में आ चुका है और विधान के मातहत इसको पहले पास करना जरूरी है, दूसरा बिल पास हो या न हो इसलिए पहले इसको पास करना है।

दूसरी बात फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताई कि चार वर्ष पूर्व जिनको राइट्स मिल चुके हैं उनको हटाना ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस समय यह कानून लागू किया गया था उस समय यह तो सभी माननीय सदस्यों को विदित ही होगा कि राजस्थान केनाल के निर्माण की बात नहीं थी। आज राजस्थान केनाल के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, उससे हजारों और लाखों एकड़ भूमि आबाद होगी और उस जमीन की कीमत बढ़ने वाली है। माननीय सभापति महोदय, यदि हम टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ को देखें तो मालूम होगा कि जहां गंगानगर, भाखरा के टिनेन्ट हैं, वहां पर टेम्प्रेरी टिनेन्टों को खातेदारी राइट्स नहीं दिए गए हैं और वैसे ही जब राजस्थान केनाल का निर्माण होने जा रहा है तो ऐसी पोजिशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात को देखते हुए यह क्लॉज १५ (ए) जोड़ी गई है। जो इसकी भाषा है उसको वैसे ही रखा जावे तो १५ (ए) पास होगा और टेम्प्रेरी लीजेज़ थे उसका कोई प्रॉवधान नहीं है जैसा कि १५ के प्रोविजो में है :

"On or after the commencement of this Act." यह मान लिया जाय कि पहले टेम्प्रेरी लीजी चलते आ रहे हैं। बीकानेर, गंगानगर आदि में टेम्प्रेरी है तो उनका पहले खातेदारी राइट्स मिलने का कानून है। तो फिर यह प्रॉवधान पहले से ही है। ऐसे क्षेत्रों में राजस्थान केनाल से लोगों को लाभ होने वाला है और सैकड़ों बीघा जमीन जो यों ही पड़ी थी उससे फायदा होने वाला है।

एक दलील यह दी जाती है कि सीलिंग आ रहा है, इसके लिए प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजस्थान केनाल के बनने से उस जमीन को उसके कमांड में आने से उस जमीन की कीमत बढ़ रही है।

ऐसी सूरत में क्या सदन चाहेगा कि इस प्रकार से गरीबों को जमीन मुफ्त में मिल सकेगी। सरकार के पास अधिकार देते हैं तो वह भूमि बंट जायगी और सरकार उससे धीरे धीरे वसूल करेगी। इसलिए यह जरूरी है कि इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट लाया गया, हजारों लाखों किसानों के लिए लाया गया है। जिनको मुफ्त में जमीन दी जा सके। यदि यह प्रावधान नहीं रखा गया तो सैकड़ों और हजारों बीघा पर कब्जा जमा रखखा है उसके लिए हजारों लाखों रुपए देने पड़ेंगे और कीमत वही देनी पड़ेगी जो बाजार की कीमत होगी, यह कोई नई चीज नहीं है। इस बिल पर फोर्थ अमेन्डमेन्ट भी आ रहा है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले से जिनका कब्जा चला आ रहा है उन पर कोई असर करने वाला नहीं है। सिर्फ यह बातें एम्स एन्ड ऑब्जेक्टस में स्पष्ट कर दी गई है। १५ के प्रोविजो में भी स्पष्ट है। सिर्फ टेम्प्रेरी लीज पर यह असर करने वाला है, इसलिए जिन माननीय सदस्यों की यह धारणा है उन पर असर करेगा उनका यह भ्रम निर्मूल है और उसका निराकरण होना चाहिए।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह दांता।

Page No.87

श्री अर्जुनदास : Mr. Chairman, Sir, there is no quorum.

श्री सभापति : I think Hon'ble Member know how to Count. shri Madan singh

ठा० श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, प्रश्न यह चल रहा है कि थर्ड अमेन्डमेन्ट जो टिनेन्सी एक्ट का आया है वह सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये या नहीं ? मैं यह समझता हूँ कि कोई भी सदस्य इस बारे में पूर्ण रूपेण कोई विचार नहीं रख सकते। यहां जो बहस हुई है उस बहस के अन्दर जो भी विचार व्यक्त किये गये उनमें सबमें डाउटफुल चीजें हैं। इसलिये यह एक मानी हुई बात है कि कोई चीज या बिल हो उसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि ठन्डे दिमाग से यहां पर विचार हो सके। वह प्रश्न गरीबों का प्रश्न है। जिस समय जमींदारी एक्ट पास हुआ, उसे जब कि सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना चाहिये था उसके लिये तो माननीय मन्त्री महोदय ने सिलेक्ट कमेटीमें भेजने के लिये कहा। लेकिन जो चीज गरीबों से ताल्लुक रखती है और जिस पर विचार करना चाहिये कि कौन सी आरजी जमीन है वहां क्या क्या अधिकार होने चाहिये, ये सब बातें सिलेक्ट कमेटी में ही तय हो सकती हैं। हमारी सरकार की एक प्रकार से यह आदत पड़ गई है कि जब तक एक जमीन के लिये दस तरह के कानून नहीं होते तब तक उसको आनन्द नहीं आता। इसी प्रकार का किस्सा यह भी है। प्रजातन्त्र के अन्दर व्यक्तिगत किस प्रकार के अधिकार हैं, यह भी कानून में आ जाता है। खातेदारी राइट्स को ही देख लीजिये। छोटे जागीरदार को. बड़े जागीरदार को खातेदारी राइट्स हैं, लेकिन केनाल एरिया के टिनेन्ट्स के लिये खातेदारी अलग है। मैं जानता हूँ, आज जब कि अलग-अलग खातेदारी है इसके पीछे क्या भावना है; एक तरफ गरीबों को अमीर बनाने की चर्चा चल रही है, लेकिन जिन माननीय सदस्यों के भाषण हुए उनसे ऐसा पता चलता है कि केनाल एरिया के अन्दर पहले ही ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है, उनको अलग हटाने की चीज़ है। यदि इसी प्रकार की बात है तो जब फ्रॉड के लिये कानून बना था उसमें भी अमेन्डमेन्ट कर दिया जाता, उसमें साफ लिख देते कि जिन आदमियों ने बेईमानी से कब्जा कर रखा है उनसे जमीन छीन ली जायगी। मेरा तो यह ख्याल है कि इस प्रकार का कानून बनाकर जो सैकड़ों साल से बसा हुआ किसान है उसको हटाकर दूसरों को दी जाने की योजना हो रही है। नये बाडदार पैदा करने के लिये यह कानून बन रहा है। खातेदारी राइट के मुताबिक भी एक तरह का कानून होना चाहिये, इसके लिये टिनेन्सी एक्ट में एक तरीका, दूसरे एक्ट में दूसरा तरीका, यह क्यों ? मेरा तो यह निवेदन है कि राजस्थान भर में खातेदारी के लिये एक ही कानून होना चाहिये। एक ही राज्य में दो प्रकार के काश्तकारी कानून बनाना अच्छा नहीं लगता। इस असेम्बली भवन में आपकी तरफ ११९ सदस्य हैं, आपने क्या क्या चीजें नहीं बनायीं और किन किन चीजों का पब्लिक में ऑपोजिशन नहीं हुआ...।

एक माननीय सदस्य : अब तो १२० हो गये।

ठा. श्री मदनसिंह : (अपना भाषण जारी रखते हुए) जहां हम राजस्थान के काश्तकारों के लिये कोई कानून बनाते है वहां सब का यह फर्ज हो जाता है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। इस समय की हाउस की हालत को देखते हुए यह पता चलता है

Page No.88

(श्री मदनसिंह दांता)

कि कौन कौन इस कानून के पक्ष में हैं ? आप देखिये जब बिल पर विचार हो रहा है तो हाउस खाली है। यदि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में चला जाता है तो इसमें माननीय मंत्री महोदय को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होनी चाहिये। आज ही कौन सी ऐसी नहर निकल रही है जिसके कारण मन्त्री महोदय को इतनी जल्दी है इस बिल के पास करवाने की। यह तो हो नहीं सकता कि केनाल एरिया की सारी जमीन बड़े बड़े जागीरदारों को दे दी जायगी, यदि इस पर विचार होगा तो उसमें यह भी आ सकता है कि किस ढंग से और किस प्रकार के लोगों में यह जमीन बांटी जा सकती है। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने में आपको क्या गड़बड़ाटी मालूम देती है ? मैं तो समझता हूँ, यह पटवारी और रेवेन्यु मिनिस्टर साहब के अधिकारों का झगड़ा है। मौजूदा टिनेन्सी एक्ट में सारे अधिकार हैं रेवेन्यु मिनिस्टर को नहीं, पटवारी को है। पटवारी चाहे जिसको अधिकार दिला सकता है। वह अधिकार रेवेन्यु मिनिस्टर को आज तक उपलब्ध नहीं है। आज हो क्या रहा है ? नये बांटदार पैदा किये जा रहे हैं, नये जागीरदार पैदा किए जा रहे हैं और वह अधिकार पटवारी को न होकर रेवेन्यु मिनिस्टर अपने पास रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि कांग्रेस के अन्दर लोग अपने आपको किसानों के प्रतिनिधि मानते हैं। उनका इतना बड़ा पक्ष होते हुए भी आज इस प्रकार से किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। संसार के इतिहास में ऐसी चीज कहीं नहीं हुई कि जहां गरीब बसे हुए हैं उनको खातेदारी राइट न मिल सके। अगर वहां कोई टेम्प्रेरी लोग है तो उनके लिए आप अलग से कर सकते हैं। जागीरदारों को जब अधिकार थे तो काश्तकारों को आराम से रोटी नहीं मिल सकती, और काश्तकार कभी वहां का मालिक नहीं हो सकता, इस बारे में बड़े बड़े तूफान मचाये गये, कोई जागीर नहीं रही, अब काश्तकार बड़े आराम से अपनी रोटी कमा सकेंगे, लेकिन काश्तकारों को मालूम है। आज जहां नहरी इलाका है वहां के काश्तकारों की हालत क्या है ? आज भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं, वे काश्तकारों के हित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको आज कोई न कोई इशारा अवश्य हो गया जिसके कारण वे उपस्थित नहीं हैं।

आज जहां वाकई में काश्तकारों की मदद की चीज थी उस वक्त वे माननीय सदस्य कहां चले गये ? इसका मुझे दुख हुआ। या तो वे काश्तकार कभी रहे नहीं अपनी जिन्दगी में, खाली किताबें पढ़ी हैं और शहरों में रहे हैं या वकालत की है। काश्तकारों के सच्चे अधिकार आज हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर द्वारा छीने जा रहे हैं। इसलिये मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में अगर इसे रख दिया जावेगा तो ठीक रहेगा, लोग अच्छी तरह से इस पर सोच-विचार करके इसे बनावेंगे, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि खड़े खड़े अच्छे ढंग से विचार नहीं हो सकता। आप जहां काश्तकारों के हितों के बहुत बड़े रक्षक अपने को मानते हैं वहां इस प्रकार का, कानून बनाकर आप काश्तकारों में तो खड़े होकर बात नहीं कर सकते। अब रहा सवाल बहस का। बहस में तो आप यह भी कह सकते हैं कि यह सदन कोई मकान नहीं है यहां तो केवल दीवारों में झाड़ लगे हैं। यह तो मकान है नहीं। तो ऐसी बहसों से अभीष्ट

(श्री मदनसिंह दांता)

सिद्धि नहीं हो सकती। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको कहता हूं कि इससे काश्तकार नहीं पनपेंगे, भाडेती पैदा होंगे। इस कानून की यह मंशा है, और कोई मंशा नहीं हो सकती।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय, यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर सिलेक्ट कमेटी में इसके चले जाने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में ऐसी क्या बाधा आ जावेगी, ऐसा क्या बवन्डर पैदा हो जावेगा और कौनसा ऐसा राजस्थान कैनाल का सारा पानी बह जावेगा जो वापिस नहीं आ सकता? या ऐसी कौनसी चीज वहां हो जावेगी जो यहां नहीं हो सकती?

सरकार ने इसके ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में लिखा है कि पहले ऐसा खयाल हो गया था कि १५ ए के बदलने से सन् ५५ के पहले की लीजेज़ जो दे दी गई हैं वे तो रहेंगी, पर बाद की नहीं रहेंगी। यह गवर्नमेंट का इन्टेन्शन नहीं था कि सन् ५५ के पहले की भी लीज़ टेम्पोरेरी हो जावेगी, पर इससे पहले भी किसी ने जमीन अपने हाथ में ले ली है तो उन पर भी उनके हक टेम्पोरेरी हो जावेंगे।

If this had never been the intention of the Government, then what was the intention of the Government? आखिर जो पढ़ने वाले हैं कानून के, उनका तो यह खयाल था कि इससे पहले की जो लीज़ है वह तो कम से कम पर्मानेन्ट है। इसके बाद वाली टेम्पोरेरी होगी। पर आप इससे भी सन्तुष्ट नहीं हैं, इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहते हैं। आपका इन्टेन्शन पहले यह था सन् ५५ के फिफ्थ अमेंडमेंट के जरिये कि २४ पैसे का एक टिकट लगाकर एप्लीकेशन देदे तो उसके खातेदारी राइट्स परमानेन्ट हो सकते हैं। पर यहां राजस्थान केनल में अब आप यह चाहते हैं कि वहां सन् ५५ से पहले भी अगर किसी ने ले ली है तो वह पर्मानेन्ट नहीं हो सकती। यह क्या बात है?

ऐसे भी आदमी होंगे; दलितवर्ग के, पिछड़ी जाति वाले या और जिन्होंने वहां जमीनें ली होंगी। तो इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा भी हक वहां नहीं।

मैं आपको कई जगह की एग्ज़ाम्पल्स कोट कर सकता हूँ जहां कई पिछड़ी जाति के लोगों को बेदखल किया जा रहा है; और इस कारण कि उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, बैल नहीं थे, खेतीबाड़ी के औजार नहीं थे, इन्वेस्ट करने के लिए रकम नहीं थी इसलिये उन्होंने अपनी जमीनें दे दीं, सबलैट कर दीं। एक साल बाद जिसको सबलैट की गई वह कह देता है कि मैं खुदकाश्त करता हूँ, जमीन मेरी है और इस तरह से यह होता है कि वे बेदखल कर दिये जाते हैं।

सभापति महोदय, जो सरकार काश्तकारों के हकों की हिमायत करने की डींग हांका करती है वह आज यह कहती है कि सन् ५५ के पहले भी जिनके पास जमीनें हैं उन पर भी उनके हक नहीं रह सकते। तो मैं पूछता हूँ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से यह सवाल उठा?

जब क्लॉज १५ ए पिछली बार इस सदन में बदला गया था उस वक्त राजस्व मंत्रीजी ने यह फरमाया था कि वहां जमीन लेने का मकसद उनका यह है कि नियमानुसार वह जमीन ऐसे आदमियों को देंगे जो लैंडलेस

(श्री अनोपसिंह)

टिनेन्ट्स हैं और वह हम अपने हाथों से अलॉट करना चाहते हैं। वहां का हर एक आदमी अपने हिसाब से नहीं दे सकता किसी को। कहने को कहते हैं कि पिछड़ी जाति वालों को देंगे, जिनके पास नहीं है। मैं इत्तला दूं कि कई ऐसे वर्ग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। यह हो सकते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के। यहां ऐसे काश्तकार है जिनके पास इकोनोमिक होल्डिंग नहीं है और उनको जमीनें देने की जरूरत भी है। वे काश्त करना चाहते भी हैं। उनको वहां लाकर बसाया जावेगा कैनाल एरिया में। पर मैं पूछता हूं वहां भी बहुत बंजर जमीन पड़ी है, उसे क्यों नहीं दे देते उनको ? फिर वे इतनी दूर चलकर अपने घर-बार को, अपने प्रदेश को छोड़कर इतनी दूर आ भी सकेंगे, उनको गवर्नमेंन्ट ला सकेगी, या फिर उनको मन्जूर होगा यहां आना ? फिर यह कहना कि हम उनको दे रहे है...

श्री मदनसिंह : अब तो लोग चन्द्रलोक में भी जाने की सोच रहे हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : वहां जमीन रिज़र्व कर रक्खी है।

श्री अनोपसिंह : आपका वश चले तो खुद ही नहीं, औरों की जमीन भी हथिया कर रख लें। खेद की बात तो यह है कि वहां आपका कन्ट्रोल नहीं है। खैर इसके बाद मेरा यह समझना है कि जो जमीन का एलॉटमेन्ट होगा वह इस तरह से होगा कि गवर्नमेन्ट जिसको चाहेगी उसको देगी। आपको यह अच्छी तरह मालूम है कि राजस्थान केनाल एरिया का इलाका जब इसी के तहत के अन्दर लाया जा रहा था, १५ ए में लाया जा रहा था, तब लोगों ने कहा था कि हम राजस्थानी वहां की जमीन के लिए महरूम रह जावेंगे; वे पिछड़ी हुई जातियां, वे दलित वर्ग के आदमी, इसमें पिछड़े हुए रह जायेंगे। उनको जमीन नहीं मिलेगी और जमीन उनको मिलेगी जो कि इस गवर्नमेन्ट के कुछ पिछलग्गू हैं, गवर्नमेन्ट जिनके ऊपर हाथ रखे हुए है, जो गवर्नमेन्ट के फेवर के हैं, जो गवर्नमेन्ट के ऊपर इन्फ्लुएन्स वेस्ट करते हैं, या उनको मिलेगी जो गवर्नमेन्ट से किसी तरह की सांठ-गांठ करते हैं, जैसा कि आज कल हिसाब चल पड़ा है, उनको मिलेगी। उन काश्तकारों को, जो पिछले हुए वर्ग के हैं, जिनके पास में कोई जमीन नहीं है, उनको, मैं फिर दलील देकर कहना चाहता हूँ कि, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगी उनको जिनके पास में या तो पैसा है, या जिनके पास में गवर्नमेन्ट का फेवर है, दूसरों को नहीं मिलेगी। यह होगा और आपके सामने होगा और आपके बनाये हुए कानून के द्वारा होगा और राजस्व मन्त्रीजी उस वक्त जिस वक्त में अलॉटमेन्ट होगा रहेंगे या नहीं, लेकिन उनको याद दिलाई जायगी कि जो कानून उस वक्त बनाया था उसका नतीजा यह है कि जो जमीन रखना चाहते थे आज आपके हाथ में नहीं है ...।

ठा० श्री मदनसिंह : अगर वे नहीं रहते तो यह कानून ही नहीं बनाते। वे रहेंगे तो सही।

(हंसी)

श्री अनोपसिंह : अच्छा हो कि वे रहें। हम तो यही चाहते हैं कि उनकी आंखों के सामने ये चीजें तय हों और हमको कहने का मौका मिले; मैं रहूँ या न रहूं, लेकिन मेरी जगह जो आयेगा वह कहेगा, मैं बाहर रह कर भी कह सकता हूँ

(श्री अनोपसिंह)

होगा क्या कि राजनैतिक परिस्थिति के हिसाब से, गुटबन्दी के लिहाज से, इनफ्लुएन्स के लिहाज से वे जमीनें दी जायंगी। इसलिए मैं फिर सदन को याद दिलाऊंगा कि इस बात का ज़िद न करें और इसको सिलेक्ट कमेटी में जाने दें। इन अमेंडमेन्ट्स के बिना कोई खास राजस्थान नहर का पानी बह नहीं जायेगा जो कि वापस नहीं आये।

इसके सिवाय इसमें यह भी है कि इसको आप रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ और संशोधन हैं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट (फोर्थ विषय) में। इस तरह से आप अलग अमेंडमेंट्स लाकर इस तरह से एक जाल सा बना रहे हैं कि जो अनपढ़ देहाती हैं, जो कि केवल काश्त करने को ही समझते हैं, उसके सिवाय कोई कानून को समझते नहीं है, उनको आपको समझना मुश्किल हो जायगा। मैं सदन को बतलाऊं कि इस तरह से अमेंडमेंट्स जो टिनेन्सी एक्ट में लाये जा रहे हैं उनमें एक में कुछ है और दूसरे में कुछ। मैं कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे ऑवरलेपिंग हो रहे हैं और घोटाले में पड़ रहे हैं। यह सदन कानून को समझने के लिए है और उलझाने के लिए नहीं है। मुझे पता नहीं पड़ता है कि क्या ज़िद कर रखी है राजस्व मंत्रीजी ने और सबन ने ? क्यों नहीं इन तीनों, चारों संशोधनों को सिलेक्ट कमेटी को दे दें तो बड़े हिसाब की बात वहां पर हो। सबों को मालूम हो with what fair intentions, what good intentions के साथ, bonafide intentions के साथ। बोनाफाइड्स क्लियर हो और बोनाफाइड्स के साथ दे दें तो इन तीनों-चारों ही संशोधनों पर एक साथ सदन में रिपोर्ट आने दें, और सदन में आने दें उसके बाद में जो कुछ वाकई में ठीक होगा उसको मान लिया जायगा और नहीं होगा तो नहीं माना जायगा। क्या ज़िद कर रखी है आपने कि हम तो जाल का जाल रखेंगे, हम तो पीस मील में लेजिस्लेशन लायेंगे ताकि एक दूसरे का और दूसरे का तीसरे पर जो इफेक्ट होता है उसको आप समझ नहीं सकें और कुछ नहीं कह सकें।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, गवर्नमेंट के इन्टेन्शन से मेरी नासमझी हो, हो सकता है कि वह मुझको समझ में नहीं आया हो। कई बातों को समझा है उनको कहूँगा। जिन्होंने काश्त करने के लिए जमीन ले ली, अपना पैसा खर्च कर दिया, और उस जमीन को खरीद लिया, अब वहां उनको जब यह मालूम पड़ता है कि यह जमीन हमारी नहीं है तो क्या उनके पास में चारा रह जाता है सिवाय इसके सिविल सूट करके जिसने जमीन बेची है उससे रकम वापिस लें। वह सिविल सूट के लिए किस प्रकार मारा-मारा फिरे। सिविल सूट चलाये और सिविल सूट का दो, चार साल में फैसला हो तब जाकर उसको उसकी रकम मिले। जिन्होंने जमीन बेची है वे उनको वापिस पैसा दें। उनको कब पता था कि उन पर एक पहाड़ आ पड़ेगा कि आज का किया हुआ काम रद्द हो जायगा ? क्या रेमेडी है आपके पास इसकी ? सिवाय सिविल सूट के आपके पास तरीका कौन सा है उनको पैसा दिलाने का ?

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है, हाँलाकि इस पर बोलने की काफी गुन्जायश है, पर मैं यह समझता हूं कि हाउस में इस बात पर काफी चर्चा हो चुकी है, इसकी भलाइयाँ और बुराइयां काफी दूसरे

Page No.92

(श्री अनोपसिंह)

सदस्यों से मालूम पड़ चुकी हैं । मैं फिर भी यही कहता हूँ कि हमारी जिद् है, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी है, हम बड़ी लम्बी-चौड़ी संख्या में हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते । तुम्हारी बात नहीं मानी जा सकती है । हम ज्यादा कहते हैं और ज्यादा कहने वालों की बात सच होती है । जो आप लोग कहते हैं वे थोडे हैं । सच बात कहते हैं तो भी........

श्री सभापति : यह मानकर आप क्यों चलते हैं कि आपकी बात स्वीकार नहीं की जायगी ?

श्री अनोपसिंह : ऐसा रवैया यहां पर देखा गया है, उसके लिहाज से मैं अर्ज करूंगा और माननीय सभापति महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए जहां थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अमेंडमेंट्स इसी सैशन में लाये जा रहे हैं, उन सब को एक सिलेक्ट कमेटी को सौंप दें तो वहां पर कुछ गम्भीरता से इन पर विचार हो जायगा, और उन अमेन्डमेन्ट्स को यहां पर लेने से रोक दें और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने दें ।

श्री भैरोंसिंह : Sir, I beg to move a closure motion, that the question be now put. When there is a closure motion......

श्री सोहनलाल भटनागर : अभी इस पर सभापति महोदय, काफी आदमी बोलने हैं ।

श्री सभापति (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) : One at time please.

श्री रामचन्द्र : माननीय सभापति महोदय, जितना उधर से इसी विषय पर बोला गया है उससे आधा भी अवकाश दे दें ।

श्री सभापति : आपको दुगुना मिलेगा ।

श्री रामचन्द्र : मुझे आज्ञा है ?

(विराम)

सभापति महोदय, तो मुझे आज्ञा होती है ?

श्री भैरोंसिंह : When a motion is pending, it should be disposed of before Hon. Member starts to deliver his speech.

श्री सोहनलाल भटनागर : It says: "At any time after a motion has been made, any member may move, "That the question be now put", and, unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall then put the motion, "That the question be now put."

इसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि जो अभी माननीय सदस्य विरोधी दल से बोले हैं वे काफी संख्या में बोले हैं । इस पक्ष की ओर से ओपीनियन ज्यादा नहीं आ सकी है । इसलिए इन्फ्रिंजमेन्ट नहीं होनी चाहिए और इसलिए बोलने के लिए अलाउ किया जाय ।

श्री अर्जुनदास : अब टाइम भी काफी हो गया है । पौने पांच बजने वाले हैं ।

श्री रामचन्द्र (डग-मु०) : सभापति महोदय, आम तौर पर सरकार की नीति और लेजिस्लेशन में बड़ा तालमेल होता है । सरकार की जैसी नीति होती है उसको अमल में लाने के लिए लेजिस्लेशन भी वैसे ही बनाये जाते हैं और इसके बीच बीच में कभी कोई विघ्न आ जाय तो उस विघ्न को दूर करने

(श्री रामचन्द्र)

के लिए सरकार विशेष रूप से संशोधन भी उसमें लाया करती है। आज सदन के सामने जो विधेयक पेश हुआ है, उसका अभिप्राय यह है कि सरकार अपनी नीति के अनुसार राजस्थान में विषमता को दूर करे। यह विषमता आर्थिक विषमता है। राजस्थान में गरीब और अमीर में बड़ा फर्क है। राजस्थान का एक विशेष भाग आज गरीबी से मर रहा है। उसको खाने को रोटी नहीं मिलती और पहनने को कपड़ा नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? क्या उनमें शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है? उनमें हिम्मत भी है, शक्ति भी है, लेकिन उनके पास साधन नहीं हैं। साधन क्या, उनके पास जमीन नहीं है जिसके द्वारा वे अपना पेट भर सकें और गरीबी दूर कर सकें। यह जो हीनता और कमी जो राजस्थान में एक विशेष वर्ग के साथ पाई जाती है उसको दूर करने के लिये सरकार ने एक विशेष नीति का अनुसरण किया है और वह यह है कि राजस्थान में जितने भूमिहीन किसान हैं वे चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनको कम से कम १५ बीघा जमीन हरेक को मिल जानी चाहिये। इसकी घोषणा हो चुकी है और इसके नियम भी बना दिये गये हैं। अब इस नीति को अमल में लाने के वास्ते आज हमको विचार करना है। राजस्थान केनाल के अन्तर्गत आने वाली भूमियों पर पैसे वालों तथा संपत्ति वाले लोगों ने अनाप शनाप भूमि पर अधिकार कर रखा है। यदि वह अधिकार उनका वैसा ही रहने दिया जायगा तो राजस्थान केनाल क्षेत्र में जो गरीब लोग बस रहे हैं और आयन्दा जो लोग आकर वहां बसना चाहते हैं उनके लिए सरकार भूमि का क्या प्रबन्ध करेगी, यह सरकार के सामने बड़ी चिन्ता का विषय है और इस दिक्कत को दूर करने के लिये आज सदन के सामने यह विधेयक पेश किया गया है। राजस्थान केनाल के अन्तर्गत आने वाली जितनी भूमि है जो अक्टूबर, १९५५ से जिसके कब्जे में है वह पर्मानेन्ट खातेदारी कब्जा न समझा जायगा और टेम्पोरेरी समझा जायगा ताकि राजस्थान केनाल के अन्तर्गत भूमि का विकास हो सके, भूमि वितरण होने के समय यथायोग्य जिनको जितनी भूमि मिलनी चाहिए उनको उतनी दी जा सके और जिन्होंने अधिक भूमियों पर कब्जा कर रखा है वे गरीबों को दी जायें। इसलिए यह बिल लाया गया है। इस बिल के विपक्ष में बोलते हुए या बिल का विरोध करते हुए बहुत से महानुभावों ने यह बात कही कि इस विधेयक के पास हो जाने से राजस्थान की हरिजन जनता पिस जायगी, खत्म हो जायगी। मैं समझता हूँ यह केवल उनका भ्रम है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि यदि यह विधेयक पास हो गया तो आयन्दा राजस्थान की गरीब जनता को भूमि प्राप्त करने में समानता मिल जावेगी और उनकी हालत सुधारने में यह विधेयक सहायक होगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि यह जल्दी से जल्दी पारित कर दिया जाय क्योंकि इसमें केवल दो क्लॉज़ेज ही हैं। यदि यह बिल कोई लम्बा बिल होता तो मैं भी जरूर कहता कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसलिये मैं चाहता हूँ हूँ कि इसे जल्दी पारित किया जाये। इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लछमनगढ़) : चेयरमैन महोदय, हमारे यहां के कई माननीय सदस्य जो विपक्ष में बैठे हैं और जागीरदारों के हिमायती हैं आज गरीबों के पक्ष की बात करते हैं, उन्होंने किसानों के हित की बहुत

(श्री किशनसिंह)

बातें कहीं और कहा कि यह विधेयक यदि सिलेक्ट कमेटी में नहीं गया और पास हो गया तो गरीबों के साथ बड़ा जुल्म हो जायगा। वे गरीब जिन्होंने सन् ५५ के बाद जमीन ले ली वहां जाकर वे सब के सब गरीब हैं और वे गरीबों की जमात में पहुँच रहे हैं। उनमें इतनी जागृति आ गई कि गरीबों के साथ जाकर उन्होंने भी जमीन ले ली और उनको ३ वर्ष जमीन लिये हो गये। तीन वर्ष के अधिकार के बाद उनसे वापिस वह जमीन लेकर दूसरों को दी जाय तो उनका कहना है कि उनसे ज्यादा और कोई गरीब मिलने वाले हैं नहीं। वह जमीन उनसे लेकर यदि दूसरे गरीबों को दे दी गई तो उन गरीबों के साथ बहुत जुल्म हो जायगा। यदि गरीबों को जमीन मिली है तो सरकार की साफ नीति है कि गरीबों को ही जमीन दी जायगी, तो फिर डर किस बात का है ? और यदि अमीरों ने जमीन ले ली है, पैसे वालों ने जमीन ले ली और दूसरे प्रकार के आदमियों ने चालाकी से जमीन दबाली है, उनसे यदि जमीन वापिस ले ली जायगी तो कौन सी बेजा बात हो जायगी ?

इस बात के लिये भी काफी बहस हुई कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यदि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया तो बेजा समय लगेगा। मेरा ख्याल है कि इससे किसी गरीब का भला नहीं होने वाला है और न इससे देश का हित होगा। इससे सिर्फ यह हो सकता है कि एक दफा सरकार के खिलाफ इस वक्त बोल लिये और दुबारा फिर सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर कहते रहें, रेवेन्यु मिनिस्टर साहब को कोई बात कहते रहें, और यह कहते रहें कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब यह चाहते हैं कि नये जागीरदार बना दिये जायं। जो पुराने जागीरदार थे वे तो गये और नये आने की आशा नहीं है। हां जागीरदारों की हिमायत की जा सकती है, उनके पक्ष में बोला जा सकता है। लेकिन अब जमाना बदल गया। आज तो गरीबों को मौका मिलने का समय आ रहा है और मिलेगा इसे कोई रोक नहीं सकता। जिन लोगों ने यह कह दिया कि जमीन गरीबों के पास है उनसे मैं कहूँगा कि एक केनाल पर आप जाकर देखिये कि किसने कितने कितने मुरब्बा जमीन ले रखी है। जिनको खुद को हल चलाना आता नहीं है उनके यहां ट्रेक्टर चल रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के पास से अगर जमीन ले रहे हैं तो कहा जायगा कि गरीबों से जमीन वापिस ली जायगी उनको खुद को पता नहीं कि हल कैसे चलाया जाता है, शायद मशीन चलाना भले ही सीख गये हैं, लेकिन वे हल चलाना नहीं जानते, उनसे अगर जमीन ली जायगी तो उनके लिये कहा जायगा कि गरीबों से वापिस ली जा रही है। ये आज से तीन वर्ष पुराने किसान हैं। लेकिन इससे जो पुराने किसान है उन पर इसका असर नहीं पड़ता है। १५ अक्टूबर १९५५ के बाद जिन्होंने जमीन खरीदी है, जिनके पास पैसा था उन्होंने किसी प्रकार से ले ली है उनसे यह जमीन वापिस ली जायगी तो क्या अन्याय हो जायगा, यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन से गरीब हैं जिन्होंने केनाल पर जाकर जमीन ली है और उनका जो कब्जा है उनसे हक छीनने की बात है ? जो पुराने काबिज हैं उनसे खातेदारी राइट्स छीने जाते हों तब तो आप कह सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सन् ५५ के बाद में कब्जा किया है उनको आप किसान मानते हैं तो यह समझ के परे की बात है।

Page No.95

श्री गिरधारीलाल: ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं; पक्ष में या विपक्ष में ?

श्री सभापति: यह आपके समझ की बात है ।

श्री अर्जुनदास : समझ में कुछ नहीं आया Is he talking on the Bill, resolution, or is it a general discussion ? Is the Hon- Member speaking on the Bill or some other point, or is it a general discussion of this world, not of this Bill ?

श्री सभापति : आप जारी रखिये ।

श्री किशनसिंह : मेरा सवाल यह है कि आपको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दो वर्ष पहले जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया है,वह पैसे वालों ने किया है और उनके राइट्स पर इसका प्रभाव पड़ता है । इसलिए इस बिल पर यहीं पर विचार कर लिया जाय और सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है । इसके सम्बन्ध में आप दलील दे सकते हैं और जिसके पक्ष में दलील देना चाहते हैं, वह किसानों के पक्ष में देना चाहते हैं । किसानों के पक्ष की बात करते हुए जागीरदारों की ज्यादा जमीन किसानों को देना चाहते हैं, तो दे दीजियेगा, किसानों को ज्यादा राइट्स देना चाहते हैं, तो दे दीजिये । लेकिन इसमें ज्यादा समय लगाने से क्या फायदा है । इसलिए मैं कहूंगा कि इस बिल पर यहीं विचार कर लिया जाय और सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है ।

श्री अर्जुनदास : खास दलील तो दी थी।

४.५२ म. प.

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय सभापति महोदय, इस अमेंडमेंट के सिलसिले में, जिसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने लिए प्रस्ताव किया है, कुछ सदस्यों ने इस बात पर नुक्ताचीनी की है कि इस बिल की अहमियत को देखते हुए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए सरकार की तरफ से कोई एतराज नहीं होना चाहिए । मैं इसे स्वीकार करता हूं कि अगर बिल ऐसा इम्पोर्टेन्ट है कि जिसकी सिलेक्ट कमेटी में छानबीन होना आवश्यक है तो उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए सरकार की तरफ से पहले भी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और आयन्दा भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी । लेकिन मैं समझता हूं, इस बिल को सही मायने में समझने में थोड़ी बहुत गलतफहमी हो रही है और माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि जो अधिकार सन् १९५५ में कुछ लोगों को हासिल हो गये हैं, या उससे पहिले बीकानेर टिनेन्सी एक्ट और जैसलमेर टिनेन्सी एक्ट के अनुसार अधिकार हासिल हो गये हैं, वे अधिकार वापिस आज लिये जा रहे हैं इस अमेंडमेंट बिल के जरिये से, यह बात बिल्कुल गलत है । इसके लिये इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पहले बीकानेर टिनेन्सी एक्ट के अन्दर जो प्रॉविजन्स थे, तथा जिनके जरिये काश्तकारों को कुछ अधिकार मिले थे, उसको जानने की आवश्यकता है और इसी तरह से जैसलमेर के किसानों के क्या अधिकार थे, इस बात को भी जानने की आवश्यकता है । जैसलमेर के लिए मैं कह सकता हूँ कि वहां कोई टिनेन्सी लॉ नहीं था और जितने टिनेन्ट्स थे, वे भी टेम्प्रेरी टिनेन्ट्स थे, उनके कोई अधिकार नहीं थे । इसी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रकार बीकानेर टिनेन्सी एक्ट कुछ को अधिकार देता है और खातेदार बनाता है। जहां तक केनाल एरिया का सवाल है, इसके लिए आप देखेंगे कि जो सन् १९५५ में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बना, और लागू किया उसके १५वें सेक्शन में जो प्रॉविजन्स हैं, उसमें इस बात को इस सदन ने स्वीकार किया है कि जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स राजस्थान में होंगे, उनके अन्दर खातेदारी राइट्स किसी काश्तकार को हांसिल नहीं होंगे। उनको जो इसमें टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के लिए जमीन दी गई है, इसमें इस सिद्धान्त को माना है कि टेम्प्रेरी कल्टीवेशन की जमीन है और खातेदारी राइट्स उसके नहीं थे। १५ सेक्शन में एक प्रोविजो दिया है कि सरकार प्रोजेक्ट एरिया के लिए यह नोटीफाई कर सकती है कि बाई वे ऑफ नोटीफिकेशन. टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के लिए खातेदारी अधिकार किसी काश्तकार को हांसिल नही होंगे। गोया, यह बात नई नहीं है, जिस वक्त टिनेन्सी एक्ट बना, उस वक्त यह मान लिया गया था कि मेजर प्रोजेक्ट्स जो राजस्थान के अन्दर हैं उसके एरिया के किसान जो टेम्प्रेरी बेसिस पर काश्त करते है उनको खातेदारी राइट्स प्राप्त नहीं होंगे। आज इस अमेंडमेंट के जरिये यही बात मैं कहना चाहता हूं। हम कोई नई बात पैदा नहीं कर रहे हैं। यह कहना कि किसानों को पहिले जो खातेदारी अधिकार प्राप्त थे, उनको उन अधिकारों से वंचित करने की हम कोशिश कर रहे हैं, यह गलत है। माननीय सदस्यों ने भूमिहीन किसानों की बहुत जोर से वकालत की। उनका यह कहना है कि जिनको अधिकार प्राप्त हो गये हैं, उनसे हम आज जमीन के अधिकार ले रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा, यह बिल्कुल गलत है। दफा १५ को आप देखेंगे कि जो दफा १५ टिनेन्सी एक्ट की है, उसमें हमने एक नहीं, दो दफा अमेंडमेंट किया है, उसकी १५ ए दफा है, जिसके अन्दर अमेंडमेंट करने के लिए आज बिल प्रस्तुत किया गया है, उस १५ ए में आज से बहुत पहले इन्सर्ट कर दिया गया था और १५ का 'ए' पार्ट है, वह कोई नया लेजिस्लेशन नहीं है। असल बात यह है कि १५ अक्टूबर, १९५५ को जब टिनेन्सी एक्ट आया, उस समय राजस्थान केनाल की रूपरेखा मुकम्मिल नहीं थी, इसलिए नोटीफिकेशन इश्यू नहीं कर सके कि राजस्थान केनाल में इस बात की मुमानियत कर दें कि खातेदारी राइट्स पैदा नहीं होंगे। जब उसकी रूपरेखा बन गई, १० मई, १९५६ को, जिन माननीय सदस्यों ने इस बात की बहस की है, उन्होंने यह नही समझा, कि १० मई, १९५६ को सरकार ने नोटीफिकेशन के जरिये एक घोषणा कर दी थी कि राजस्थान केनाल एरिया में कोई अधिकार खातेदारी का उन लोगों को प्राप्त नहीं होगा, जो टेम्प्रेरी कल्टीवेशन करते हैं। मैं सदन के सामने उस नोटीफिकेशन को थोड़ा सा पढ़ दूं, "Notification No. F.6 (513) Rev. (B) /55 dated the 10th May, 1956,"

जो राजस्थान राजपत्र १९ मई, १९५६ के पेज १९४ में प्रकाशित हुआ है, हमने राज-पत्र के नोटीफिकेशन के जरिये से यह ऐलान कर दिया था :

"In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 15 of the Rajasthan Tenancy Act 1955 (No. 3 of 1955), the Government of Rajasthan is pleased to order that no Khatedari rights shall accrue under section

Page No.97

(श्री दामोदरलाल व्यास)

15 of the said Act to any tenant to whom land is or has been let out temporarily in the Area notified as colony by this Government Notification No. F. 6 (513 Rev. (B) dated the 10th May, 1956."

तो गोया सरकार ने १० मई, १६५६ को नोटीफाई कर दिया सेक्शन १५ के तहत, इस कानून के अनुसार। इससे यह मालूम होता है कि कोलोनाइजेशन एक्ट इसमें एप्लाई होगा और टिनेन्सी एक्ट के प्रोविजन्स एप्लाई नहीं होंगे और खातेदारी राइट्स उन काश्तकारों को जो कानून के अनुसार दिए गए हैं, प्राप्त नहीं होंगे। मगर चूंकि १५ अक्टूबर, १६५५ को टिनेन्सी एक्ट एन्फोर्स हो चुका था, इसलिए कानूनी मसला यह आया कि नोटीफिकेशन के जरिये उन लोगों के, जिनके टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के अधिकार १६५५ में थे, लेकिन जो कोई अधिकार जिस तारीख को टिनेन्सी एक्ट फोर्स में आया उस समय नहीं थे, तो अधिकार कैसे प्राप्त हो जायेंगे। नोटीफिकेशन के जरिये से अधिकार नहीं ले सकते हैं, जब तक कि कानून में संशोधन न हो जाय, इसलिये इसमें संशोधन किया गया और १५ ए इन्सर्ट किया गया, वह सिर्फ राजस्थान कोलोनाइजेशन के लिये रखा गया था। १५ ए को देखेंगे तो पता चलेगा, मैं जरा पढ़ कर सुना दूं :

15-A. Khatedari rights not to accrue in Rajasthan canal area:— Not withstanding any thing contained in sub-section (1) of Section 15 of this Act or in any other law for the time being in force, or in any lease, patta or other document of this land in the Rajasthan canal area leased out on or after the commencement of this Act on any terms what-so ever shall be deemed to have been let out temporarily within the meaning of the proviso to the said sub-section of the said section 15 of this Act and no Khatedari rights shall accrue or shall be deemed ever to have accrued in any such land leased out as aforesaid."

तो यह बात १६५५ को हुई कि आराजी काश्तकार को खातेदारी हक प्राप्त नहीं होंगे, इसका अमेंडमेंट पहले से किया जा चुका है और वह स्टेच्यू बुक पर है और दफा १५ टिनेन्सी एक्ट का पार्ट एन्ड पार्सल है। यह नई बात नहीं की जा रही है अमेंडमेंट के जरिये से, जिसके लिये कि माननीय सदस्यों को एतराज होना चाहिये कि कोई अधिकार काश्तकार को मिल गया है, वह पुनः लिया जा रहा है। वास्तव में राजस्थान केनाल क्षेत्र की जो स्थिति है उसकी मुझे जानकारी है और माननीय सदस्यों में से भी बहुत सों को होगी कि टिनेन्सी एक्ट लागू होने पर और उसके बाद इस बात की कार्यवाही ध्यान में आई। लोगों ने बहुत जमीन लेकर हक जमा किया है और हक बतलाने की कोशिश की है। आज एक तरफ करोड़ों रुपए प्रोजेक्ट पर खर्च किये जायेंगे, एक बड़े प्रोजेक्ट के कारण नया राजस्थान बनेगा, लाखों-एकड़ भूमि सिंचित होगी और दूसरी तरफ जब प्रोजेक्ट बन कर सिंचाई के लिए तैयार होगा, तब पोजीशन यह आयेगी कि लाखों भूमिहीन किसानों की, जिनको भूमि देने का प्लान है और जहां भूमिहीन किसानों को बसाने का प्लान है, उनकी जमीन उन लोगों के पास चली जायगी जिन्होंने अपनी काबलियत और

(श्री दामोदरलाल व्यास).

अपने पैसे के जोर से उस जमीन पर कब्जा कर लिया है और अपने नाम लिखवा ली है। ऐसी पोजीशन पैदा हो जायगी, उसको भूला नहीं जा सकता।......

श्री गिरधारीलाल : समय हो गया, साहब।

श्री सभापति : (प्रभारी मन्त्री महोदय से) Will you take some time ?

एक माननीय सदस्य : कल जवाब दे देंगे। माननीय मन्त्री पढ़ लेंगे रात में।

श्री अर्जुनदास : लॉ डिपार्टमेन्ट से कन्सल्ट करके आना।

श्री सभापति : The Hon. Members will please resume their seats when the Chair is on its legs. (Pause) The Hon. Members should sit in their chairs.

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल पांच बज कर दो मिनट पर बुधवार दिनांक ५ नवम्बर, १९५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, ४ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर १६७०

जोधपुर डिविजन के कुछ रेवेन्यु इन्सपेक्टरों की सदर कानूनगो के पद पर नियुक्ति।

भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा इलेक्टोरल रोल बनाना।

शिक्षकों की नियुक्तियां-जालोर फालना कॉलेज के प्रोफेसर।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के उपाचार्य रात्रि-प्रौढ़ पाठशालाएं-सांचोर तहसील।

लरड़ियों की चराई—पाली तहसील।

बालिका उच्चतर पाठशाला सिरोही का स्टाफ

अग्निपीड़ितों को सरकार द्वारा सहायता।

लगान वसूली—कोटपुतली।

बनेड़ा में सैटलमेन्ट।

लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण

घासमारी की रकम की वसूली।

खुर्दा व धुंआ बान्धों का निर्माण।

अकाल ग्रस्त क्षेत्र-जिला झुन्झुनू।

हरिजन काश्तकारों को भूमि।

प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां।

आर. ए. एस. ऑफिसरों की सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन।

गडा गांव (तहसील शेरगढ़) में आग लग जाने से सरकार द्वारा सहायता।

पूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारियों के सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा जमीनों का गलत इन्द्राज, तहसील दीगोद।

गूंगों, बहरों व अन्धों का स्कूल।

विकास क्षेत्रों के लिए स्टॉफ की नियुक्ति।

बांदीकुई राजकीय उच्च पाठशाला में साइन्स व कॉमर्स कक्षाएं।

ओजा तलाब, जोधपुर।

गवर्नमेन्ट हाईस्कूल, माधोगंज, बांदीकुई।

शपथ ग्रहण

जालौर क्षेत्र से निर्वाचित श्री अमृतलाल यादव ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण की।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति १७२६

राजा मानसिंह, सदस्य विधान सभा, को दिनांक ३-११-५८ से ८-११-५८ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

स्कम्भ

राजस्थान बिक्री कर निर्धारण तथा वसूली वैधकरण विधेयक, १९५८ १७२५

(पुरःस्थापन)

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने राजस्थान बिक्रीकर निर्धारण तथा वसूली (वैधकरण) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित किया ।

२. विचारार्थ लिये गये विधेयक

राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ १७२७

(खंडशःविचार-विमर्श एवं पारित)

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर श्रीभोगजी भाई ने यह संशोधन प्रस्ताव रखा कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

वाद-विवाद के पश्चात् प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार के बाद उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

२. राजस्थान पब्लिक डिमां-

स्कम्भ

एड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १९५८ १७६६

(खंडशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रिखबचन्दधारीवाल, उपमंत्री, वित्त विभाग, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय । श्री भैरोंसिंह (१४) ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

उप-मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री भैरोंसिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन अस्वीकार किया गया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंडशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

३. राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५८ १७८६

(विचारार्थ)

उपमंत्री, वित्त विभाग, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सर्व श्री गिरधारीलाल, तनसिंह, मोहर-सिंह, व भैरोंसिंह (१४) ने इस आशय के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। प्रस्तावकों के अतिरिक्त निम्नांकित सदस्यों

Page No.101

स्कम्भ स्कम्भ

ने भी इस ... की गई बहस में भाग लिया :

१. श्री अर्जुनदास

२. " दयाकृष्ण विजय

३. " मूलचन्द डागा

४. " श्री पी. के. चौधरी

५. " श्री सोहनलाल भटनागर

६. " मदनसिंह

७. " श्री अनूपसिंह

८. " रामचन्द्र

९. " किशनसिंह ।

———

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३४६ का उत्तर देखिये)

जिन रेवेन्यु इन्सपेक्टरों का मैट्रिक्युलेट होने के कारण बिना सीनियोरिटी के ही सदर कानूनगो बनाया गया है, जिनकी सूची निम्नलिखित है :

१. श्री शिवसिंह ।
२. " गनपतसिंह (II)
३. " किशोरमल
४. " नाथुसिंह ।
५. " हीरसिंह ।
६. " जीतसिंह ।
७. " लालचन्द ।

वे रेवेन्यु इन्सपेक्टर जो सीनियर होते हुए भी (मैट्रिक्युलेट) न होने से सदर कानूनगो नहीं बनाये गये, उनकी सूची यह है:-

१. श्री जयदत्त ।
२. " मोहम्मद बेग ।
३. ,, नवनिधिराय ।
४. ,, गंगाबिशन ।
५. ,, मेहताबसिंह ।
६. ,, परसराम ।
७. ,, जुगराज ।
८. ,, श्यामलाल
९. ,, भंवरसिंह ।
१०. ,, बालकिशन ।
११. ,, बद्रीदास
१२. ,, सिमरथमल ।
१३. ,, सज्जनसिंह ।
१४. ,, मेगाज ।
१५. ,, चान्दखां ।

१६. ,, छैलपुरी ।
१७. ,, अनिरुद्धसिंह ।
१८. ,, शिवदास ।
१६. ,, कनमल ।
२०. ,, श्री हसतीमल ।
२१. ,, परभुदत्त ।
२२. ,, पारसमल ।
२३. ,, किशनाराम ।
२४. ,, मूलसिंह ।
२५. ,, जमतसिंह ।
२६. ,, बद्रीनारायण ।
२७. ,, गंगाधर ।
२८. ,, प्रभुदास ।
२६. ,, किशोरीमल ।
३०. ,, पुनमसिंह ।
३१. श्री मोहम्मद इब्राहीम खां ।
३२. ,, रामनारायण ।
३३. ,, कानसिंह ।
३४. ,, रणजीतसिंह ।
३५. , रामेश्वर ।
३६. ,, गुमानसिंह ।
३७. ,, भगवतीलाल ।
३८. ,, गेहरालाल ।
३६. ,, ओमप्रकाश ।
४०. ,, पिमनदास ।
४१. ,, दीनदयाल ।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३४८ का उत्तर देखिये)

कर्मचारियों की सूची

१. अमीन श्री जोरावरसिंह ।
२. ,, ,, श्यामसिंह ।
३. ,, ,, अनूपसिंह ।
४. ,, ,, शेरसिंह ।
५. ,, ,, अब्दुल हमीद ।
६. ,, ,, तोलाराम ।
७. ,, ,, बहीदुल्लाखां ।
८. ,, ,, भूरदान ।
९. ,, ,, कानदान ।
१०. ,, ,, बाबूलाल ।
११. ,, ,, श्यामकरण ।
१२. ,, ,, किशनसिंह ।
१३. ,, ,, गुमानसिंह ।
१४. ,, ,, नाहरसिंह ।
१५. ,, ,, सराफतअली ।
१६. ,, ,, शैतानसिंह
१७. ,, ,, हन्सराज ।
१८. ,, ,, मनोहरसिंह ।
१९. ,, ,, अम्बालाल ।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३५६ का उत्तर देखिये)

राजस्थान विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ६५।आर० एम० के खंड से संबंधित सूची

सन् १९५७-५८

(१) खण्ड जोधपुर के लिये स्वीकृत धनराशि सन् १९५७-५८	जिलों के नाम जिनमें धनराशि आयुक्त कार्यालय द्वारा मंजूर की गई।	सन् १९५७-५८ में जो धनराशि अलॉट की गई।
२००००) रुपया	१—जोधपुर	५,३००) रुपया
	२—पाली	८००)
	३—नागौर	१००००)
	४—बाड़मेर	१०००)
	५—जालोर	१६००)
	६—सिरोही	८००)
	७—जैसलमेर	५००)
		२००००) रुपया
(२) खण्ड उदयपुर सन् १९५७-५८ ६५००) रुपया	८—उदयपुर	३४००)
	९—भीलवाड़ा	८९०)
	१०—चित्तौड़गढ़	४५०)
	११—बांसवाड़ा	१०००)
	१२—डूंगरपुर	७६०)
		६५००) रुपया
(३) खण्ड बीकानेर सन् १९५७-५८ ९०००) रुपया	१३—बीकानेर	३०००)
	१४—चूरू	३५००)
	१५—गंगानगर	२५००)
		९०००) रुपया
(४) खण्ड अजमेर सन् १९५७-५८ ७८५००) रुपया	१६—अजमेर	२०००)
	१७—अलवर	२०००)
	१८—भरतपुर	२६०००)
	१९—सीकर	१६५००)

१	२	३
	२०—सवाई माधोपुर	२५००)
	२१—जयपुर	१७०००)
	२२—झुंझुनूं	७५००)
	२२—टौंक	५०००)
		७८५००) रुपया
(५) खण्ड कोटा सन् १६५७-५८ २५००) रुपया	२४—कोटा	१०००)
	२५—बूंदी	७००)
	२६—झालावाड़	८००)
		२५००) रुपया

सन् १६५८ ५६

(१) खण्ड जोधपुर सन् १६५८-५६ २२०००) रुपया	जिले का नाम	सन् १६५८—५६ में जो धनराशि अलॉट की गई
	१—जोधपुर	४७५०) रुपया
	२—पाली	४१००)
	३—नागौर	११०००)
	४—बाड़मेर	३००)
	५—जालोर	६००)
	६—सिरोही	२५०)
	७—जैसलमेर	६००)
		२२०००) रुपया
(२) खण्ड उदयपुर सन् १६५८-५६ ३०००) रुपया	८—उदयपुर	५००)
	६—भीलवाड़ा	१४००)
	१०—चित्तौड़गढ़	३००)
	११—बांसवाड़ा	५००)
	१२—डूंगरपुर	३००)
		३०००) रुपया
(३) खण्ड बीकानेर सन् १६५८-५६ ४२०००) रुपया	१३—बीकानेर	३०००)
	१४—चूरू	५०००)
	१५—गंगानगर	३४०००)
		४२०००) रुपया

१	२	३
(४) खण्ड अजमेर	१६—अजमेर	४०००)
सन् १९५८-५९	१७—अलवर	३०००)
८००००) रुपया	१८—भरतपुर	२६०००)
	१९—सीकर	२६०००)
	२०—सवाई माधोपुर	२०००)
	२१—जयपुर	११०००)
	२२—झुंझनू	७०००)
	२३—टोंक	१०००)
		८००००) रुपया
(५) खण्ड कोटा	२४—कोटा	१०५०)
सन् १९५८-५९	२५—बूंदी	४५०)
२०००) रुपया	२६—झालावाड़	५००)
		२०००) रुपया

तारांकित प्रश्न संख्या ९५। आर० एन० के खण्ड ३ से सम्बन्धित सूची

सन् १९५७-५८ में इस सम्बन्ध में जितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, उन सबको अधिक सहायता दी जा चुकी है। जिनकी सूची निम्नलिखित है:—

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति	नाम बांध	आर्थिक सहायता
१	नरिगा	जालोर	१००)
२	मोगला	भड़वल	५०)
३	गुलवा	जसवन्त पुरा	३०)
४	जीवा	पांवला	२३६)
५	परमू	जसवन्तपुरा	१४)
६	पामरी	मीलामा	८३)
७	माला	खीराड़ी	१३०)
८	सवा	,,	१३५)
९	अमरा	,,	२८)

१०	पूनमा	भीनमाल	८०)
११	रूपा	राजियावास	५०)
१२	रुकीया	जालोर	१०)
१३	तारीया	,,	२५०)
१४	मना	डामल	२५)
१५	भक्ता	लीरौल	५०)

सन् १६५८–५६ में जिनको सहायता स्वीकृत की गई, उनकी सूची

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति	नाम गांव	स्वीकृत धनराशि
१	खकिया	धवला	३०)
२	गटिया	,,	२५)
३	उनला	,,	४५)
४	हांजरांन	कोकर	७५)
५	कदमा	धायला	१५)
६	मुकनिया	,,	५०)
७	सवा	,,	३०)
८	हेमला	गोषण	१५)
६	हनुमानदास	नौरवा	१५)
१०	लाड्डू	,,	१५)
११	पुनया	,,	७)
१२	धोकरिया	,,	१५)
१३	प्रेमा	,,	३०)
१४	मागीया	,,	३०)
१५	छाजू	,,	२०)
१६	सीताराम	,,	३)
१७	हीरा	,,	१०)
१८	जबलिया	जेतड़ी	३५)
१६	गणेश	,,	५५)
२०	हड़जी	डेडबा	१००)

सन् १९५८–५९ में जिनके प्रमाण पत्र प्राप्त हुए परन्तु धन राशि नहीं होने से अभी तक सहायता नहीं दी जा सकी ।

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति	नाम गाव	धन राशि
१	गुजबी	डेढवा	३००)
२	गुमानखां	कीकर	१००)
३	सोड़ेखां	,,	७५)
४	मिसरूखान	,,	२००)
५	हमामखां	,,	७५)
६	जीवासा (क)	सांचोर	२०)
७	हीरा	तलावा	१००)
८	खंगारा	चीमरवाड़ा	१००)
९	भूरा	सेलती	२५०)
१०	बगीया	,,	२००)
११	नाथीया	,,	१५०)
१२	सुलेमान	नोरवा	१७५)
१३	नारायणसिंह	,,	२००)
१४	अनलसिंह	,,	२४०)
१५	चन्द्रभान	,,	२७९)
१६	हंसा	साघला	७२)
१७	भूरा	मूका	७०)
१८	अनू	,,	७०)
१९	सादिक	,,	६०)
२०	हाजी	,,	६०)
२१	गजी	,,	५०)
२२	रहमतखां	,,	८०)
२३	रमजूखां	,,	७०)
२४	रहमतखां	,,	५०)
२५	शेरूखां	,,	४०)
२६	मुरीद	,,	६०)
२७	रहमताम	,,	५०)

१	२	३	४
२८	हलीम	,,	१००)
२६	हब्रिज	,,	६०)
३०	खेरू	,,	२५)
३१	सुमरां	,,	११०)
३२	हासम	,,	२५)
३३	सभरी	सायला	६६)
३४	सोकिया	,,	१
३५	मुकनीया	,,	२६)

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ३६८ का उत्तर देखिये)

LIST OF LOANEES WHOM LOAN ADVANCED DURING 1955-56 UNDER LIGH. SCHEME.

S. NO	NAME	ADDRESS	AMOUNT DISTRI-BUTED	REMARKS.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Shri Assodomal	Gumanpura	3750/-	
2.	,, Bhagat Singh Suri	-do-	8000/-	
3.	,, Bakshi Awtar Singh	Bhimganjmandi	6250-	
4.	,, Brij Mohan Malviya	Ladpnra	7500/-	
5.	,, Chandra Bhan Srivastava	Nayaura	6500/-	
6.	,, Ghothmal Gandhi	Bharapra	3750/-	
7.	,, Chhotelal Sharma	Nayapura	5000/-	
8.	,, Damodar Das	Kota Junc:	8000/-	
9.	Ghanshyamdas	Nayapura Kota	6250/-	
10.	,, Gyarsilal Cashaier	Retwali	2500/-	
11.	,, Har Bhagwan Sahani	Shripura	8000/-	
12.	,, Harnam Singh	Gumanpura	5000/-	
13.	,, Hassumal Balwani	Nayapura	6250/-	Total Amount repaid.
14.	,, Hiramal	Shripura	5000/-	
15.	,, Hundaldas	Gumanpura	3700/-	
16.	,, Jamna Dhar Sharma	Gumanpura	3750/-	
17.	,, Jayanti pd. Bhatnagar	Nayapura	8000/-	
18.	,, Jeewat Ram	Gumanpura	3750/-	
19.	,, Kalyan Pd. Gupta	-do-	8000/-	
20.	,, Shrimati Kamla Baigwal	-do-	8000/-	
21.	,, Shri Kanti Pd. Bhatnagar	Vijay pada	6250/-	
22.	,, Kaushal Kishore	Nayapura	3750/-	
23,	,, Kishan Gopal Shrangi	Ladpura	4000/-	

1.		2.	3.	४.	5.
24.	„	Shrimati Krishna Kumari Bhatnagar	Vijaypada	5000/-	
25.	„	Shri Madhomal Sadda	Gumanpura	6250/-	
26.	„	Mahavir pd. Sharma	Ladpura	8000/-	
27.	„	Mani Lal Verma	Gumanpura	62 0/-	
28.	„	Manmohan Gupta	Nanapura	3750/-	Total Amount repaid.
29.	„	Nathilal Sharma	Arya Samaj Road.	3750/-	
30.	„	Nathoolal Jain Vakil	Ladpura	8000/-	
31.	„	Naval Kishore Bhargava	Nayapura	3750/-	
32.	„	Om Prakash	Nayapura	6250/-	
33.	„	Poonamchand Jain	Bhatapara	8000/-	
34.	„	Pratap Singh Overseer	Gumanpura	3000/-	
35.	„	Rajendra Nath Chaturvedi	Nayapura	8000/-	
36.	„	Ramjimal Sharma	Ladpura	3750/-	
37.	„	Ramchand Jelia	-do-	3750/-	
38.	„	Ram Lakhan Dube	Nayapura	8000/-	
39.	„	Ram Pd. Dandotiya	Nayapura	6250/-	
40.	„	R. D. Choudhary	Nayapura	6250/-	
41.	„	Rameshwar Dayal Bhargav	-do-	8000/-	
42.	„	Shri Ram Narain Jain	Gumanpura	8000/-	
43.	„	Ratan Behari Tygi	Nayapura	6250/-	
44.	„	Roop Shanker Kanjolia	Gumanpura	6250/-	
45.	„	S. S. Kulshresht	Nayapura	8000/-	
46.	„	Saligram	Sayed Ka Chowk	3750/-	
47.	„	Shanker Lal Agrawal	Vikran Chowk	3750/-	
48.	„	Shrimal Sharma	Gumanpura	5000/-	
49.	„	Shri Narain Verma		8000/-	
50.	„	Shiv Dayal Chaturvedi	Kota Junc	6250/-	
51.	„	Shobha Singh Chadda	Gumanpura	5000/-	
52.	„	Sundermal Chaturvedi		6250/-	

	1,	2,	3.	5.	5.
53.	„	Sunder Singh	Bhimganj Mandi.	8000/-	
54.	„	Tara Chand Postman		3750/-	
55.	„	Tara Chand Kirana Merchant	Rampura	6250/-	
56.	„	Teekam Chand sethi		7500/-	
57.	„	Tihparam Sahani		8000/-	
58.	„	Tctaldas	Kotah Junc.	5500/-	
59.	„	Trilok. K. Asnani	Patanpole	8000/-	
60.	„	Virendra Singh Hada		5000/-	
61.	„	Musif Ali	1956.—57	6250/-	
62.	„	Ameer Ghand.	Gumanpura	5000/-	
63.	„	Badri Prasad Dube Teacher V,H.School		3750/-	
94.	„	Bejnath Contractor	Cinemagarh Kota.	5000/-	
65.	„	Bihari Lal Saboo Lal	Himaly Timber Supply.	4000/-	
66.	„	Chanda Lal Sharma Reader	Munsif Baran	3750/-	
67.	„	Chand Mal Gupta Vakil	Gumanpura	8000/-	
68.	„	Govind Sahay Saxena	Compounder Nayaura	3750/-	
69.	„	Endradutt Swadheen	Nayapura	4750/-	
70.	„	Ishwar Singh,	Gumanpur	3750/-	
71.	„	Jauhari Prasad Clerk	Treasury Kota	3750/-	
72.	„	Kalyan Singh Kanungo	Pipalda	3750/-	
73.	„	Kartar Singh	Gumanpura	3750/-	
74.	„	Kishan Lal Gupta Power House Kota		6250/-	
75	„	Mangal Seen	Gumanpura	3750/-	
76.	„	Dr. Mangat Ram Bassin Medical Disp.	Bhimganj	8000/-	
77.	„	Mohan Singh Oberai	Bhimganjmandi	4200/-	
78.	„	Naud Lal Sethi	Gumanpura	3750/-	

		1.	2.	3.	5.	5.
79,	,,	Naval Kishore c/o Uagar Singh Sathi				3750/-
80.	,,	Permanand Chaturvedi			Gumanpura	5625/—
81.	,,	Karan Bhushsan Thakur			Nayapura	8000/—
82.	,,	Preetam Singh			Gumanpura	3750/—
83.	,,	Preepal Singh			-do-	3750/—
84.	,,	Ram Narain Sexena B. D. O.			Ladpura	8000/-
85.	,,	Ram Swaroop Saxana Collectorate			Kota	5000/—
86.	,,	Roop Chand Jain Munim			Kathawala	5000/—
87.	,,	Rajandra Prasad Accountant			Gumanpura	5625/—
88.	,,	Vishnu Dutt Dadheech			Gumanpura	3750/—
89.	,,	Yadav Rao Kaithooni Pole			Kota	2500/—
90.	,,	Abdual Ganni			Chandghata	375o/—
91	,,	Bishambhar Nath Gupta			Nayapura	8000/—
92.	,,	Badri Lal Gupta			Gumanpura	3750/—
93.	,,	Babu Lal			Indpura	3750/—
94.	,,	Brij Mohan			Saray Kayaspura	2000/—
95.	,,	Chirrnjeet Lal			Nayapura	3000/—
96.	,,	Chandra Bhan			Nayapura	3750/—
97.	,,	Dan Mal Peon			Nayapura	1000/—
98.	,,	Govind Lal Gupta			Gumanpura	4000/—
99	,,	Dhansi Ram Chaturvedi			Nayapura	3750/—
100.	,,	Harnam Singh Sahni			Gumanpura	6250/—
101.	,,	Heera Lal Harijan			Bhatpura	3750/—
102.	,,	Hari Prakash Sharma			Bhimganjmandi	8000/—
103.	,,	Har Narain Chhabra			Gumanpura	5000/—
104.	,,	Keshari Lal Harijan			Cadpura	3750/—
105.	,,	Kanhiya Lal Peon			Gordhan pura	2000/—
106.	,,	Kanhiya Lal Sharma			Nayapura	300 /—
107.	,,	Laxmi Narain			Gumanpura	3750/—
108.	,,	Mangal Sen Bagga			Gumanpura	3000/—
109.	,,	Mahesh Kumar			Mokhapura	3750/—
110.	,,	Man Mal Singhivi			Nayapura	7500/—

1.	2.	3.	4.	5.
111.	„	Naval Kishore Rao	Shripura	3750/—
112.	„	Nand Kishore Gupta	Gumanpura	3750/—
113.	„	Narain Das	Kota Junc.	300[illegible]/—
114.	„	Naraendra Lal Jain	-do-	8000/—
115,	„	Puroshottam Peon	Shripura	1250/—
116.	„	Prakash Bhun	Nayapura	3750/—
117.	„	Panna Lal	-do-	6250/—
118.	„	Prabhu Dayal Gaur	Gumanpura	3750/—
119.	„	Ram Lal Dhawan	-do-	3750/—
120.	„	Ram Gopal Verma	Shri pura	3750/—
121.	„	Ramji Lal Driver	Ladpura	3000/—
122.	„	Shri Nath Gautam	Gumanpura	3000/—

1958—59.

(Upto September, 1958.)

1.	„	Suraj Mal Porwal	Gordhanpura	3000/—	
2.	„	Sunderdas Sethi	Gumanpura	5000/—	Two instalments given
3.	„	Kanhiya Lal Vijay	Bhatapara	3000/—	One instalment given.
4.	„	Shri Ballabh Sharma	Retwali	3000/—	-do-
5.	„	Devendra Singh	Shripura	3000/—	
6.	„	Prem Chand Kansal	Nayapura	5000/—	-do-
7.	„	Beni Madhow Sharma	-do-	5000/—	-do-
8.	„	Kastoor Chand	Bhimganjmandi	5000/—	-do-
9r	„	Vishweshwer Dayal Saxena	Nayapura	3000/—	-do-
10.	„	Chakku-Harijan	-do-	3000/—	
11.	„	Madho Lal Khanpuria	Gumanp ura	3000/—	

Light 4.

Mortgage Deed to be Executed by the Borrower under Low Income Group Housing Scheme

Reference No.........

THIS DEED IS MADE ON THE..............day of............195 , BETWEEN..................Son of..................Resident of..................... (hereinafter referred to as "the Borrower") of the one part AND His Highness the Rajpramukh of the State of Rajasthan (hereinafter referred to as "the Government") of the other part.

Whereas a loan of Rupees.................has been sanctioned to the Borrower by the Government, on the Borrower's application, under the Low Income Group Housing Scheme for the purpose of constructing a residential house for the Borrower on the plot of land described in the Schedule annexed to this deed.

And Whereas the said loan has been sanctioned on the terms and conditions hereinafter contained and in particular on the condition that the Borrower executes a Martgage Deed with the covenants hereinafter contained;

Now this deed witnesses as follows:-

1. Advances of loan.—(1) the Government shall advance to the Borrower a sum of Rupees.........to be paid to the Borrower in the following instalments, subject to the other provisions of the Deed:—

Instalments of advance.—On the execution of this Deed (and the execution of Bond by the Surety of the Borrower, to be executed separately)... ... ... Rs..................

On the completion of the residential house for the construction of which this loan is being advanced to plinth level ... ...Rs. ....

On the completion of the above mentioned house upto roof level ... ... Rs. ....

(2) The various instalments referred to in sub-clause (1) above shall be advanced by the Collector...............district, whose decision shall be final as to whether any instalment has become due for advance.

(3) Notwithstanding anything hereinabove contained, the Government shall not be bound to advance the amount of any instalment if the Borrower has committed a breach of or failed to observe any of the covenants to be performed by him as hereinafter contained.

2. Covenants regarding repayment.— In pursuance of the said agreement and in consideration of the said sum of Rupees............to be advanced by the Government to the Borrower, the Borrower hereby covenants with the Government as follows:—

(1) The Borrower shall repay to the Government the said sum of Rupees ....with interest as hereinafter provided, in thirty annual equal instalments, the first instalment being due twelve months after the receipt by the Borrower from the Government of the first instalment of this loan.

(2) The Borrower shall pay to the Government interest at the rate of ten percent per annum on the said sum of Rupees.........(or on such portion thereof as, having been advanced to the Borrower by the Government, has remained unpaid for the time being), and the interest accrued up to the date of every instalment of the principal shall be payable along with that instalment:

Provided that if and in so far as any amount towards the principal amount of this loan is repaid by the Borrower on or before the date on which its repayment has become due, the Government shall accept interest on that amount at the rate of five per cent per annum instead of the rate of ten per cent mentioned above.

(3) If the Borrower commits a breach of or fails to observe any of the covenants to be performed or observed on his behalf hereinbefore or hereinafter contained in this Deed, the whole sum then remaining due to the Government under this Deed on account of the principal shall become immediately payable, if notice is so given to the Borrower by the Government or its authorised officer.

3. Covenants relating to mortgage.—(1) For the consideration aforesaid and in further pursuance of the aforesaid agreement, the Borrower hereby grants and transfers by way of simple mortgage to the Government ALL the property described in the Schedule annexed to this Deed, together with all buildings and structures that the Borrower has erected or may hereafter erect thereon, to the intent that the said property hereby mortgaged including the said buildings and structures shall remain and be charged by way of simple mortgage as security for the repayment to the Government of the principal money and interest in accordance with the covenant herein contained.

(2) The Borrower hereby covenants with the Government that the said property hereby mortgaged and the said buildings and structures are free from encumbrances (except to the extent, if any, indicated in the Borrower's application for this loan).

(3) It is hereby agreed and declared that in case of default in the payment of such sum on account of the principal and interset as may become due under the covenants hereinbefore contained, the Government may forthwith enforce against the said property hereby mortgaged and the said buildings and structures or any part thereof all or any of the remedies of the holder of a simple mortgage, and shall in particular have power to sell without the intervention of a court the mortgaged property or any part thereof for realisation of any money due to the Government hereunder.

(4) The remedy conferred on the Government by this clause shall be without prejudice to any remedy conferred by any other provision of this Deed or by the Rajasthan Public Demands Recovery Act, 1952.

4. Other covenants of the Borrower:—For the consideration aforesaid and in further pursuance of the aforesaid agreement, the Borrower hereby further covenants with the Government as follows:—

(1) The Borrower shall utilise the amount advanced by the Government hereunder for the construction of residential house for the Borrower on the plot of land described in the Schedule annexed to the Deed and for no other purpose,

(2) The Borrower shall commence construction of the aforesaid house within two months of the receipt by him first instalment of the loan and shall complete its construction before the end of March, 1956.

(3) The Borrower shall spend on the construction of the aforesaid house not less than Rupees............of his own, representing twenty per cent of the cost of the site and the house, along with the money advanced hereunder, not later than............

(4) Except in accordance with a permission granted by the Government, the Borrower shall not transfer by way of sale, gift, mortgage, exchange, lease or otherwise the plot of land described in the Schedule annexed hereto or any building or structure erected or to be erected thereon or any share title or interest in such plot, building or structure, until the whole of the principal amount and interest due from the Borrower hereunder is fully repaid to the Government.

(5) The Borrower shall—

(a) maintain in a business-like manner true accounts of expenses incurred towards construction of the aforesaid house, such accounts and vouchers relating thereto being open to inspection by authorised officers of the Government.

(b) furnish such returns and information relating to the site or construction thereon as may be required from time to time by the Government or its authorised officers.

(c) permit at all reasonable times persons authorised by the Government to inspect the site, materials and buildings under construction.

5. Arbitration.—Except as otherwise provided in this Deed, any dispute or difference arising between the parties hereto out of this Deed shall be referred far arbitration to the Secretary to the Government of Rajasthan for the time being in charge of the department to whioh the subject of housing may be allotted for the time being and his decision 'shall be final and binding on the parties.

Schedule

(Description of plot of land on which the house is to be constructed and which is hereby mortgaged to the Government along with houses and structures). The Plot of land measuring..................square feet situated in..................Street....................Town.........Tehsil..................... District..................bounded as follows.—

on the North ....

on the South ....

on the East ....

on the West.......................................

Signed by the Borrower.

Witness I.........................

Witness II........................

Signed by Order of and on behalf of
His Highness the Rajpramukh
of the State of Rajasthan.

Witness I.....................

Witness II....................

Note:—This Deed should be stamped with non-judicial stamp at the rate given in article 40 paragraph (b) read with article 15 of the Second Schedule to the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952 as amended up-to-date, printed at Page 593 of Rajasthan Code Volume I. Registration is compulsory as this is a Mortgage Deed.

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ३६६ का उत्तर देखिये)

(बाबत वसूली घासमारी)

नाम जिला	१६५६-५७	१६५७-५८
१. जोधपुर	१५३६८.८८	३२५४.०६
२. नागौर	१८५४२.००	२४१६२.००
३. पाली	२०६८३, ००	—
४. जालोर	४७७०८.३०	—
५. बाड़मेर	३५२.००	५१७६.००
६. सिरोही	—	—
७. जैसलमेर	--	--

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या २७६ का उत्तर देखिये)

Copy of rule 33 of the Rajasthan Administrative Service Rules, 1954, mentioned in reply to Starred Question No. 245/CM.

*(33. Seniority—(1) Subject to the provlsions of sub-rule (2), seniority in the service shall be determined by the year of appointment to the Service :

Provided—

(I) that the seniority inter-se of the persons appointed to the service before the commencement of these rules shall be such as may have been determined or as may hereafter be determined by the State Government in accordance with the principles and instructions set-out in Schedule V;

(II) that subject to proviso (iii) among persons appointed to the Service during the same year from the five sources specified in rule 7, persons appointed by Promotion shall be senior to those persons appointed by special selection and persons appointed by special selection shall be senior to those by direct recrutment;

(III) that the seniority of a person appointed to the Service by special selection, if he had been appointed Assistant Secretary to Government in a substantive capacity before the promulgation of these Rules shall be calculated according to the formula by which the seniority of persons appointed to the Service before the promulgation of these rules is calculated, namely Schedule V;

(IV) that the seniority inter-se of persons appointed to the service by promotion or by special selection during the same year shall follow the order in which they have been placed respectively in the list prepared by Government under rule 28 (12) or rule 29 (4):

(V) that the seniority inter-se of the persons appointed to the Service on the result of one and the same examination, except those who do not join the service when a vacancy is offered to them, shall follow the order in which they have been placed in the list prepared by the Commission under rule 25.

(2) In determining seniority of persons appointed to the Service in accordance with the provisions of sub-rule (1), Government, if satisfied of any error or commission having been made in the seniorty list (in

consequence of incorrect data supplied by the person appointed to the Service or otherwise) shall have the power.

(i) to fit in and adjust any person so appointed at such position therein as it may deem just and proper, and

(ii) to alter the position for the time being of any such person in the said list,.

Provided—

that changes in the seniority list of persons covered by proviso . (i) of sub-rule (1) will not be made by Government after 31-12-58. This shall have effect from the 9 th day of July, 1954.

*Substituted 'for 33. Seniority in the service shall be determined by the date of the order of appointment to the Service: —

Schedule V.

(See Rule 33 ' a ')

Principles for determination of seniority inter-se of persons appointed to the Service before the commencement of the Rules.

(1) Officers will be placed togeather in different classes or an assesment of the relative responsibility discharged on a specified date. Each officer will be placed in the class concerned on the basis of the post held by him in the Covenanting State on that date corresponding to the post included in the class. The classes of the various equated posts are given in Appendix.

(2) To compare the extent of responsibility attached to the various posts in the units, the Covenanting States will also be classified as shown in (Appendix B) based on the degree of administrative level of the units.

(3) Following the classification of units and posts in (1) and (2) the posts will also be equated by placing them in categories as given in Appendix C of the different Units. All officers holding posts in Category I will be deemed to be senior to all officers holding posts in Category II and so on. The revised seniority list will be drawn up by joining together lists of officers holding posts in the various category they will be arranged in the manner indicated below in sub-paragraph (5).

(4) For the purpose of categorisation referred to in (1) the date will be taken as the Ist. November, 1948.

(5) The actual position of an officer in a category will be determined in the following manner:--

(a) In the first instance seniority will be fixed with reference to the priority of confirmation on the post in the category concerned or analogous post.

(b) In the case of simultaneous confirmation officer holding the first officiating appointment on the post in that category or analogous post will be senior, provided that the officiating arrangement was continious and not in short vacancies.

(c) If (a) and (b) coincide, seniority will be determined with reference to the next post on the same principles as in (a) and (b) above.

(d) In cases of doubt seniority will be assessed after taking all relevant factors into consideration such as qualification, experience and record of service.

(6) In the case of an officer appinted after the 1st November, 1948 and before the Covenanting State was integrated with Rajasthan, seniority will be based on the fromula applicable to those appointed before the 1st November, 1948 and the actual place of the officer in the category will be fixed in the same manner. In the case of an officer appointed in Rajasthan Service after the formation of Rajasthan, seniority will be determined on the basis of his substantive appointment to the Rajasthan Administrative Service from the date he held the, post continuosly, prior to such substantive appointment.

Note :—As an instance the case of an officer who was appointed as Tehsildar in Rajasthan on the 10th April, 1949, may be cited. If he has been substantively selected as an Assistant Collector in the Rajasthan Administrative Service he will be placed in Class 'C' and in category 4 in which the posts in that class are equated with posts of other classes. His seniority vis-a-vis other officers in that category will be determined from the date of his appointment as Assistant Collector.

2. A list will be drawn up of the officers selected to the Rajasthan Administrative Service applying the above formula. In doing so the inter-se seniority of officers selected form a Unit, where such seniority existed, will be respected as far as practicable. If applying the formula it is found that an officer comes in a lower category as compared to his substantive appointment in the Rajasthan Administrative Service notified in the Appointments Department Notification No. F. 1 (4) Apptts. (A)/51, dated the 9th April, 1951, he will be placed in the category in which he will be eligible to be placed by virtue of such substantive appointment but at the lowest rank in that category, For instance if an officer holding a substantive appointment in the Collector's

Group in the Rajasthan Administrative Service comes according to the formula, in catogery 4 (in which Assistant Collectors of List I States are placed) that officer will be placed in category 2 (in which Collectors are placed). If there are two or more officers who may be thus placed in a higher category their inter-se seniority will be on the basis of their seniority in the iower Category concerned.

APPENDIX 'A'

Appendix contains only certain posts as illustrations posts with equivelern degree of responsibillity will be placed in the appropriate class.

Special Class.

1. Ministers.

Class A Posts.

1. Chief Secretary.
2. Chairman and Members, Board of Revenue.
3. Secretaries to Government.
4. Head of Major Departments i, e.
   (1) Commissioners of Division.
   (2) Revenue Commissioners.
   (3) Commissioner, Customs and Excise.

Class B 'I' Posts

1. Heads of other Departments, i, e.
   (1) Commissioner, Civil Supplies.
   (2) Settlement Commissioner.
   (3) Registrar, Cooperative Societies.
   (4) Director, Local Bodies.
2. Collectors or Deputy Commissioners-in-charge of Districts.

Class B 'II' Posts.

1. Deputy Secretaries to Goverment.
2. Deputies to Heads of Departments enumerated in Class A.

Class C Posts.

1. Assistant Collectors or Nazims.
2. Magistrates 1st Class and other posts of equivalent responsibillity.

3. Heads or Deputy Heads of Departments and other officers with equal responsibility corresponding to that of Assistant Collector or Nazim.

Class D Posts.

1. Tehsildars.

Class E Posts,

1. Naib Tehsildard·

Note :—Only whole-time independent charge will be considered in equating posts. An officer holding more than one post will be graded in the highest post held by him on the date fixed for equating the posts of various Units. Cases where an officer held a post of greater responsibility previously and was subsequently demoted will be considered on their merits with due regard to the circumstances connected with such demotion.

(Appendix B)

List 1.

1. Bikaner.
2. Jaipur.
3. Jodhpur.
4. Udaipur.
5. Former Rajasthan.
6. Matsya.

List II.

1. Alwar.
2. Bharatpur.
3. Kotah.

List III.

1. Bundi.
2. Tonk.

List IV.

1. Banswara.
2. Dholpur.
3. Dungarpur,

5. Kishangarh.
6. Sirohi.
7. Khetri.
8. Sikar.

List V.

1. Jaisalmer.
2. Karauli.
3. Partabgarh.
4. Shahpura
5. Kushalgarh.
6. Lawa.
7. Nimrana.
8. Uniara.

(APPENDIX C)

Table showing the proposed eqation of the posts in Covenanting States and juridicational Thikana.

List of State-	Category	Category	Category	Category	Category	Category	Category	Category	Category	Category
	I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Special Class Class A.		CIB. (I)	CIB (II)	CIC (II)	CID	CID	...	...	...	...
II Special Class.		CI, A.	CI. B (I)	CI-B (II)	CI,C.	CI,D	C.I.E.	...	...	...
'II.		Special Class.	CI.A	CI,B (I)	CI. B (II)	CI.C.	CI.D	CI.E	...	...
IV.		Special Class.		CI. A.	CI.B (I)	CI.B (II)	CI-C.	CI,D	CI.E	
V.			Special Class.	...	CI.A	CI.B (I)	CI.B (II)	CI.C.	CI.D	CIE.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ४ नवम्बर, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्ध
१	२	३	४
१६८०	अन्तिम से १२	trained intermediate	trained intermediates
१६८१	३	whcih	which
,,	१२	H bu'le	Hon'ble
१६८३	६	पोपुलेशन	पोपुलेशन
१६८६	अन्तिम से ९	श्री रामकरण सिंह	श्री रामकरण सिंह
१८८६	अन्तिम ३ पक्तियां	श्री अध्यक्ष : मुरलीधर व्यास (प्रश्न संख्या ३६२, ३६३)	(प्रश्न संख्या ३६२, ३६३) (श्री अध्यक्ष) : मुरलीधर व्यास
१६८८	११	योजनान्तर	योजना
१६९६	५	है स्टे भी आर्डर्स	है स्टे ऑर्डर्स
१६९७	४	श्री दमोदरलाल व्यास	श्री दामोदर लाल व्यास
१७००	१४	बांधां	बांधों
१७०६	शीर्ष	३ नवम्बर, ५८	४ नवम्बर, ५८
१७०८	१५	बिश्नों	बिश्नोई
१७१२	१२	States Government	State Government
१७१३	अन्तिम से ७	कलार	कलाल
१७१९	ऊपर से १४ के पश्चात्	—	श्री मुरलीधर व्यास (अनुपस्थित)
१७२०	अन्तिम से ५	nov	new
१७२२	१३	(४) प्रश्न नहीं उठता	(५) प्रश्न नहीं उठता
१७२३	१५	(श्री विश्वनाथ जोशी)	(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
१७२६	६	कई माननीय सदस्य	कई माननीय सदस्य
१७२८	शीर्ष	राजस्थान पंजायत	राजस्थान पंचायत
,,	,,	४ नवम्बर	४ नवम्बर । ५८
१७४०	२३	इश्यु	इश्यु

१	२	३	४
१७५७	१२	नतीजा हागा।	नतीजा होगा ?
१७८०	अन्तिम से १४	the follow ng	the following
१७६०	१३	तो उसको	तो उसके
१७६१	८-६	पिछली साल इस साल	पिछली साल और इस साल
१७६४	२	Hon'b:e Minster	Hon'ble Minister
,,	१४	have a ready	have already
१७६८	२१	Area leasd	Area leased
१७६६	,,	यह टेम्प्रेरेरिमी	यह टेम्प्रेरिली
१८०७	अन्तिम से ६	सांचरो पहुँचना	सांचौर पहुंचाना
१८०८	६	राजाओं से शिकामते	राजाओं से शिकायतें
१८११	२	एक रूसता	एक रूपता
,,	१८	वह किसन	वह किसान
,,	१६	तहसीलदार सहब	तहसीलदार साहब।
१८१४	अन्तिम से २	purpose underlving	purpose undererling
१८२०	१५, १६	than meets	than what meets
१८३१	११	out Temprarily	out Temporarily
१८४०	अन्तिम से ३	टेम्प्रेरी लीजी	टेम्प्रेरी लीज़
१८४२	१४	इसलिवे	इसलिये
,,	२०	मेजना	भेजना
१८४३	अन्तिम से ६	६. श्री मदनसिंह	श्री मदनसिंह
१८४६	६	टिनेग्सी	टिनेन्सी
,,	१५	हसके	इसके
१८५८	अन्तिम से ४	मेजना	भेजना
१८५८	अन्तिम	थहीं	नहीं
१८६१	अन्तिम से ५	Prov so	Proviso
१८६१	,, ४	Rajasthan Tenanc	Rajasthan Tenancy
१८६२	,, ४	Sction	Section
१८७०	,, १	इस र	इस पर

१	२	३	४
१८७३	अन्तिम से ६	परमुदत्त	प्रभुदत्त
१८७७	,, ७	झुंझनु	झुंझुनूं
१८८४	५	Prec pal Singh	Preetpal Singh
,,	७	Swaroop Soxana	Swaroop Saxena
१८८४	अन्तिम से.५	३००	३०००
१८८६	१६	Ccnfained	Contained
,,	१७	hereinaf ter	herein after